2013 - 2014

ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड

वार्षिक लेखे

दृष्टिकोण

पर्यावरण के प्रति सजग रहते हुए पूर्वोत्तर में श्रेष्ठ पेट्रोरसायन प्रतिष्ठान के रूप में उभरे, अंशधारकों को सही कीमत प्रदान करें, सर्वश्रेष्ठ उत्पादन और सेवाएं मुहैया करांए तथा आर्थिक प्रगति में योगदान दें।

लक्ष्य

उत्पादन/स्त्रोत के जरिए पेट्रोरसायन खंड में पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराना तथा श्रेष्ठ उत्पादनों का विपणन, कार्यक्षमता का विस्तार करना और अपने ग्राहकों की जरूरतों का पूरा ख्याल रखना।

निदेशक मंडल

श्री बी सी त्रिपाठी
अध्यक्ष

श्री पी एन प्रसाद
प्रबंध निदेशक

श्री ओ पी टेलर
निदेशक (वित्त)
01.07.2013 से प्रभावी

श्री अविनाश जोशी
29.10.2013 से प्रभावी

श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव
30.08.2013 से प्रभावी

श्री आर के दत्त

श्री आर टी जिंदल

श्री एस वेंकटरमण

श्री पी के जैन

श्री एस. रथ
01.10.2013 से प्रभावी

श्री पी. पद्मनाभन
22.05.2014 से प्रभावी

श्री पी सी शर्मा

श्री गौतम बरुवा

विषयसूची

सूचना	02
अध्यक्ष का संदेश	15
निदेशकों का प्रतिवेदन	16
प्रबंध चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	24
निगम शासन पर रिपोर्ट	31
साचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	39
निगमित सुशासन अनुपालन प्रमाण–पत्र	41
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	42
तुलन पत्र	48
महत्वपूर्ण लेखांकन पद्धतियां	38
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	58
नगद प्रवाह विवरण	77
भारत के महानियंत्रक तथा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	79

कार्पोरेट पहचान संख्या (सी आई एन)
U11101AS2007GOI008290

पंजीकृत कार्यालय

होटल ब्रह्मपुत्र अशोक
एम जी रोड, गुवाहाटी
असम–781001
फोन: 0361-2733554
फेक्स: 0361-2733556

परियोजना स्थल कार्यालय

लेपेटकाटा
पी ओ–लेपेटकाटा
जिला–डिब्रुगढ़
असम–786006
फोन: 0373-2914604

परियोजना कार्यान्वयन कार्यालय

तीसरा तल, गैल परीक्षण प्रतिष्ठान
24, सेक्टर–16 ए, नोएडा
उत्तर प्रदेश–201301
फोन: (0120)2513102
फेक्स: 0120-2488392

Bankers

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

- थाना चाराली
  डिब्रुगढ़
  असम–786001
- कैग की शाखा
  12 वीं मंजिल,
  जवाहर व्येपार भवन,
  1, टाल्सटाय मार्ग
  नई दिल्ली–110001

पंजाब नेशलन बैंक
गोयनका मार्केट.
जालुकपाड़ा
डिब्रुगढ़
असम–786001

वैधानिक लेखा परीक्षक

मेसर्स दास एंड शर्मा
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
दुर्गा भवन, दूसरा तल
ए टी रोड, भरलुमुख
गुवाहाटी–781009
असम

आंतरिक लेखा परीक्षकों

मेसर्स डेलोंइट हकिञ्चं एंड सेल्स
डीएलएफ साइबर सिटी कम्प्लेक्स
डीएलएफ सिटी द्वितीय चरण
गुड़गांव – 122002
हरियाणा

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की सातवीं वार्षिक साधारण बैठक निम्नलिखित कारबार का संब्यवहार करने के लिए मंगलवार 2 सितम्बर, 2014 को सांय 3.00 बजे उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, एम.जी.रोड, गुवाहाटी-781001 में आयोजित की जाएगी।

साधारण कारबार के रूप में

1. 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार संपरीक्षित तुलन-पत्र, निदेशकों की रिपोर्ट, कानूनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के महालेखानियंत्रक एवं परीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त करना, उनपर विचार करना और उन्हें अंगीकार करना।
2. श्री आर. टी. जिंदल के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना जो चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और जो पात्र हैं, जिन्होंने पुन:नियुक्ति के लिए स्वयं का प्रस्ताव किया है, को नियुक्त करना।
3. श्री एस. वेंकटरमन के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना जो चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त हो रहे है और जो पात्र हैं, जिन्होंने पुन:नियुक्ति के लिए स्वयं का प्रस्ताव किया है, को नियुक्त करना।
4. कंपनी के निदेशक बोर्ड को वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 और तद्धीन बनाए नियमों (जिसके अंतर्गत उनका कानूनी उपांतरण या तत्समय प्रवृत्त उनका पुन: अधिनियमितिकरण भी है) के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार कानूनी लेखापरीक्षकों का पारिश्रामिक नियत करने के लिए प्राधिकृत करना और निम्नलिखित संकल्प उपांतरण सहित या उसके बिना साधारण संकल्प के रूप में पारित करना :

   कंपनी का निदेशक बोर्ड भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा 2014-15 वित्त वर्ष के लिए नियुक्त कानूनी लेखापरीक्षकों के पारिश्रामिक को विनिश्चित और नियत करने के लिए कंपनी के निदेशक बोर्ड को प्राधिकृत करने का ***संकल्प करता है***।

विशेष कारबार के रूप में

5. निम्नलिखित संकल्प पर एक साधारण संकल्प के रूप में विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो उसे उपांतरण के साथ या उसके बिना पारित करना।

   कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 और अन्य लागू धाराओं, यदि कोई हों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में (जिसके अंतर्गत उनका कानूनी उपांतरण या तत्समय प्रवृत्त उनका पुन: अधिनियमितिकरण भी है), श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव जिन्हें 30.08.2013 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त जाता है, जो चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होने के दायी हैं।
6. निम्नलिखित संकल्प पर एक साधारण संकल्प के रूप में विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो उसे उपांतरण के साथ या उसके बिना पारित करना।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 160 और अन्य लागू धाराओं, यदि कोई हों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में (जिसके अंतर्गत उनका कानूनी उपांतरण या तत्समय प्रवृत्त उनका पुन: अधिनियमितकरण भी है), श्री एस. रथ जिन्हें 01.10.2013 से श्री टी.के. अनंत कुमार के त्यागपत्र द्वारा पारित आकास्मिक रिक्ति के कारण निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त जाता है, जो चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होने के दायी हैं।

7. निम्नलिखित संक्लप पर एक साधारण संकल्प के रूप में विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो उसे उपांतरण के साथ या उसके बिना पारित करना।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 और अन्य लागू धाराओं, यदि कोई हों और उनके बनाए गए नियमों के अनुसरण में (जिसे अंतर्गत उनका कानूनी उपांतरण या तत्समय प्रवृत्त उनका पुन: अधिनियमितिकरण भी है), श्री अविनाश जोशी जिन्हें 29.10.2013 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त जाता है, जो चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होने के दायी हैं।

8. निम्नलिखित संकल्प पर एक साधारण संकल्प के रूप में विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो उसे उपांतरण के साथ या उसके बिना पारित करना।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 और अन्य लागू धाराओं, यदि कोई हों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में (जिसके अंतर्गत उनका कानूनी उपांतरण या तत्समय प्रवृत्त उनका पुन: अधिनियमितिकरण भी है) श्री पी. पद्मनाभन जिन्हें 22.05.2014 से श्री दीपक चक्रवर्ती के त्यागपत्र द्वारा पारित आकास्मिक रिक्ति के कारण निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त जाता है, जो चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होने के दायी हैं।

9. निम्नलिखित संकल्प पर एक साधारण संकल्प के रूप में विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो उसे उपांतरण के साथ या उसके बिना पारित करना।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293(1) के अनुसरण में शेयरधारकों द्वारा पारित पूर्व संकल्प को अधिक्रांत करते हुए संकल्प करते हैं और कंपनी के सदस्यों की सहमति प्रदान की जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1) (ग) और अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में (जिसके अंतर्गत उनका कानूनी उपांतरण या तत्समय प्रवृत्त उनका पुन: अधिनियमितिकरण भी है) और कंपनी संगम के अनुच्छेद (जिसके अंतर्गत उनका तत्समय प्रवृत्त कोई कानूनी उपांतरण या पुन:अधिनियममितिकरण है, कंपनी के निदेशक बोर्ड को समय-समय पर धनराशि या राशियां को कंपनी द्वारा पहले से ही उधार ली गई धनराशियों यदि कोई हों (कारबार के साधारण प्रक्रम में कंपनी द्वारा बैंकरों से अभिप्राप्त अस्थायी ऋण से भिन्न) जो कंपनी की तत्समय संदत्त पूंजी उसकी मुक्त आरक्षितियों के समग्र से अधिक हो सकेगी, परंतु उधार ली गई राशियां तथा इस प्रकार उधार ली जाने वाली राशियां तथा किसी एक समय पर बकाया 4,000 करोड़ रूपए (चार हजार करोड़ रूपए) से अधिक नहीं होगा।

10. निम्नलिखित संकल्प पर एक साधारण संकल्प के रूप में विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो उसे उपांतरण के साथ या उसके बिना पारित करना।

संकल्प करते हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 और अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हों और

उसकी धृति कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड के बीच विपणन करार का निष्पादन करने के लिए प्रदान की जाती है।

यह ओर संकल्प करते हैं कि कंपनी के प्रबंध निदेशक/निदेशक (वित्त) को विपणन करार और/या कोई अन्य संसूचना/दस्तावेज जो विपणन करार का एक भाग बनता है, जो कंपनी के उत्पादों/उप-उत्पादों के समय-समय पर विपणन के लिए आवश्यक है, पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और बीसीपीएल की विक्रय नीति, कीमत नीति और उपभोक्ता शिकायत हथालन नीति आदि जैसा कि गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा समय-समय पर संसूचित किया जाए में परिवर्तन स्वीकार करने के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है।

11. निम्नलिखित संकल्प पर एक साधारण संकल्प के रूप में विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो उसे उपांतरण के साथ या उसके बिना पारित करना।

संकल्प करते हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 और अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में (जिसके अंतर्गत उनका कानूनी उपांतरण या तत्समय प्रवृत्त उनका पुन: अधिनियमितिकरण भी है), कंपनी के सदस्यों की कंपनी द्वारा अनुज्ञप्ति के आधार पर धृति कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड के स्वामित्वाधीन निम्नलिखित परिसरों का उपयोग करने के लिए सहमति दी जाती है :

गेल प्रशिक्षण संस्थान, प्लाट संख्या 24, सेक्टर 16ए, नोएडा-201301 स्थित परिसरों की तीसरी मंजिल के भाग का दो वर्ष के लिए अर्थात 01.12.2013 से 30.11.2015 तक 22 जनवरी, 2014 को कंपनी और गेल (इंडिया) लिमिटेड के बीच हुए करार के निबंधनों के अनुसार।

01.04.2014 से 31.03.2015 से गेल (इंडिया) लिमिटेड के परिसर का लक्वा, शिवसागर असम स्थित एक भाग।

यह और संकल्प करते हैं कि कंपनी के निदेशक बोर्ड को एतद्वारा उक्त परिसरों के अनुज्ञप्ति करारों को उसकी अवधि के अवसान पर या धृति कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड के स्वामित्वाधीन किन्हीं अन्य परिसरों के लिए पट्टा/अनुज्ञप्ति करारों को निष्पादित करने के लिए जिनका कंपनी के कार्यलयों/एककों द्वारा विभिन्न अवसरों पर उपयोग किया जा सकेगा के लिए और निबंधनों और शतों को भी अतिंम रूप देने के लिए जिसके अंतर्गत प्रभूति जमा और मासिक भाटक (या उनमें कोई परिवर्तन) भी है और ऐसे कदम उठाने के लिए ऐसे अन्य कृत्य करने के लिए, विशेष कदम उठाने के लिए और चीजें करने के लिए प्राधिकृत करते हैं, जो उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए उचित और समीचीन समझें।

12. निम्नलिखित संकल्प पर एक साधारण संकल्प के रूप में विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो उसे उपातंरण के साथ या उसके बिना पारित करना।

संकल्प करते हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 और/या अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में (जिसके अंतर्गत उनका कानूनी उपांतरण या तत्समय प्रवृत्त उनका पुन: अधिनियमितिकरण भी हैं), कंपनी के सदस्यों की सहमति है और सहमति गेल (इंडिया) लिमिटेड, धृति कंपनी को निम्नलिखित कर्मचारियों से संबंधित विषयों के संबंध में दी जाती है।

गेल (इंडिया) लिमिटेड के कार्यकारियों की कंपनी में गेल के संयुक्त उद्यम कंपनियों में कार्यकारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए साधारण निबंधनों और शर्तों पर तैनाती।

गेल प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा या गेल (इंडिया) लिमिटेड की पेट्रो-रसायन इकाइयों/अन्य प्रशिक्षण में कर्मचारियों का प्रशिक्षण।

13. निम्नलिखित संकल्प पर एक साधारण संकल्प के रूप में विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो उसे उपांतरण के साथ या उसके बिना पारित करना।

संकल्प करते हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 और अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में (जिसके अंतर्गत उनका कानूनी उपांतरण या तत्समय प्रवृत्त उनका पुन:अधिनियमितिकरण भी है), या अन्य लागू विधियां, यदि कोई हों, कंपनी के संगम अनुच्छेद और संगम ज्ञापन के सुसंगत उपबंधों के अनुसरण में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमडंल समिति के तारीख 16.11.2011 के अनुमोदन को और तारीख 18.10.2006 को संयुक्त उद्यम करार शेयरदारकों द्वारा पारित पूर्ववर्ती संकल्प को अधिकरण करते हुए कंपनी के निदेशक बोर्ड ने (बोर्ड) इस अभिव्यक्ति के अंतर्गत बोर्ड द्वारा गठित उसकी एक या अधिक समिति या एक या अधिक निदेशक जैसा कि बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाए को कंपनी की ओर से 10 रूपए प्रत्येक के मूल्य पर 15,00,00,00,000 रूपए की रकम के साम्या शेयरों को जारी करने, उनका प्रस्ताव करने और उनका आबंटन करने के लिए प्राधिकृत करती है, चाहे ऐसे आंबटिती कंपनी के सदस्य हों या सदस्य न हों, जिसके अंतर्गत में आबंटित शेयर शामिल हैं।

गेल (इंडिया) लिमिटेड 16 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066	70 प्रतिशत
ऑयल इंडिया लिमिटेड दुलियाजान,असम-786602	10 प्रतिशत
नुमीलगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, 122-ए, जी एस रोड, क्रिश्चयन बस्ती, गुवाहाटी -781005, असम	10 प्रतिशत
असम सरकार असम सचिवालय, दिसपुर गुवाहाटी - 781006, असम	10 प्रतिशत

यह और संकल्प करते हैं कि बोर्ड को समय-समय पर ऐसी संख्या में शेयर जारी करने, उनका प्रस्ताव करने, उन्हें आबंटित करने के लिए जैसाकि उसके आत्यांतिक विवेकानुसार विनिश्चय किया जाए और उसके द्वारा ऐस सभी शेयरों का जारी करना और आबंटन करना कंपनी के अन्य सभी साम्या शेयरों से सभी परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित हो, के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

यह और संकल्प करते हैं कि साम्या शेयरों के किसी निर्गम या आबंटन को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, बोर्ड को एतद्वारा कंपनी की ओर से ऐसे सभी कृत्य, विलेख मामले और चीजें करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जैसाकि बह अपने विवेकानुसार और ऐसे प्रयोजन के लिए जिसके अंतर्गत बिना किसी सीमा के आबंटन किया जाना है भी है, जैसाकि बोर्ड अपने आत्यांतिक विवेकानुसार उचित समझे।

यह और संकल्प करते हैं कि बोंड को एतद्वारा सभी प्रश्नों, कठिनाईयों या संदेहों को निवारण करने के

लिए प्राधिकृत किया जाता है जो शेयरों के किसी निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन के संबंध में उद्भूत हो जो वह अपने आत्यातिक विवेकानुसार उचित समझे, सदस्यों या अन्यथा कि बिना किसी और सहमति या अनुमोदन के, या समझा जाएगा कि सदस्यों ने उस संकल्प के प्राधिकार से अपनी अभिव्यक्त सहमति दे दी है।

14. निम्नलिखित संकल्प पर एक साधारण संकल्प के रूपम में विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो उसे उपांतरण के साथ या उसके बिना पारित करना।

संकल्प करते हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196, धारा 197, धारा 198, अनुसूची 5 और अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में (जिसे अंतर्गत उनका कानूनी उपांतरण या तत्समय प्रवृत्त उनका पुन: अधिनियमितिकरण भी हैं), कंपनी के सदस्यों की सहमति श्री पी.एन.प्रसाद की नियुक्ति को दी जाती है जिन्हें कंपनी के निदेशक बोर्ड का, तारीख 11.01.2012 को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार और कंपनी के संगम अनुच्छेद के तारीख 30.12.2011 के नियुक्ति आदेश संख्या 45012..4..2011 पीसी-1 के अनुसरण में कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था जो कि 11.01.2012 से उक्त नियुक्ति आदेश में वर्णित नियुक्ति के निबंधनों और पारिश्रामिक पर कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था।

15. निम्नलिखित संकल्प पर एक साधारण संकल्प के रूप में विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो उसे उपांतरण के साथ या उसके बिना पारित करना।

संकल्प करते हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196 धारा 197, धारा 198 अनुसूची 5 और अन्य लागू उपबंधों, कंपनी के सदस्यों की सहमति यदि कोई हों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में (जिसके अंतर्गत उनका कानूनी उपांतरण या तत्समय प्रवृत्त उनका पुन: अधिनियमितिकिरण भी हैं), श्री ओ.पी. टेलर को तारीख 1.7.2013 से रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार और कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार तारीख 13.05.2013 के नियुक्ति आदेश संख्या 45012/5/2012-पीसी-1 के अनुसरण में कंपनी का निदेशक (वित्त) नियुक्ति किया गया था जो कि 01.07.2013 से उक्त नियुक्ति आदेश में वर्णित नियुक्ति के निबंधनों और पारिश्रामिक पर कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था।

तारीख : 1 आगस्त, 2014
स्थान : गुवाहाटी

बोर्ड के आदेश से
ह.
(रूली दास सेन)
कंपनी सचिव

टिप्पण :

1. किसी बैठक में भाग लेने और मत देने का हकदार व्यक्ति किसी प्रॉक्सी को बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए स्वयं के स्थान पर नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी के लिए कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। सम्यक रूप से पूर्ण किया हुआ प्रॉक्सी फार्म कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में बैठक प्रारंभ होने से 48 घंटे से अन्यून पूर्व जमा किया जाना चाहिए।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अधीन यथाअपेक्षित स्पष्टीकारक ज्ञापन इसके साथ उपाबद्ध है और उसमें निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों को सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में कार्य के सामान्य समय में सभी कार्यदिवसों को वार्षिक साधारण बैठक की तारीख तक खुला रखा जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में स्पष्टीकारक कथन

एजेंडा संख्या 5

श्रीनिकुंज कुमार श्रीवास्तव, निदेशक, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या एल-12018/6/2010 जीपी2 तारीख 1 जुलाई, 2013 द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया था। उन्हें रसायन और उर्वरक मंत्रालय के पत्र संख्या 45012/18/2206-पीसी-1 तारीख 13 अगस्त, 2013 द्वारा संसूचित किया गया था। उन्हें श्रीमती सुषमा ताईशेते के स्थान पर कंपनी के निदेशक बोर्ड में शामिल किया गया। बोर्ड ने निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफारिश की वह चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होने के दायी है।

कंपनी ने सदस्यों से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अधीन श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव के कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति का प्रस्ताव किया। श्री श्री वास्तव का संक्षिप्त प्रोफाइल निगम शासन रिपोर्ट में दिया गया है।

आपके निदेशक शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए संकल्प की सिफारिश करते है। कोई भी निदेश, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके नातेदार सिवाय श्री निकुंज कुमार श्रीवास्वत के इस संकल्प में हितबद्ध नहीं हैं।

एजेंडा संख्या 6

श्री एस.रथ, निदेशक (प्रचालन), ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) को ऑयल इंडिया लिमिटेड के पत्र संख्या ओआईएल/एसईसी/37/बीसीपीएल तारीख 09 अक्तूबर, 2013 द्वारा कंपनी के निदेशक बोर्ड में श्री टी.के. अंनत कुमार जो 30 सितम्बर, 2013 को सेवानिवृत्त हो गए, के स्थान पर नामनिर्दिष्ट किया गया था। उन्हें 1 अक्तूबर, 2013 से आकस्मिक रिक्ति में निदेशक के रूप में शामिल किया गया। उनकी पदावधि इस वार्षिक साधारण बैठक की तारीख को समाप्त हो जाएगी। बोर्ड ने निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफारिश की, वह चक्रानक्रम में सेवानिवृत्त होने के दायी है।

कंपनी ने सदस्यों से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अधीन श्री एस.रथ के कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति का प्रस्ताव प्राप्त किया। श्री एस. रथ का संक्षिप्त प्रोफाइल निगम शासन रिपोर्ट में दिया गया है।

आपके निदेशक शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए संकल्प की सिफारिश करते हैं। कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके नातेदार सिवाय श्री एस.रथ के इस संकल्प में हितबद्ध नहीं है।

एजेंडा संख्या 7

श्री अविनाश जोशी, संयुक्त सचिव, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के पत्र संख्या 45012/18/2006 पीसी-1 तारीख 10 अक्तूबर, 2013, को कंपनी के निदेशक बोर्ड में डॉ, ए.जे.वी. प्रसाद के स्थान पर अपर निदेशक के रूप में तारीख 29 अक्तूबर, 2013 से नामनिर्दिष्ट किया गया। उनकी पदावधि इस वार्षिक साधारण बैठक की तारीख को समाप्त हो जाएगी। बोर्ड ने निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफारिश की, वह चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होने के दायी हैं।

कंपनी ने सदस्यों से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अधीन श्री अविनाश जोशी के कंपनी के

निदेशक के रूप में नियुक्ति का प्रस्ताव प्राप्त किया। श्री अविनाश जोशी का संक्षिप्त प्रोफाइल निगम शासन रिपोर्ट में दिया गया है।

आपके निदेशक शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए संकल्प की सिफारिश करते हैं। कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके नातेदार सिवाय श्री अविनाश जोशी के इस संकल्प में हितबद्ध नहीं है।

एजेंडा संख्या 8

श्री पी. पद्मनाभन, प्रबंध निदेशक, नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को, नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के पत्र संख्या 4276/एनआरएल तारीख 5.5.2014 द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में शामिल किया गया। उनकी पदावधि इस वार्षिक साधारण बैठक की तारीख को समाप्त हो जाएगी। बोर्ड ने निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफारिश की वह चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होने के दायी हैं।

कंपनी ने सदस्यों से कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 160 के अधीन श्री पी. पद्मनाभन के कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति का प्रस्ताव प्राप्त किया। श्री पी.पद्मनाभन का संक्षिप्त प्रोफाइल निगम शासन रिपोर्ट में दिया गया है।

आपके निदेशक शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए संकल्प की सिफारिश करते हैं। कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके नातेदार सिवाय श्री पी. पद्मनाभन के इस संकल्प में हितबद्ध नहीं है।

एजेंडा संख्या 9

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) के अनुसार कंपनी की संदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षितियों से अधिक लेने की शक्ति का उपयोग कंपनी के विशेष संक्लप की सहमति से किया जाएगा।

शेयरधारों ने 16.12.2011 को आयोजित साधारण वार्षिक बैठक में साधारण संकल्प से निदेशक बोर्ड की संदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षितियों से अधिक उधार लेने की शक्ति की सीमा को 4,000 करोड़ रूपए (चार हजार करोड़ रूपए) से अनाधिक सीमा तक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293(1)(घ) के अनुसार बढ़ा दिया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उसी उधार लेने की सीमा तक शेयरधारकों का अनुमोदन विशेष संकल्प के माध्यम से लिया जाता है। आपके निदेशक शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए संकल्प की सिफारिश करते है।

आपके निदेशक शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए संकल्प की सिफारिश करते हैं। कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके नातेदार इस संकल्प में हितबद्ध नहीं हैं।

एजेंडा संख्या 10

एजेंडा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अधीन कंपनी और धृति कंपनी, गेल (इंडिया) लिमिटेड के बीच संबंधित पक्षकार संव्यवहार का अनुमोदन करने के लिए है।

संयुक्त उर्जा करार (जेवीए) के खंड 4.1 (छ) के अनुसार जिस पर सभी संयुक्त उद्यम पक्षकारों अर्थात गेल, ओआईएल, एनआरएल और असम सरकार ने 18.10.2006 को हस्ताक्षर किए थे, गेल परियोजना में उत्पादित पेट्रो रसायन उत्पादों के लिए वरीयता प्राप्त वितरणकर्ता होगा जब तक गेल कंपनी में बहुसंख्यक स्टेक वृद्धि बनाए रखता है। तदनुसार बीसीपीएल और गेल के बीच करार का निष्पादन किए जाने का प्रस्ताव है, जिसके अनुसार गेल कंपनी के उत्पादों की और उप उत्पादों अर्थात एचडीपी, एलएलडीपीई, पीपई और अन्य एलएचसी उप उत्पादों की शत प्रतिशत निकासी के लिए उत्तरदायी होगा।

करार के तात्विक निबंधन और विशिष्टियां नीचे दिए अनुसार है :

- प्रारंभ में करार बीसीपीएल स्थल या किसी अन्य स्थल जहां बीसीपीएल अपना संयंत्र आरंभ करता है से प्रेषणीय उपलब्ध वाणिज्यिक उत्पादों की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा और इसका पारस्परिक सहमत निबंधनों पर दस वर्ष की

और अवधि के लिए विस्तार किया जाएगा।

- गेल शुद्ध विक्रय वसूली का 2.4 प्रतिशत विपणन कमीशन के रूप में प्रभारित करेगा (आधारी-उत्पाद शुल्क पूर्व सभी छूटें) जिसका संदाय मासिकत आधार पर सभी लागू करों के साथ किया जाएगा। पूर्ववर्ती मास के विक्रय के लिए पश्चात्वर्ती मास की 7 तारीख तक बिल गेल द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और बीसीपीएल कमीशन बीजक/बिल की प्राप्ति के 15वें दिन तक संदाय करेगा। संदाय में विलंब की दशा में बीसीपीएल द्वारा गेल को एसबीआई की आधारी दर धन 5 प्रतिशत की दर से ब्याज संदेय होगा।
- सभी विक्रय छूटें और पारेषण स्टाकिस्त (सीएस): कमीशन बीसीपीएल द्वारा सीधे ग्राहकों .. सीएस को वास्तवकि के आधार पर संदत्त होगा। सीएस कमीशन का संदाय बीसीपीएल द्वारा गैल, बीसीपीएल और सीएस द्वारा त्रिपक्षीय करार के आधार पर किया जाएगा।
- गेल बीसीपीएल के पेट्रो रसायन उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में बीसीपीएल उत्पादों की विक्रय नीति के अनुसार ग्राहकों का परिनिर्धारण करेगा।
- बीसीपीएल की विक्रय नीति गेल द्वारा चालू विक्रय नीति के आधार पर तैयार की जाएगी और बीसीपीएल की उसके लिए सहमति ली जाएगी। जिसमें विक्रय को प्रभावित करने वाले विस्तृत निबंधनों और शर्तों को कवर किया जाएगा।
- बीसीपीएल संयंत्र स्थल से अपेक्षित ग्राहक .. सीएस अवस्थानों को सामग्री के परिवहन के लिए अपनी स्वयं की परिवहन संविदा को अंतिम रूप देगा।
- तरल हाइड्रो कार्बन उत्पादों और उप उत्पादों के लिए परिवहन का प्रबंध उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा जिसके अतंर्गत उपभोक्ता के रूप मे ंगेल अपने आंतरिक उपभोग के लिए शामिल है। सांस्थानिक उपभोक्ताओं के लिए यदि अपेक्षित हो तो परिवहन का प्रबंधनव बीसीपीएल द्वारा किया जाएगा।
- लपेटकाटा संयंत्र (संकर्म पूर्व विक्रय एवं सीएस भांडागार को स्टाक का अंतरण) से भेजे जाने वाले पालीमर उत्पादों का परिबहन बीमा पीसीपीएल द्वारा किया जाएगा। बीसीपीएल की सीएस भांडागार में मालों का बीमा बीसीपीएल के ओर से जैड ओ द्वारा किया जाएगा। बीमें की लागत का प्रतिदाय बीसीपीएल द्वारा किया जाएगा। पारेषण, स्टाक अतंरण और परिवहन में बीमा से संबंधित मुद्दो का हथालन गेल द्वारा संबंधित जैड ओ के माध्यम से किया जाएगा।
- निर्यात बाजार में विक्रय के लिए जटिलताओं पर बीसीपीएल और गेल द्वारा की जाएगी और उन्हें पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा और एक पृथक पत्र के माध्यम से हस्ताक्षर किए जाएगे। मानी गई निर्यात बिक्री के लिए नीति एवं प्रक्रियाए और एससीजैड इकाईयों को आपूर्ति भी गेल द्वारा की जाएगी और एक पृथक पत्र द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी।
- बीसीपीएल उत्पादन की कीमत निर्धारण एवं उत्पाद शुल्क पूर्व और पश्च बिक्री छुटों का प्रस्ताव बीसीपीएल उत्पादों के लिए गेल की कीमल निर्धारण समिति द्वारा बाजार के आयामों के आधार पर प्रस्तावित किया जाएगा। गेल की आदारभूत कीमत निर्धारण नीति का उपयोग बीसीपीएल की कीमत निर्धारण नीति की अपेक्षाओं के अनुरूप किया जाएगा। समिति द्वारा प्रस्तुत कीमत और छुटों का अनुमोदन गेल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। गेल द्वरा दी जा रहा उत्पाद शुल्क पूर्व एवं विक्रय पश्च छुटें ऐसी ही बीसीपीएल की उत्पाद शुल्क पूर्व विक्री पश्च

छुटों का आधार होंगी। तथापि बीसीपीएल उत्पादों के लिए छुट आवशयकतानुसार होगा। अन्य बीसीपीएल उत्पादों जो इस समय गेल द्वारा उत्पादित नहीं किए जा रहे हैं के लिए छुटों के नियतन की विद्यमान बाजार आयामों आयामों के आधार पर कीमत निर्धारण समिति द्वारा सिफारिश की जाएगी।

धारा 188 के उपबंधों के अनुसरण में और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू सभी उपबंधों के अनुसरण में पूर्वोक्त निबंधनों के साथ गेल (इंडिया) लिमिटेड धृति कंपनी के साथ विपणन करार को निष्पादित करने के लिए शेयर धारकों की सहमति ली जा रही है।

आपके निदेशक शेयर धारकों से अनुमोदन के लिए संकल्प की सिफारिश करते हैं। कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके नातेदार सिवाय श्री बी.सी.त्रिपाठी, जो गेल के अध्यक्ष सा प्रबंध निदेशक हैं इस संकल्प में कमपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के अर्थ में हितबद्ध नहीं हैं।

एजेंडा संख्या 11

यह एजेंडा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अधीन कंपनी और उसके धृति कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड के बीच पट्टा/अनुज्ञपित के आधार पर परिसरों के उपयोग के लिए संबंधित पक्षकार संव्यवहार का अनुमोदन करने के लिए है।

नोएडा स्थित परिसर

कंपनी का परियोजना निष्पादन कार्यालय गेल के स्वामित्वाधीन गेल (इंडिया) लिमिटेड प्रशिक्षण संस्थान, प्लॉट सं. 24, सेक्टर 16ए, नोएडा-201301 के तीसरी मंजिल से एक भाग से कार्य कर रहा है। और इसका उपयोग कंपनी द्वारा 22.1.2014 को किए गए अनुज्ञप्ति करार ने अनुसार अनुज्ञपित के आधार पर किया जा रहा है।

करार के तात्विक निबंधन और विशिष्टियां नीचे दिए अनुसार है :

- अनुज्ञपित प्रादाता (गेल) अनुज्ञप्ति प्राप्तकर्ता (बीसीपीएल) को 1876.57 वर्ग फुट का सुपर निर्मित क्षेत्र और 2278.28 वर्ग फुट के साम्न्य क्षेत्र के साथ सज्जाओं, फिक्सचरों, वाटर क्लोसेटस बाथरूम और सामान्य सुविधाओं का उस, भवन में इस्तेमाल के अधिकारों के साथ अन्य जुडनारों जैसे बाथरूप, प्रसाधन प्रसुविधाएं आदि का उपबंध करेगा। जो कि वांछित परिसर के पूर्ण और उचित उपयोग के लिए आवश्यक है जैसा कि किराएदार और स्वामी के सामान्य उपयोग के लिए है।
- प्रथम वर्ष में यथा लागू 126.50 रूपए प्रति वर्ग फुट घन लागू सेवा कर और उस पर दुसरे वर्ष से कवर और सामान्य दोनों क्षेत्रों के लिए 10 प्रतिशत वृद्धि
- अनुज्ञप्ति के अवसान पर बकाया शोध्य यदि कोई हों का समायोजन करने के पश्चात जिसके अंतर्गत नुकसान के लिए प्रतिदाय लागतें भी हैं जिसके अंतर्गत सामान्य टूट-फूट नहीं है अनुज्ञप्ति धारी को 7.12.158 रूपए की ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा रकम का प्रतिदाय किया जाएगा।
- अनुज्ञप्ति धारी को विद्युत के उपभोग पर उद्धुत वास्तवकि प्रभारों का संदाय करना होगा और अनुज्ञप्ति प्रदाता उक्त प्रयोजन के लिए स्वयं की लागत पर एक उप मीटर का प्रतिष्ठापन फिक्स करेगा।
- अनुज्ञप्ति धारी को अनुज्ञपित प्रदाता को 3.79 रूपए प्रति वर्ग फुट, प्रतिमास की दर से सामान्य क्षेत्र, लाइटनिंग सुरक्षा आदि के लिए और इस क्षेत्र में स्थापित एलएएन और ईएसएस पहुंच के लिए अनुरक्षण प्रभार का प्रदाय करना होगा। तथापि अनुज्ञप्ति धारी पेन्टरी, ई-मेल, इंरनेट और इंट्रानेट के लिए अपनी वास्तविक आवश्कतानुसार अपनी स्वयंकी अवसंरचना स्थापित कर सकेगा।

- अनुज्ञप्ति फीस का प्रदाय प्रत्येक मास 10 तारीख तक करना होगा जिसके न हो सकने पर अनुज्ञप्ति धारी व्यतिक्रम के लिए संदाय की देय तारीख से परे शष फीस की बकाया रकम के लिए 15 प्रशित वार्षिक की दर से व्यतिक्रम की अवधि के लिए ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।
- तीन मास तक अनुज्ञप्ति फीस का लगातार संदाय न करने की दशा में अनुज्ञप्ति प्रदाता के विकल्प पर अनुज्ञप्ति करार का प्रतिसंहरण या उसे रद्द किया जा सकेगा और अनुज्ञप्ति धारी जमा की गई प्रतिभूति रकम के समपरहण के लिए दायी होगा। अनुज्ञप्ति धारी अनुज्ञप्ति फीस का संदाय न करने के लिए व्यतिक्रम की अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का संदाय करने के लिए भी दायी होगा।
- स्टेंप फीस और रजिस्ट्रीकरण प्रभारों जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्ति करार तैयार करने के लिए अनुषंगिक लागत और व्यय भी है को अनुज्ञप्ति धारी द्वारा चुकाया जाएगा।
- अनुज्ञप्ति प्रदाता अनुज्ञप्ति धारी द्वारा संयुक्त कंपनी न रहने की दशा में अनुज्ञप्ति निबंधनों के पुनर्विलोकन और उन पर पुन: बातचीत का अधिकार सुरक्षित रखता है।

लकवा स्थित परिसर :

कंपनी का एक परियोजना कार्यालय गेल के स्वामित्वाधीन, गेल (इंडिया) लिमिटेड के एलपीजी संयंत्र, लकवा, शिव सागर, असम के परिसर के एक भाग से कार्य कर रहा हा और इसका कंपनी द्वारा अनुज्ञप्ति के आधार पर उपयोग किया जा रहा है।

अनुज्ञप्ति के तात्विक निबंधन और विशिष्टियां नीचे दिए अनुसार है।

- परिसर का कुल क्षेत्र 73.36 वर्ग मीटर है।
- अनुज्ञप्ति दो वर्ष की अवधि के लिए 1.4.2014 से 31.3.2015 तक के लिए है।
- परिसर के लिए मासिक अनुज्ञप्तिफीस जिसके अंतर्गत वैधुत और हाउसकीपिंग प्रभार हैं 9,537 रूपए धन लागू कर है।

पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति यों के नवीकरण की विद्यमान निबंधनों के अवसान पर कंपनी के संबंधित कार्यालय /एकक के बाधा रहित कार्य करने के लिए अपेक्षा होगी। धृति कंपनी के स्वामित्वाधीन अन्य परिसरों के पट्टे/अनुज्ञप्ति का भी भविष्य में कंपनी के विभिन्न स्थानों पर कार्यालय और एककों के लिए उपयोग किया जाएगा जिसके लिए कंपनी के निदेशक बोर्ड को अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 और अन्य लागू उपबंधों के अनुसरण में शेयर धारकों की सहमति की वांछा की जा रही है।

आपके निदेशक शेयर धारकों से अनुमोदन के लिए संकल्प की सिफारिश करते हैं। कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके नातेदार सिवाय श्री बी.सी त्रिपाठी जो गेल के अध्यक्ष सा प्रबंध निदेशक हैं इस संकल्प में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के अर्थ में हितबद्ध नहीं है।

एजेंडा संख्या 12

यह एजेंडा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अधीन कंपनी और उसकी धृति कंपनी के बीच निम्नलिखित कर्मचारियों से संबंधित संव्यवहार का अनुमोदन करने के लिए है।

गेल के कार्यकारियों की संयुक्त उद्यम कंपनियों में प्रतिनियुक्ति पर तैनाती के साधारण निबंधनों और शर्तों के अनुसार गेल (इंडिया) लिमिटेड के कार्यकारियों की कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर तैनाती, की तात्विक विशिष्टयों नीचे दिए अनुसार हैं :

- प्रतिनियुक्ति पर तैनाती की अवधि बीसीपीएल की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार किन्तु किसी भी दशा में यह तीन वर्ष से

अधिक नहीं होगी सिवाय तब जब अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, गेल (इंडिया) लिमिटेड की पूर्वानुमति अभिप्राप्त नहीं कर ली जाती है। अवधि के अंत में कार्यकारी गेल को प्रत्यावर्तित कर दिए जाएगे।

- प्रतिनियुक्ति की अवधि का कोई स्वत: विस्तार नहीं होगा और तीन वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि के पश्चात कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता संदेय नहीं होगा।
- प्रतिनियुक्ति व्यक्ति गेल (इंडिया) लिमिटेड में उसके वैयक्तिक वेतन एवं वेतनमान के अनुसार साधारण नियमों के समय-समय पर प्रचालन के अधीन अनुज्ञेय वेतन एवं भत्ते प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त वह 8,000/- रूपए प्रतिमास की सीमा के अधीन रहते हुए मूल वेतन के 15 प्रतिशत मासिक की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता भी प्राप्त करेगा।
- यथा विनिर्दिष्ट वेतन और भत्तों का संदेय गेल द्वारा गेल के नियमों के अनुसार किया जाएगा जिसके लिए तत्पश्चात गेल, कंपनी से (सीटीसी) के आधार पर यथोचित लागत के आधार पर भुगतान प्राप्त करेगी।
- प्रतिनियुक्त व्यक्ति उसी ग्रेड और वेतनमान में बना रहेगा जो उसका गेल में है, उसे गेल में लियन और अपनी ज्येष्ठता और अन्य सेवा अभिलाभ जैसे गेल में प्रोन्नति के लिए प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान विचारण आदि अन्य फायदों के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।
- प्रतिनियुक्त व्यक्ति ऐसा पद धारण करेगा और अपने दायित्वों का सावधानी से पालन करेगा जो बीसीपीएल द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाए। वह बीसीपीएल के समग्र नियत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा। तथापि, कार्यकारी का प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान गेल के सेवा आचरण, अनुशासन और अपील नियमों (सीडीए नियम) द्वारा शासित होना जारी रहेगा।
- प्रतिनियुक्ति पर गेल के कर्मचारियों का प्राक्कलित वेतन वित्त वर्ष 2014-15 के लिए 22 करोड़ रूपए (लगभग) है।

- कंपनी केकर्मचारियों को गेल के वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार गेल प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है। इसके अतिरिक्त गेल (इंडिया) लिमिटेड की पेट्रोरसायन इकाइयों में कार्यकारियों को तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान 30 रासायनिक इंजीयिरों को पाटा स्थित गेल पेट्रो-रसायन संयंत्र में 59,40,000/- रूपए की कुल लागत से प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के उपबंधों और अन्य लागू सभी उपबंधों के अनुसरण में पूर्वोक्त कर्मचारी संबंधित मामलों पर शेयरधारकों की सहमति की बांछा की जाती है।

आपके निदेशकों ने शेयरधारकों से अनुमोदन के लिए संकल्प की सिफारिश की है। कोई निदेशक, कंपनी का कोई प्रबंधकीय कार्मिक या उनके नातेदार सिवाय श्री बी.सी. त्रिपाठी के जो गेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 184 के निबंधनों के अनुसार प्रस्तावित संकल्प से संबंधित/हितबद्ध नहीं हैं।

एजेंडा संख्या 13

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी को 12,00,00,00,000/- रूपए (केवल बारह हजार करोड़ रूपए) से बढ़ा दिया गया है उसे 1,20,00,00,000/- रूपए (एक सौ बीस करोड़ रूपए) में 10/- रूपए (दस रूपए) के साम्या शेयरों में प्रत्येक के

20,00,00,00,000/- रूपए (केवल दो हजार करोड़ रूपए) के साम्या शेयरों को 200,00,00,000/- रूपए (दो सौ करोड़ रूपए) में विभाजित कर दिया गया है। इस समय कंपनी की संदत्त शेयर पूंजी 11,328,715,600.00/- रूपए (एक हजार एक सौ बत्तीस करोड़ सतासी लाख पन्द्रह हजार छः सौ रूपए मात्र) है।

29.08.2013 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों ने बोर्ड को समय-समय पर कुल 13,00,00,00,000/- रूपए (एक हजार तीन सौ करोड़ रूपए मात्र) की समग्र रकम तक शेयर जारी करने, उनका प्रस्ताव करने और आबंटित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया था। परियोजना लागत के पुनरीक्षण के प्रस्ताव के नद्देनजर जो कि सरकार के विचाराधीन है, साम्या संघटक के बढ़ने की संभावना है और इसलिए बोर्ड की प्राधिकरण सीमा को 150,00,00,000/- रूपए (एक हजार पांच करोड़ रूपए मात्र) तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

संयुक्त उद्यम करार के अनुसार कंपनी की अंशदायी पूंजी को निम्नलिखित समानुपात में किसी दिए गए समय में आबंटित करने की अपेक्षा है और अंशदान के परिकल्पित अनुपात में और अनुमोदित कारबार योजना के अनुसार संप्रवर्तकों का आह्वान किया जा रहा है :

गेल	70 प्रतिशत
ओआईएल	10 प्रतिशत
एनआरएल	10 प्रतिशत
असम सरकार	10 प्रतिशत

संयुक्त उद्यम करार के निबंधनों के अनुसार संप्रवर्तक शेयरों के प्रस्ताव में अंशदान करने का आशय रखते हैं जैसाकि कंपनी परियोजना के लिए सहमत साम्या विभाजन अनुपात के अनुसार समय-समय पर प्रस्ताव करे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 के उपबंधों और अन्य सभी लागू उपबंधों के अनुसरण में निदेशक बोर्ड को अपने विवेकानुसार ऐसी रीति में जो शेयरधारकों और कंपनी के हितों के प्रतिकूल न हो, शेयर जारी करने के लिए प्राधिकृत करने के लिए शेयरधारकों की सहमति की बांछा की जाती है।

आपके निदेशक शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए संकल्प की सिफारिश करते हैं। कोई निदेशक, कंपनी का कोई प्रबंधकीय कार्मिक या उनके नातेदार प्रस्तावित संकल्प से संबंधित/हितबद्ध नहीं है।

एजेंडा संख्या 14

कंपनी को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन असम गैस क्रैकर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निगमित किया गया था। यह अभी भी कार्यान्वयन के चरण में है और इसने प्रचालन आरंभ करना है।

श्री पी.एन.प्रसाद को निदेशक बोर्ड द्वारा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नियुक्ति आदेश संख्या 45012/4/2011 पीसी-1 तारीख 30.12.2011 के अनुसरण में तारीख 11.01.2012 से प्रबंध निदेशक नियुक्ति किया गया। नियुक्ति आदेश के निबंधनों के अनुसार उन्हें 75,000/--90,000/- रूपए के वेतनमान में नियुक्ति किया गया था। नियुक्ति के समय उनका मूल वेतन 82,400/- रूपए था और उनकी परिलब्धियां और फायदे सरकार द्वारा जारी नियुक्ति निबंधनों और शर्तों के अनुसार हैं।

प्रबंध निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति से पूर्व श्री पी.एन.प्रसाद कंपनी की परियोजना का मुख्य प्रचालन अधिकारी के रूप में 22.02.2011 से नेतृत्व कर रहे थे। श्री प्रसाद मानव संसाधन में एमबीए के साथ यांत्रिक इंजीनियर हैं। पिछले दशक में अनेक वर्षों से वह गेल के पाटा पेट्रो-रसायन संयंत्र के साथ सहबद्ध थे। पिछले 25 वर्षों के दौरान श्री प्रसाद ने प्रचालन एवं अनुरक्षण, परियोजना, प्रबंधन और संविदा प्रबंधन ादि के क्षेत्रों में विभिन्न अनुभव और सक्षमताएं प्राप्त की हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के साथ, पूर्णकालिक निदेशकों को नियुक्ति एवं प्रबंधकीय

पारिश्रामिक के संबंध में उपबंधों की बाबत उपलब्ध छूटें अबे उपलब्ध नहीं हैं और नई छूटों को इस सूचना की तारीख तक अधिसूचित नहीं किया गया है। इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन शेयरधारकों की सहमति श्री पी.एन. प्रासद, प्रबंधनिदेशक की नियुक्ति एवं प्रबंधकीय पारिश्रमिकों के संदाय के लिए बांछा की जाती है जैसाकि संकल्प में वर्णित है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196, धारा 197, धारा 103 और अन्य लागू उपबंधों के म..नजर आपके निदेशक शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए संकल्प की सिफारिश करते हैं। कोई निदेशक, कंपनी का कोई प्रबंधकीय कार्मिक या उनके नातेदार सिवाय श्री पी.एन. प्रसाद के प्रस्तावित संकल्प से संबंधित/हितबद्ध नहीं हैं।

एजेंडा संख्या 15

कंपनी को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन असम गैस क्रैकर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निगमित किया गया था। यह अभी भी कार्यान्वयन के चरण में है और इसने अभी प्रचालन आरंभ करना है।

श्री ओ.पी.टेलर को निदेशक बोर्ड द्वारा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नियुक्ति आदेश संख्या 45012/5/2012 पीसी-1 तारीख 13.05.2013 के अनुसरण में निदेशक (वित्त) तारीख 01.07.2013 से नियुक्त किया गया। नियुक्ति आदेश के निबंधनों के अनुसार उन्हें 65,000/- - 75000/- रूपए के वेतनमान में नियुक्ति किया गया था। नियुक्ति के समय उनका मूल वेतन 6,5000/- रूपए था और उनकी परिलब्धियां और फायदे सरकार द्वारा जारी नियुक्ति निबंधनों और शर्तों के अनुसार हैं।

श्री ओ. पी. टेलर एक चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं और वह राजस्थान विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक हैं। उनके पास इंजीनियरी, पेट्रो-रसायन और न्यूजप्रिट सेक्टर में 27 वर्ष का समृद्ध अनुभव है और उनके पास व्यापक कार्य अनुभव और कौशल है विशेष कर लागत कम करने के उपायों और मूल्य संवर्धन तकनीकों का। उन्होंने एनईपीए लिमिटेड (सीपीएसयू), असम पेट्रो-कैमिकल लिमिटेड (एपीएल) (राज्य पीएसयू) और बर्ण स्टैंडडे कंपनी लिमिटेड, कोलकाता (सीपीएसयू) में सेवा की है। वह 2004 से बोर्ड स्तरीय प्रास्थिति में हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के साथ, पूर्णकालिक निदेशकों को नियुक्ति एवं प्रबंधकीय पारिश्रामिक के संबंध में उपबंधों की बाबत उपलब्ध छुटें अब उपलब्ध नहीं हैं और नई छूटों को इस सूचना की तारीख तक अधिसूचित नहीं किया गया है। इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन शेयरधारकों की सहमति श्री ओ.पी. टेलर, निदेशक (वित्त) की नियुक्ति एवं प्रबंधकीय पारिश्रमिकों के संदाय के लिए बांछा की जाती है जैसाकि संकल्प में वर्णित है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196, धारा 197, धारा 103 और अन्य लागू उपबंधों के मद्देनजर आपके निदेशक शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए संकल्प की सिफारिश करते हैं। कोई निदेशक, कंपनी का कोई प्रबंधकीय कार्मिक या उनके नातेदार सिवाय श्री ओ. पी. टेलर के प्रस्तावित संकल्प से संबंधित/हितबद्ध नहीं हैं।

टिप्पण : इस कथन में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज सदस्यों के लिए कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में कार्य के सामान्य घंटों के दौरान वार्षिक साधारण बैठत की तारीख तक निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय सदस्य

मुझे आपके साथ कंपनी की सातवीं रिपोर्ट का सहभाजन करते हुए हुए बहुत हर्ष हो रहा है। मैं इस अवसर का उपयोग आपके साथ असम गैस क्रैकर परियोजना की प्रगति पर अपने विचारों को बांटने के लिए करूंगा।

आपकी कंपनी ने अंतिम वित्त वर्ष 2013-14 के अंत तक 96.4 प्रतिशत समग्र भौतिक कार्यनिष्पादन हासिल कर लिया है। टीम बीसीपीएल के अनवरत प्रयासो ने इस वर्ष। के अंत तक परियोजना के प्रतिष्ठापन का सुनिश्चय किया है और मैं यह आशा करता हूं कि इस परियोजना के प्रचालन से पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक वृद्धि में उल्लेखनीय तेजी आएगी। इससे संपूर्ण क्षेत्र को और विशिष्टतया असम को सामाजिक-आर्थिक लाभ उदभूत होंगे।

आपकी कंपनी के भविष्य के संदर्भ में यह प्रंशसनीय है कि पेट्रो-रसायन उद्योग देश में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाले उद्योगों में से एक है जिसमें प्लास्टिक और पॉलिमरों में सबसे अधिक बृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त पॉलिमरों के लिए पूर्वोत्तर बाजार के हमारे निर्धारण के अनुसार यह विश्वास करने का कराण है कि आपकी कंपनी के पॉलिमर उत्पादन के एक सारवान भाग का अवशोषण इस क्षेत्र में ही हो जाएगा, जिससे इसे माल-भाड़े के अर्थ में इस क्षेत्र से बाहर के प्रतियोगियों के ऊपर एक बढ़त हासिल होगी। 500 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले हुए तिनसुकिया प्लास्टिक पार्क की स्थापना करने में राज्य सरकार द्वारा की गई पहल का भी विशेष वर्णन करने की आवश्यकता है, जिसमें पॉलिमर सेक्टर में महत्वपूर्ण कंपनियों द्वारा अनुप्रवाही इकाइयां स्थापित करने की आशा है। अनुप्रवाही सेक्टरों में पॉलिमरों की स्थानीय खपत और रोजगार अवसरों का सृजन हिस्से आवश्यक रूप से प्रवाहित होगा। गेल (इंडिया) लिमिटेड आपकी कंपनी के उत्पादों का एकमात्र विपणनकर्ता है और उनके द्वारा शत-प्रतिशत उत्पाद निकासी तथा भारत के साथ साथ निकटवर्ती देशों में विभिन्न क्षेत्रों में विक्रय के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं।

मुझे आपके साथ यह बांटते हुए हर्ष हो रहा है कि कंपनी शनै-शनै सफलतापूर्वक अपने मानव पूंजी आधार का अपेक्षित संख्या और गुणवत्ता दोनों के अर्थ में विस्तार करने के साथ-साथ विभिन्न नीतियों और प्रणालियों के माध्यम से समुचित प्रचालन और कार्य संस्कृति का सुनिश्चय कर रही है।

यह वास्तव में प्रशंसनीय है कि कंपनी अपने प्रारंभिक दिनों से ही समाज के प्रति अपने दायित्वों से सुभिज्ञ है। स्वास्थ्य देख-रेख, स्वच्छता, शिक्षा, अवसंरचना विकास एवं पर्यावरण और साक्षरता वृद्धि के बल देनेवाले क्षेत्रों के रूप में आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उत्तराखंड में सहायता और पुनर्वास गतिविधियों, संपर्क में वद्धिकरने के लिए सड़क बनाने, पेयजल आदि के लिए योगदान दिया है। आपकी कंपनी ने वहनीय विकास का सुनिश्चय करने के लिए भी कदम उठाए हैं और इस पर एक समग्र नीति पर कार्य कर रही है।

मैं इस अवसर को निदेशक बोर्ड के संकल्प को पुष्ट करने के लिए लेता हूं कि आपकी कंपनी के प्रबंध में पारदर्शिता का सुनिश्चय हो सके। शुरूआत से ही निगम शासन की नीतियों का अनुसरण करने के लिए प्रयास किए जा रहे है। निगम शासन पर एक रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है।

नि:संदेह परियोजना अपने सबसे अधिक महत्वपूर्ण चरण में है और मैं आपको यह आश्वासन देना चाहूंगा कि हम इसे हासिल करने के अपने प्रयासों में ढील नहीं आने देंगे। मैं यह विश्वास करता हूं कि जितनी बड़ी चुनौती होती है उतनी ही उत्साहवर्धक सफलता होती है। परियोजना को प्रतिष्ठापित करने का लम्बा इंतजार अब एक वास्तविकता बनने जा रहा है, हम भारत सरकार और संप्रवर्तकों अर्थात गेल (इंडिया) लिमिटेड, असम सरकार, नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड से हाथ में कार्य के हमारे प्रयासों में और एक आशावान भविष्य के लिए सत्त प्रयासों में निरंतर सहायता का आग्रह करते हैं।

बी.सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

आपके निदेशकों को कंपनी की सातवीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखा विवरण प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

परियोजना प्रगति

आपकी कंपनी परियोजना निष्पादन के अंतिम चरण में है और उसने पुनरीक्षण के अधीन वर्ष के दौरान 100 प्रतिशत संचित लक्ष्य अनुसूची के मुकाबले 96.4 प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल की है। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने और दिसम्बर, 2013 तक प्रतिष्ठापन की पुनरीक्षित अनुसूची का अनुमोदन कर दिया है। तथापि, विभिन्न कारणों से जिसके अंतर्गत बंद,हड़तालों, बरसात, त्यौहारों और अन्य के कारण कार्यदिवसों के नुकसान के कारण यूनिट क्षेत्र, यांत्रिक ठेकेहारों एवं पैकेज ठेकेदारों ने धीमी प्रगति का प्रदर्शन किया है। सामग्रियों की चोरी, उनके खो जाने,मुख्य यांत्रिक ठेकेदार की अभिरक्षा में पाइपिंग सामग्रियों की हानि और स्थानीय कुशल श्रमिकों की उपलब्धता में कमी शामिल है, कार्य टला है और कार्यान्वयन योजना को पुन: बनाया गया तथा कार्य टलने पर पर ध्यान दिया गया ताकि और विलंब से बचा जा सके। पुनरीक्षित अनुसूची के अनुसार जोकि अनुमोदन के लिए भारत सरकार के विचाराधीन है। मार्च, 2015 तक इस के प्रतिष्ठापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष के दौरान परियोजना के मुख्य बिंदु

- विस्तृत इंजीनियरिंग : सपूर्ण विस्तृत इंजीयिरिंग संकर्म को पूरा कर लिया गया है।
- आदेश करना : 100 प्रतिशत आदेश करने के कार्य को पूरा कर लिया गया है।
- विनिर्माण एवं परिदान : 100 प्रतिशत विनिर्माण

Cooling Tower-I

Gas Sweetening & C2+ Recovery Unit

Captive Power Plant

एवं परिदान को पूरा कर लिया गया है।

- निविदाकरण : सभी निविदाएं दे दी गई हैं।
- **संनिर्माण :**

  सभी प्रमुख प्रंसस्करण इकाइयों और ऑफ साइट के सिविल संकर्मों को पूरा कर लिया गया है। यांत्रिक, वैद्युत और उपस्कर संकर्म अविरल गति से चल रहे हैं। उपयोगिताओं एवं आप साइट कम्प्रैशर स्टेशन एवं जीडीयू एवं सी2+ रिकवरी इकाई की पहली धारा के कार्य को पूरा कर लिया गया है। नाफ्था, पाइरोलिसिस ईंधन तेल, एचपीजी, आरपीजी के लिए भंडारण प्रसुविधाएं तैयार हैं।

- **पूर्व प्रतिष्ठापन एवं तालू करना :**

  उपयोगिताओं एवं आफ साइट इकाइयों के पूर्व प्रतिष्ठापन एवं चालू करना आरंभ कर दिया गया है। गैस स्वीदनिंग इकाई/सी2+ रिकवरी इकाई, बीसीपीएल, लपेटकाटा के पूर्व प्रतिष्ठापन कार्यकलाप पूरी तरह से चल रहे हैं। लपेटकाटा-दलियाजान की 18'' ओडी की दोहरी 48 किलोमीटर लम्बी पाइपलाइन प्रतिष्ठापित कर दी गई है। कम्प्रैशर स्टेशन एवं जीडीयू, दुलियाजान में प्रतिष्ठापित ईंधन गैस बूस्टर कम्प्रैशर चालू कर दिए गए हैं। लपेटकाटा में 22.5 एमडब्लयू जीटीजी-1 पूरा होने के उन्नत चरण में हैं।

- **स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण**

  संनिर्माण,पूर्व प्रतिष्ठापन प्रक्रम पर सुरक्षा से संबंधित सभी देखभाल की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान रिपोर्ट करने योग्य कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई। संचित आधार पर 70 मिलियन दुर्घटना मुक्त मानव घंटे हासिल कर दिए गए हैं।

वित्तीय प्रगति

परियोजना के पूरे होने के नजदीक पहुंचने के साथ ही फर्म की वित्तीय प्रतिबद्धताएं 8855.51 करोड़ रूपए से अधिक बढ़ गई हैं और पुनरीक्षण के अधीन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 86 प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल कर ली गई है।

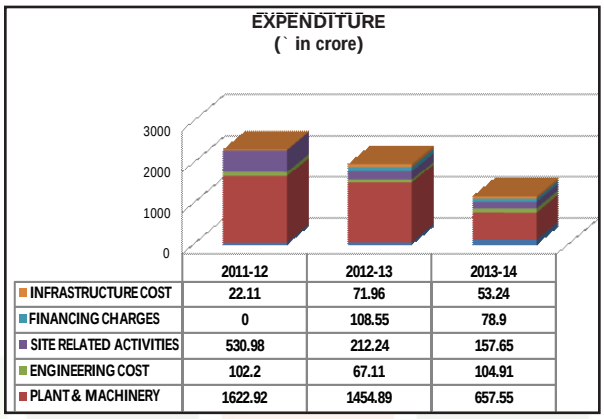

	2011-12	2012-13	2013-14
INFRASTRUCTURE COST	22.11	71.96	53.24
FINANCING CHARGES	0	108.55	78.9
SITE RELATED ACTIVITIES	530.98	212.24	157.65
ENGINEERING COST	102.2	67.11	104.91
PLANT & MACHINERY	1622.92	1454.89	657.55

वर्ष के दौरान 7671.12 करोड़ रूपए के संचित व्यय में 1180.31 करोड़ रूपए का कुल व्यय उपगत किया गया। आपकी कंपनी की प्राचधिकृत शेयर पूंजी बढ़कर 1132.87 करोड़ रुपए हो गई है। वर्ष के दौरान रसायन और उर्वरक विभाग, भारत सरकार से 995.24 करोड़ रूपए की पूंजी सहायिकी प्राप्त की गई है

जिसके अंनर्गत 18.28 करोड़ रूपए की अतिरिक्त पूंजी सहायिकी के अन्यत्र उपयोग से ब्याज आय (करों को छाड़कर) को 2013-14 की अवधि के लिए पूंजी सहायिकी में जोड़ दिया गया है।

वर्ष के अंत तक आपकी कंपनी ने भारत सरकार से कुल स्वीकृत पूंजी सहायिकी की रकम को प्राप्त कर लिया है, इस संपूर्ण रकम का उपयोग कर लिया गया है। 488.42 करोड़ रूपए के प्रतिभूत ऋणों का भी ओआईडीबी और एसबीआई से आहरण कर लिया गया है और 31 मार्च, 2014 को कुल प्रत्यभूत ऋण 1280.05 करोड़ रूपए थे।

आपकी कंपनी ने पुनरीक्षित वित्तीय क्लोजर हासिल किया है, ऐसा कंपनी ने स्टेट बैंक आफ इंडिया के साथ 1699 करोड़ के साथ आवधिक ऋण का इंतजाम करके किया है, कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक के नेतृत्व वाले संघ से उच्च लागत आवधिक ऋण करार को बदलकर पुनरीक्षित वित्तीय समाप्ति प्रबंधन हासिल किया है। एसबीआई के साथ वर्तमान प्रबंधन में ब्याज की दर पीएनबी के नेतृत्व में ऋणदाताओं के संघ द्वारा प्रभारित 11.50 प्रतिशत के मुकाबले 10.45 प्रतिशत है।

परियोजना लागत

सीसीईए ने 16 नवम्बर, 2011 को 8920 करोड़ रूपए की पुनरीक्षित परियोजना लागत का अनुमोदन कर दिया है : तथापि, समय और लागत के बढ़ने के साथ, परियोजना लागत का आकलन 9586.25 करेड़ रूपए किया गया है और इसके अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है और यह अनुमोदन की प्रक्रिया के अधीन है।

कारबार योजना 2013-14

वर्ष के लिए कारबार योजना 2397.38 करोड़ रूपए है जिसकी तुलना में वास्तविक व्यय के प्रमुख शीर्षों में संयंत्र एवं मशीनरी (657.55 करोड़ रुपए), इंजीनियरी लागत (10.4.91 करोड़ रूपए), साइट से संबंधित प्रसुविधाएं (157.65 करोड़ रूपए), वित्तपोषण प्रभार (78.90 करोड़ रूपए)।

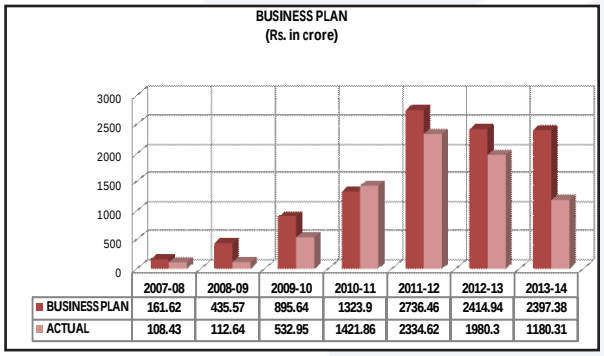

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
BUSINESS PLAN	161.62	435.57	895.64	1323.9	2736.46	2414.94	2397.38
ACTUAL	108.43	112.64	532.95	1421.86	2334.62	1980.3	1180.31

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा अर्जन और आउटगो

परियोजना निष्पादन के स्तर पर होने के कारण ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समावेशन करने तथा विदेशी मुद्रा अर्जन के कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 217(1)(ई) के साथ पठित कंपनी नियम (निदेशक का वार्षिक लेखे में विवरण का प्रकटीकरण)1988 के अनुसार प्रकटन के अभी कोई मामले नहीं हैं। तथापि, कंपनी ने अपनी विभिन्न इकाइयों के लिए प्रौद्योगिकी के आयात के लिए निम्नलिखित लाइसेसदाताओं के साथ अनुबंध में प्रवेश किया है।

एकक	अनुज्ञस्तिदाता
एथीलीन क्रेकर इकाई एलएलडीपीइ/एचडीपीई	- लम्मस टेक्नोलॉजी, युएसए
स्विंग ईकाई	- ईनीऑस, युके
पोलिप्रोपिलीन ईकाई	- लुमिनस नोवोलोन जार्मनी

तकनीकी जानकारी के आयात के मद्दे, स्वदेशी ठेकों और आपूर्ति के मद में 64.20 करोड़ रुपए का पुनरीक्षण के अधीन वर्ष के दौरान व्यय किए गए।

कर्मचारियों की विशिष्टियां

कोई भी कर्मचारी 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, कंपनी (कर्मचारियों की विशिष्टियां) नियम, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अधीन विनिर्दिष्ट पारिश्रमिक का आहरण कर रहा है।

मानव संसाधन

आपकी कंपनी गुणवत्तापूर्ण मानव पूंजी को आकृष्ट करने, प्रतिधारित करने और उसका विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है, यह इस बात को मानती है कि विशिष्टत्या उसकी अलाभकारी प्रस्थिति पर विचार करते हुए संगठन को आज सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी स्रोत उपलब्ध हैं। आपकी कंपनी में मानव संसाधन प्रबंधन पर ध्यान देने के प्रमुख क्षेत्र हैं कि कंपनी गुणवत्ता के लोगों को भर्ती कर रही है, प्रशिक्षण दै रही है, प्रोत्साहित कर रही है और कार्य स्थान पर सुरक्षा का सुनिश्चय करके उन्हें प्रतिधारित कर रही है। आपकी कंपनी अपनी मानव पूंजी की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगातार निर्धारण कर रही है और प्रबंधकीय कृत्य, तकनीकी कृत्य, कारबार एवं नेतृत्व, जोखिम प्रबंधन, व्यवहार विकास और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जैसे विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण समय-समय पर प्रदान कर रही है जिससे उनके विकास के साथ-साथ कंपनी की भी बृद्धि हो सके।

परियोजना निष्पादन चरण में होने के बावजूद, आपकी कंपनी साथ-साथ उसके कर्मचारियों के कुटुम्बों के वास के लिए नगरों का संनिर्माण कर रही है। विभिन्न प्रकार के क्वार्टर संनिर्माण के अधीन हैं, कुछ पूरे हो गए हैं और पात्र कार्यकारियों को आबंटित कर दिए गए हैं। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार 24 क्वार्टर आबंटित कर दिए गए हैं जो कर्मचारियों को परिसर में ही उनके कुटुम्बों के साथ निवास करने में समर्थ बनाते हैं।

बीसीपीएल कर्मचारिवृंद कल्याण समिति का वर्ष 2013 में गठन किया गया है जिसके पश्चात सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा कार्यकलापों के लिए दो उपसमितियों का

गणतंत्र दिवस खेल कुड प्रतियोगिता

गठन किया गया। विभिन्न सांस्कृतिक समारोह, क्रीड़ा कार्यकलाप और प्रतिस्पर्धाओं का इन समितियों द्वारा नगर में आयोजन किया गया है। इन सभी प्रयासों नें कर्मचारियों में एक अपनत्व की भावना को बढ़ावा दिया और परियोजनाओं को द्रुत गति से पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी में जनशक्ति की संख्या 355 थी जिसके अंतर्गत 289 कार्यकारी और 66 गैर-कार्यकारी थे जिसमें से 63 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र से हैं। इसके अतिरिक्त 49 कार्यकारी प्रस्तावक कंपनी अर्थात गेल से प्रतिनियुक्ति पर हैं।

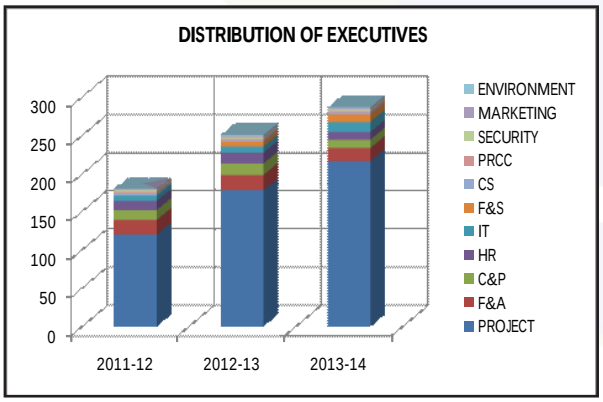

प्रतिस्थापन और संयंत्र के पश्चातवर्ती प्रचालन एवं अनुरक्षण पर विचार करते हुए वास्तव में आपकी कुल कार्यशक्ति 625 (431 कार्यकारी+194 गैर-कार्यकारी) होगी। भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। महिला कर्मचारियों और अल्पसंख्यकों जो क्रमश: कुल कर्मचारी शक्ति का 11 प्रतिशत और 6 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है।

कुशल / अर्ध-कुशल / अकुशल संकर्मों के लिए स्थल पर कार्य कर रहे ठेकेदारों के माध्यम से स्थानीय श्रमिकों को नियोजित करने के लिए भी पूर्विकता प्रदान की जा रही हा।

औद्योगिक संबंध

लपेटकाटा स्थल पर परियोजना में इस समय लगभग 4500 ठेका श्रमिकों को नियोजित किया गया हैं। मध्यवर्ती श्रमिक मुद्देयों जिनसे इस आकार के संयंत्र पर बचा नहीं जा सकता है, को शीघ्रता से प्रबंधन द्वारा श्रमिक प्राधिकारियों के कार्मिकों के साथ निकट समन्वय के माध्यम से शीघ्र मध्यक्षेप करके हल किया जा रहा है। सुलह अधिकारी की उपस्थिति में सभी प्रमुख ठेकेदारों और श्रमिकों/संघों के प्रतिनिधियों के बीच निपटान ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि कार्यस्थल पर नियोजति ठेका श्रमिकों को विभिन्न फायदों और प्रतिकार के संबंध में सभी विसंगतियों को दूर किया जा सके।

आपकी कंपनी का लोक शिकायत निपटान प्रकोष्ठ (पीजीआरसी) है, जिससे परियोजना स्थल पर कार्य कर रहे ठेका श्रमिकों की शिकायत का निपटान किया जा सके। पीजीआरसी मानव संसाधन विभाग में विभिन्न श्रमिकों से संबंधित मुद्देयों के ऊपर प्राप्त सभी शिकायतों का निपटान करने के साथ-साथ प्रमुख ठेकेदारों और श्रमिकों/संघों के प्रतिनिधियों के बीच सुलह अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षरित एमओएस के सफल कार्यान्यन की भी निगरानी कर रहा है। आपकी कंपनी विभिन्न कानूनी उपबंधों के साथ-साथ लागू श्रम विधियों का स्वयं और कार्यस्थल पर सभी ठेकेदारों द्वारा अनुपालन करने का सुनिश्चय

करती है। समय-समय पर नियोजन, कंपनी की नीतियों आदि से संबंधित अनेक स्थानीय संगठनों से प्राप्त विभिन्न मांगों को परियोजना के हित में प्रभावी रूप से निपटाया गया है।

बोर्ड की बैठकें और निदेशक बोर्ड एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक में परिवर्तन

पुनरीक्षण के अधीन वर्ष के दौरान निदेशक बोर्ड की 9 बैठकें आयोजित की गईं और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

1. श्री एस.एल. रैना 1.6.2013 से निदेशक नहीं रहे।
2. श्री ओम प्रकाश टेलर को 1.7.2013 से निदेशक (वित्त) नियुक्त किया गया था।
3. डॉ.ए.जे.वी.प्रसाद संयुक्त सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट को 30.07.2013 से श्रीमती नील कमल दरबारी के स्थान पर निदेशक नियुक्त किया गया था।
4. श्री निकुंज कुमार वास्तव, निदेशक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट को 30.8.2013 से श्रीमती सुषमा ताइशेते के स्थान पर निदेशक नियुक्त किया गया था।
5. श्रीसच्चिदानंद रथ, निदेशक (प्रचालन), ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) को ओआईएल द्वारा 1.10.2013 से श्री टी.के. आनंत कुमार के स्थान पर निदेशक नियुक्त किया गया था।
6. श्रीअविनाश जोशी, संयुक्त सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट को 29.10.2013 से डॉ. ए.जे.वी. प्रसाद के स्थान पर निदेशक नियुक्त किया गया था।
7. श्री दीपक चक्रवर्ती 1.4.2014 से प्रबंध निदेशक, नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से 31.3.2013 को अपनी अधिवर्षिता पर उनके द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र के कारण 1.4.2014 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे।

निगम सामाजिक उत्तरजदायित्व

आपकी कंपनी की पर्यावरण संरक्षण, पेयजल एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य देख-रेख, शिक्षा एवं साक्षरता वृद्धि और सामुदायिक विकास एवं अवसंरचना के बल देने वाले क्षेत्रों के रूप में निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए नीति है।

एक जिम्मेदार निगम नागरिक के रूप में आपकी कंपनी उसके प्रतिष्ठापन से लगे हुए क्षेत्रों के साधारण लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कार्य करने के प्रति प्रतिबद्ध है। वर्ष 2013-14 के लिए निगम सामाजिक उत्तरदायित्व महलों की पहचान की गई और स्थानीय जिला प्राधिकारियों के साथ परामर्श से उन्हें हाथ में लिया गया है। एक आंतरिक क्रॉस कृत्य समिति पुनरीक्षण और जांच के पश्चात कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावों की सिफारिश करती है। आपकी कंपनी ने पुनरीक्षण वर्ष के अधीन अपने निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए एक करोड़ रूपए की प्रतिबद्धता की है।

वर्ष के दौरान हाथ में ली गई कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं नीचे दिए अनुसार हैं :

1. उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत और पुनर्वास कार्यकलापों के लिए अंशदान।
2. जोकाई बोंगांओं 31 घरिया पाथ, डिब्रूगढ़ का संनिर्माण।
3. फूल बागान, डिब्रूगढ़ के नजदीक एचटीडब्ल्यू (पेयजन प्रसुविधा) का प्रतिष्ठापन।

बहनीय विकास

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान संयंत्र के चारों ओर 3000 अतिरिक्त वृक्षों का रोपण करके हरित बैलट के कार्य को हाथ में लेकर पूरा कर लिया है और इनके साथ कुल 5200 वृक्ष 13 लाख रूपए के संचित व्यय से अब तक रोपित किए जा चुके हैं। आपकी कंपनी संनिर्माण और अन्य अवशिष्ट के समुचित निपटान के लिए विभिन्न कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार पर्यावरण के अनुकूल रीति में प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त दुलियाजान और लपेटकाटा के, प्रचालन के लिए सहमति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम से क्रमश : 5.12.2013 और 13.1.2014 को पुनरीक्षण के अधीन वर्ष के लिए अभिप्राप्त कर ली गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

कंपनी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसरण में जारी सरकारी अनुदेशों का पालन करती है और उसने एक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपील प्राधिकारी को अधिनियम के अधीन पदनामित किया है। वर्ष के दौरान 12 प्रश्न प्राप्त किए गए थे और विनिर्दिष्ट समय के भीतर उनका उत्तर दिया गया था।

कानूनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

मैसर्स दास एंड शर्मा, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, गुवाहाटी को पुनरीक्षण वर्ष के अधीन भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक द्वारा आपकी कंपनी के लिए कानूनी लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था और उनकी रिपोर्ट इससे उपाबद्ध हैं।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक और महालेखपरीक्षक ने 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन कंपनी की अनुपूरक लेखापरीक्षा की। भारत के नियंत्रक और महालेखपरीक्षक की पुनरीक्षण अधीन वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं पर टिप्पणियां भी इससे उपाबद्ध हैं।

सचिव की लेखीपरीक्षा रिपोर्ट

मैसर्स नारायण शर्मा एंड एसोसिएट्स, व्यवसायरत कंपनी सचिव को अपनी कंपनी के पुनरीक्षण के अधीन वर्ष के लिए सचिव लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था और उसपर संप्रेक्षणों सहित बोर्ड के स्पष्टीकरणों के साथ रिपोर्ट इससे उपाबद्ध है।

प्रबंधकीय चर्चा एवं विश्लेषण

सीपीएसई के लिए निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा उपदर्शित प्रबंधकीय चर्चा विश्लेषण रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है।

निगम शासन

निदेशक की रिपोर्ट का एक भाग बनने वाला निगम शासन पर एक पृथक भाग और व्यवसायरत कंपनी सचिव द्वारा निगम शासन मानक जैसाकि सीपीएसई के लिए निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा उपदर्शित की अनुपालना की पुष्टि करने वाला प्रमाणपत्र एस वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

निदेशक बोर्ड द्वारा उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2कक) द्वारा अपेक्षित आपके निदेशक यह प्रतिज्ञान करते हैं कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार :

श्री पी. एन. प्रसाद, प्रबंध निदेशक द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर कोपलों का रेपण

बीसीपीएल स्थापना दिवस समारोह- श्री पी. एन. प्रसाद, प्रबंध निदेशक श्री गौतम बरुआ, निदेशक और अन्य के साथ

1. वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है और लेखांकन मानकों से कोई तात्विक प्रतिस्थान नहीं किया गया है।
2. अंगीकृत लेखांकन नीतियों को सतत रूप से लागू किया गया है और जहां आवश्यक है, निर्णय और आकलन किए गए हैं, जो युक्तियुक्त और बुद्धिमत्तापूर्वक हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की सही और न्याययुक्त तस्वीर प्रस्तुत की जा सके
3. पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों को कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी रखी गई है जिससे कंपनी की आस्तियां का सुरक्षोपाय किया जा सके और कपट तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाया जा सके और
4. चालू समुत्थान के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए गए हैं।

संबंधित पक्षकार का प्रकटन

संबंधित पक्षकार संव्यवहारों का वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग बनने वाले लेखाओं क टिप्पणियों में प्रकटन किया गया है।

जोखिम प्रबंधन नीति

आपकी कंपनी की जोखिमों की पहचान करने, उनका मूल्यांकन करने और उन्हें कम करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति है, नीति के अनुसार जोखिमों की पहचान जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निगम, संनिर्माण जिसके अंतर्गत प्रतिष्ठापन, प्रचालन एवं अनुरक्षण और विपणन है में कार्यकलापों को प्रवर्गीकरण करने के आधार पर की जाती है। पहचाने गए जोखिमों को उच्च, मध्यम और निम्न में जोखिम की संभाव्यता और संघात के आधार पर प्रवर्गीकृत किया जाता है।

परियोजना कार्यान्वयन चरण में होने के नाते, इस समय संनिर्माण एवं प्रतिष्ठापन जोखिम एक महत्वपूर्ण जोखिम है जिसकी लगातार सभी स्तरों पर जिसके अंतर्गत निदेशक बोर्ड, धृति कंपनी और सरकार है द्वारा लगातार पुनर्विलोकन किया जाता है।

आभार

आपके निदेशक रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रति उनके मार्गदर्शन और सहायता के लिए कृतज्ञ हैं। आपके निदेशक प्रस्थापकों, गैल, ओआईएल, एनआरएल और असम सरकार तथा उनके ऋणदाताओं, तेल उद्योग विकास बोर्ड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रति उनकी सतत सहायता के लिए सदैव कृतज्ञ रहेंगे। आपके निदेशक परियोजना विकास प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ईआईएल, बैंकरों, परामर्शदाताओं, आपूर्त्तकर्ताओं और विभिन्न मध्यवर्तियों के सतत सहयोग के लिए भी आभार प्रकट करते हैं। आपके निदेशक आंतरिक लेखापरीक्षकों, कानूनी लेखापरीक्षकों और भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक के कार्मिकों द्वारा दिए गए परामर्श और सहयोग की भी सराहना करते हैं। आपके निदेशक परियोजना के द्रुत निष्पादन के लिए और संठन को पूर्णत: कृत्यशील बनाने में परियोजना चरण के साथ सहबद्ध कठिनाईयों के होते हुए भी कर्मचारियों के प्रतिबद्ध प्रयासों पर भी आभार प्रकट करते हैं।

ह./-

तारीख : 18 जुन 2014
स्थान : नई दिल्ली

(बी.सी. त्रिपाठी)
अध्यक्ष

माननीय डॉ. एम. विरप्पा मोइली, संघ के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, माननीय श्री पवन सिंह घाटोवार, संघ के मंत्री, डीओएईआर, श्री बी. सी त्रिपाठी, अध्यक्ष, श्री पी. एन. प्रसाद, प्रबंध निदेशक और अन्य के साथ

असम गैस क्रैकर परियोजना एवं इंडियन चम्बर्स ओफ कामर्स द्वारा आयोजित अनुप्रवाही प्लास्टिक उद्योगों के संवर्धन पर कार्यशाला। बाएं से दाएं : श्री ए जे ओझा, अध्यक्ष, ओंल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन, श्री पी एन. प्रासाद, प्रबंध निदेशक, श्री प्रद्युत बोरदोलोई, माननीय मंत्री, उद्योग एवं वाणिज्य, विद्युत आदि, असम सरकार, श्री पबन सिंह घाटोवार माननीय मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग, श्री इंद्रजीत पाल, सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, श्री आर टी जिंदल, अपर मुख्य सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य, असम सरकार, श्री अविनाश जोशी, संयुक्त सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय।

प्रबंध चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग ढांचा और विकास

पॉलीमर जिन्हें साधारणतया प्लास्टिक के रूप में जाना जाता है और अधिकांश अन्य रसायन जिन्हें कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से उदभूत किया जाता है, अनुप्रवाह हाइड्रो कार्बन से मिलकर पॉलीमर बनता है, मूल्यवर्धित पैट्रो-रसायनिक उत्पादन आज दिन प्रतिदिन के उपयोग के उत्पादों की एक संपूर्ण रेंज में शामिल हो हए हैं जिनमें से कपड़ा और वस्त्र, कृषि, अवसंरचना, स्वस्थ्य देखभाल, फर्नीचर, ऑटोमोबाएल, सूचना प्रौद्योगिकी, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिकी, दूरसंचार, पैकेजिंग, आवासन, संनिर्माण, खिलौने, गृह उपयोगी मदों, उद्यान कृषि कुछ हैं। इनकी मांग अनिवार्यत: अर्थव्यवस्था और उसके संघटक सैक्टरों में समग्र बृद्धि पर निर्भर करती है। हाइड्रोकार्बन जो कि एक मूल्यवान और बहुमूल्य संसाधन है इसकी जीवन रेखा है। ऑलफिन जिसके अंतर्गत एथिलीन एवं प्रोपिलीन और एरोमेटिक्स जिसमें बैंजीन एवं जाइलीन आइसोमर शामिल हैं। पेट्रोरसायन कच्ची सामग्रियों के दो मुख्य वर्गों का निर्माण करते हैं।

पेट्रोरसायनिक सैक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ विश्व अर्थव्यवस्था का एख प्रमुख सेक्टर है तथापि, भारत का प्लास्टिक के विश्व व्यापार में भाग बहुत कम है। भारत में प्लास्टिक उद्योग बड़ा है किन्तु, सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाईयों में बंटा हुआ है जिनका एस क्षेत्र पर वर्चस्व है। ईस परिमाण की अर्थव्यवस्थाएं इसलिए इस अवसर का अनुकूलतम उपयोग करने में इसे सक्षम नहीं बनाती हैं। इसके बावजूद अधिकांशत: पेट्रोरसायनिक उद्योग देश में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाले उद्योगों में से एक है जिसमें प्लास्टिक और पॉलीमरों में अधिकतम वृद्धि हो रही है। भारत का और वेश्विक दोनों उद्योग वैश्विक मंदी से उबर रहे हैं और पेट्रोरसायनों के उत्पादन की अभिवृद्दि में सुधार होने की संभावना है। सामान्यत: उपयोग होने वाले पॉलीमर पोलीप्रोपिलीन (पीपी), पॉली विनायल क्लोराइड (पीवीसी), पोलीस्टाइरीन (पीएस) और पोलीथाइलीन (पीई) तथा एक्रीलोनाईट्राइल बुटाडीन स्ट्राइरीन (एबीएस) हैं। पीई तीन प्रकार का होता है-उच्च घनत्व का पोलीइथाइलीन (एचडीपीई), निम्न घनक्व का पोलीइथाइलीन (एलडीपीई), लीनियर निम्न घनत्व का पोलीइथाइलीन (एलएलडीपीई)।

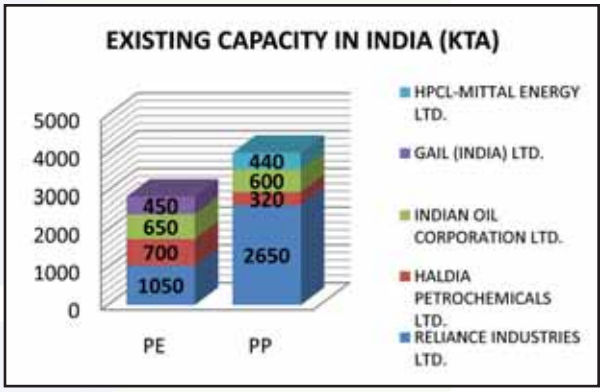

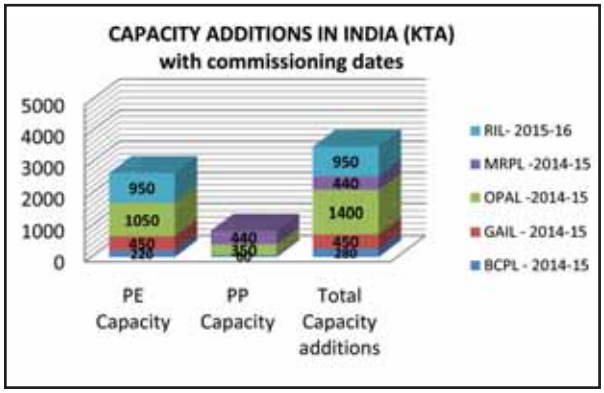

कंपनी के प्राइमरी उत्पाद पीपी, एलएलडीपीई और एचडीपीई का अनिवार्यत: उपयोग प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण में होता हैं। 12वीं योजना अवधि के लिए पेट्रोरसानों पर उपसमूह की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 में पॉलीमरों की संस्थापित क्षमता और मांग क्रमश: 8.98 एमटीपीए और 8.56 एमटीपीए थी, जिसके वर्ष 2017 में 14.00 एमटीपीए होने का अनुमान है।

नेफ्था और प्राकृतिक गैस पॉलीमर उद्योग के फीडस्टॉक के मुख्य स्रोत हैं तथापि, वैश्विक परिदृश्य में, विशिष्टता मध्यपूर्व और उत्तरी अमेरिका में उनके लागत प्रभावी मूल्य पर उपलब्ध होने के कारण इथेन, एलपीजी और मैथलोन-से-ओलेफिन इथिलेन के उत्पादन में तेजी से वैकल्पिक फीडस्टॉक के रूप में उभर रहे हैं। भारत में नेफ्था आधारित 5 और गैस अधारित 4 क्रैकर इकाइयां जिसके अंतर्गत कंपनी की स्वयं की इकाई है के वर्ष 2015 तक प्रारंभ होने की संभावना है।

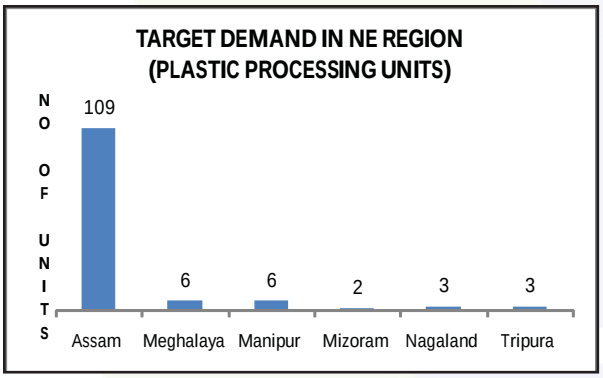

कंपनी द्वारा पूर्वोत्तर बाजार जिसमें असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा हैं, में अनुप्रवाह क्षमता का पता लगाने के लिए संचालित किए गए आंतरिक अध्ययन के अनुसार असम में पॉलीमर की वार्षिक खपत 123 केटीपीए है जबकि पूर्वोत्तर में केटीपीए का आकलन 134 है। एस क्षेत्र में अन्य कंपनियों के मुकाबले मालभाड़े के फायदे को ध्यान में रखते हुए प्रयास विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में अवस्थित इकाईयों को लक्ष्य करने के होने चाहिए और यह आशा की जाती है 280 केटी के वार्षिक पॉलीमर उत्पादन के महत्वपूर्ण भाग का इस क्षेत्र में अवशोषण होगा।

भारत का पेट्रोरसायानों का बाजार अंतर्राष्ट्रीय मांग-आपूर्त्ति शक्तियों द्वारा संचालित होता है और लगभग प्रति व्यक्ति 7 किलोग्राम की आकलित खपत के साथ देश का वैश्विक मानकों के अनुसार और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे विश्व में अग्रणी देशों की तुलना में यह योगदान बहुत बड़ा नहीं है तथापि, क्लस्टर विकास के माध्यम से सक्षमताओं को जीवंत करने और सुदृढ़ करने के लिए प्लास्टिक पार्कों के गठन की स्कीम के माध्यम से भारत सरकार की पहल से सक्षमता और उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से इस क्षेत्र में विनिधानों में बढ़ोतरी होने की संभावना है तथा प्रतिस्पर्धा और पॉलीमर अवशेषण क्षमता तथा घरेलू अनुप्रवाह प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। स्कीम के अधीन प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के प्रयोजन के लिए प्रतिस्थापित विशेष प्रयोजन यान के लिए सहायता उपलब्ध होगी। तथापि, उद्योग पूंजी और प्रौद्योगिकी उन्मुख है, अनुप्रवाह प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाइयां काफी बड़े रोजगार अवसर उपलब्ध कराती है। पॉलीमर और प्लास्टिक के नये अनुप्रयोगों के विकास का संवर्धन करने के लिए राष्ट्रीय पेट्रोरसायन नीति के अधीन पॉलीमरों के क्षेत्र में विद्यमान शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं में उत्कृष्टता केन्द्रों की भी स्थापनी की जा रही।

सामर्थ्य और कमजोरियां

1985 के असम समझौते के एक परिणाम के रूप में इस अग्रणी परियोजना ने राज्य और केन्द्रीय सरकार से काफी समर्थन हासिल किया है, जो कि इसे इसकी वर्तमान प्रास्थिति की ओर ले जाने में निर्णायक रहा है। बीसीपीएल के परियोजना स्थल से 40 किलोमीटर की दूरी पर तिनसुकिया जिले में प्लास्टिक पार्क की स्थापना करना, जोकि लगभग 500 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, असम सरकार का एक सराहनीय प्रयास रहा है। असम की वर्ष 2014 की औद्यगिक और विनिधान के अनुसार और अभिहित औद्योगिक

पार्कों जिसके अंतर्गत प्लास्टिक पार्क हैं में इकाइयों में स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन दिए जाएंगे। यह इस परियोजना के भविष्य के लिए एक शुभ संकेत है क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में दोहन नहीं हुए समार्थ्य से इसके विकास को बल मिलेगा।

तथापि, फीडस्टॉक एक बाध्यता नहीं होगी किन्तु परियोजना में दोहरी फीड प्रौद्योगिकी एक बहुत बड़ा फायदा देती है क्योंकि इससे नाफ्था और प्राकृतिक गैस तथा विलोमत: को बदलने के विकल्प के माध्यम से एकल फीडस्टॉक पर निर्भरतना बिना कोई परिवर्तन किए हुए प्राप्त होती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र जो अपनी जैव विभिन्नता के लिए जाना जाता है, में वृक्षों की कटाई और घटते हुए वन काफी समय से चिंता का कारण बने हुए हैं। परियोजना को चालू करने के पश्चात और अनुप्रवाह प्लास्टिक उद्योग के उभरने के पश्चात इस क्षेत्र में फर्नीचर सेक्टरों में काष्ठ के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग आरंभ होने की संभावना है जिससे पर्यावरण, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ उपभोक्तओं को भी फायदा होगा।

इस परियोजना की प्रमुख शक्ति इसके संप्रवर्तकों का प्रचूर समर्थन है, जिनका हाइड्रोकार्बनों के क्षेत्र में बहुत शानदार ट्रैक रिकार्ड है। उन्होंने अपनी विशेषज्ञता को बांटा है, अस्थायी नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति के आधार पर जनशक्ति को एकत्र किया है और कंपनी की उसके गठन के समय से ही हर संभव सहायता की है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो कि परियोजना प्रबंधन सलाहकार हैं, का परियोजना कार्यान्वयन कार्यकलापों में व्यापक अनुभव है, जिससे परियोजना के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण लाभ हुआ है।

किसी भी कारबार सफलता का केन्द्र उसके विपणन में निहित है। इसे ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी ने अपने उत्पादों को गेल के साथ गठबंधन करके जो कि इसकी एक धृति कंपनी है, जो पेट्रोरसायनों के क्षेत्र में एक दशक से अधिक समय से है के साथ विपणन करने का विनिश्चय किया है। गेल आपकी कंपनी के उत्पादों और उप-उत्पादों की शत-प्रतिशत निकासी के लिए उत्तरदायी है जिसके लिए वह अपने विपणन नेटवर्क का उपयोग करेगी। ओआईएल, एनआरएल और ओएनजीसी के साथ फीडस्टॉक गठबंधन करके फीडस्टॉक की पर्याप्त उपलब्धतता का भी सुनिश्चय किया गया है।

यह परियोजना अत्यधिक पूंजी उन्मुख है और इसलिए इसमें पूंजी और फीटस्टॉक सहायीकियों के साथ सरकार से अन्य छूटों पर भी रहते हुए इसमें उच्च पूंजी लागत अंतर्वलित है। यह इसमें अंतर्निहित खामी है जो इसकों भविष्य में सरकारी सहायता के प्रतिसहण की संभावना के प्रति सहजभेद्य बनाती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्याप्त भौतिक अवसंरचना की कमी भी एक मुख्य चिंता का विषय रहा है। अवस्थिति और पर्याप्त अवसरंचना को दोहरा नुकसान हुआ है और संयंत्र से भविष्य में उत्पादों के पारेषण पर भी चिंता रहती है तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस समय खपत बहुत कम है, मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की बहुत संभावना है जिससे इस क्षेत्र में स्वयं ही उत्पादों के उपयोग को सुकर बनाया जा सकेगा। सुइर अवस्थिति और पर्याप्त संपर्कता के अभाव में अनुभव जनशक्ति को आकृष्ट करने और बनाए रखने में भी मुशिकल आती है। तथापि, कस्बों के विकास के साथ और बेहतर सुविधाओं तथा फायदों के कारण अब संभावनाए निश्चित रूप से बेहतर हैं। प्लास्टिक पार्क के उत्पादन आरंभ करने तक अनुप्रवाह अवशोषण क्षमताएं बंटी हुई ही रहेंगी और ये एक चिंता का कारण है। तथापि, गेल के साथ विपणन गठबंधन से आपकी कंपनी की एस संबंध में चिंताएं समाप्त होंगी।

अवसर और चुनौतियां

एक, समर्थकारी, उद्योग होने के नाते पॉलीमर उद्योग महत्वपूर्ण इनपुटों का उपबंध करता है जो अन्य सेक्टरों को वृद्धि करने में सक्षम बनाता है और यह प्राकृतिक संसाधनों तथा मूल्यवर्धित उत्पादों के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क का भी उपबंध करता है। अत: प्लास्टिक की मांग, जिसके उपयोग ने संपूर्ण प्रमुख सेक्टरों को आच्छिदित कर दिया है, एक औद्योगिकी वृद्धि का द्योतक है। भारत में प्लास्टिक की प्रति

व्यक्ति खपत अमेरिका में 109 किलोग्राम, ब्राजील में 32 किलोग्राम और चीन में 29 किलोग्राम की तुलना में 7 किलोग्राम प्राक्कलित की गई है, अनुकुल भौगोलिक स्थितियों बढ़ती हुए व्यय करने के लिए आय के कारण बेहतर धनशक्ति, ग्रामीण विपणन के विकास, संगठित रिटेलिंग की वृद्धि, कृषि में विकास, मोटर उद्योग, दूरसंचार और स्वास्थ देखरेख में विकास के कारण भविष्य में वृद्धि की काफी संभावना है। सकल घरेलु उत्पाद में वृद्धि के परिणामस्वरूप बढ़ते हुए आर्थिक कार्यकलापों ने इस उद्योग के भविश्य की बेहतर संभावना का आश्वासन दिया है चुंकि इस सेक्टर में मांग प्रत्यक्ष रूप से अन्य भावी वृद्धियों से संबंधित है। पूर्वोत्तर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसका प्रतिव्यक्ति उपभोग स्तर सबसे कम है, जो कंपनी को विशिष्टत: इस क्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी के अभाव में, एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। इस क्षेत्र को तैयार रूप में देश और विश्व के अन्य विकसित क्षेत्रों की तुलना में सक्षमताओं के विस्तार के लिए अच्छा अवसर प्राप्त करने के लिए सस्ते श्रमिकों का फायदा उपलब्ध है।

फीडस्टॉक, उत्पादन की लागत के एक प्रमुख घटक का गठन करता है और फीडस्टॉक की भारत में ऊंची लागत हमारे उत्पादों को मध्यपूर्व की तुलना में अधिकांश रूप से अपेक्षित प्रतिस्पर्धी फायदे से वंचित करता है जहां भारत की तुलना में लागत एक छोटा भाग मात्र है। लागत के प्रतिस्पर्धी होने के अभाव में खुली बाजार व्यवस्था अधीन सस्ते निर्यातों की तुलना में सफलता प्राप्त करने को बहुत कठिन कार्य बनाती है, ऐसा इसलिए भी हो जाता है कि इस क्षेत्र में कम लागत बाले उत्पादकों द्वारा अपने सस्ते उत्पादों को बाजार में भरना भी इस क्षेत्र की एक मुख्य चिंता है।

तकनीकी रूप से कुशल और अनुभवी जनशक्ति की सीमित उपलब्धता विशिष्टतया इस क्षेत्र में एक अलाभकारी स्थिति है, तथापि आपकी कंपनी सौभाग्यशाली रही है कि उसे उसके संप्रवर्तकों का समर्थन मिला है जो शुरू से ही जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे है। पेट्रोरसायन उद्योग की प्राकृति चक्रीय है और यह ऊंचे स्तर तथा नीचे स्तर के चरणों में 6 से 8 वर्ष के बीच गुजरती है। मांग के बढ़ने के बावजूद कीमतें अस्थिर रहती हैं। इसमें वैश्विकरण के प्रभाव के रूप में संभावित शुल्कों का खतरा भी बना रहता है जिसमें अंतिम उत्पादों पर प्रभावी शुल्क फीडस्टॉक पर शुल्कों की तुलना में कम हो जाता है।

जहां तक पर्यावरण संरक्षण का संबंध है, प्लास्टिक उद्योग के अपने फायदे और नुकसान हैं। जहां तक पर्यावरण संरक्षण का संबंघ है, प्लास्टिक का उपयोग और निपटान एक नकारात्मक चुनौती से ग्रस्त है। इसका परिणाम एस क्षेत्र को चुनौती के रूप में हो सकता है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण आज के विश्व में एक प्रमुख चिंता के रूप में उभर रहा है। तथापि, जैविक रूप से अवक्षयणीय और फोटो अवक्षयणीय प्लास्टिक के क्षेत्र में विकास के साथ जिसका प्रणिाम उत्पाद गुणवत्ता में सुधार के रूप में हो रहा है, जो पर्यावरण पर प्रतिरूल प्रभाव को कम कर रहा है, इस चुनौती की अवधारणा के काफी सीमा तक कम हो जाने की संभावना है। समाज को उन फायदों से अवगत कराने की आवश्यकता है जो पर्यावरण को फर्नीचर और संनिर्माण उद्योग में काष्ठ के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग करने से और तेजी से समाप्त हो रहे संसाधनों में वृद्धि करने के रूप में होंगे।

सेगमेंट-वार या उत्पाद-वार कार्यनिष्पादन

कंपनी अभी भी परियोजना के निष्पादन के स्तर पर है।

आउटलुक

पेट्रोरसायन उद्योग प्रमुख रूप से इथिलेन और प्रोपिलेन पर आधारित है। तथापि, इस समय सबसे बड़ा पेट्रोरसायन उद्योग संयुक्त राज्य अमरीका और पश्चिमी युरोप, मध्यपूर्व है, और एशिया ने मांग और नई सक्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि को देखा है। भारत में उद्योग अधिकांशत: सभी सेक्टरों में फैल गया है किन्तु यह बिखरा हुआ है और काफी हद तक देश पेट्रोरसायनों में आत्मनिर्भर है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के पेट्रोरसायनों पर उपसमूह की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 में पॉलीमरों की प्रतिष्ठापित क्षमता और मांग क्रमश: 8.98 एमटीपीए और 8.56 एमटीपीए है, मांग के वित्त वर्ष 2017 में बढ़कर 14.00 एमटीपीए होने की संभावना है। पीई सेगमेंटों में महत्वपूर्ण सक्षमतावर्धन की आशा है और ममग्र पॉलिमर क्षमता के वित्त र्व 2017 में बढ़कर 12.67 मिलियन टन होने की आशा है। वित्त वर्ष 2012 और वित्त वर्ष 2017 के बीच पीई की मांग का परिणाम है, एचडीपीई और एलएलडीपीई की घरेलू मांग के बढ़कर क्रमश: सीएजीआर के 9.20 प्रशित और 11.60 प्रतिशत होने की संभावना है और उद्योग समग्र क्षमता के बढ़कर सीएजीआर के 14.55 प्रतिशत होने की आशा है। सीआरआईएसआईएल के अनुसंधान के अनुसार पीई के घरेलु उत्पादन में वृद्धि के परिणामस्वरूप आयात में कमी होगी जो वित्त वर्ष 2012 में घरेलू मांग के 29 प्रतिशत से कम होकर वित्त वर्ष 2017 में 10 प्रतिशत हो जाएगा। इसी के अनुसार उत्पादन में निर्यात के भाग के वित्त वर्ष 2012 में 13 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2017 में बढ़कर 17 प्रतिशत होने की आशा है। इसी अवधि के दौरान पीपी की घरेलू मांग और क्षमता के क्रमश: सीएजीआर के 10.90 प्रतिशत और सीएजीआर के 2.6 प्रतिशत होने की आशा है। सभी पॉलिमरों के लगभग 10 प्रतिशत सीएजीआर की दर से बढ़ने की आशा है। यह घरेलू बाजार में लगातार मांग के परिणामस्वरूप हुआ है, और भारत वैश्विक मदी के प्रभाव से तेजी से मुक्त होने में सफल हुआ था और सौभाग्यवश मांग के काफी बने रहने की आशा है।

निश्चित रूप से निर्यात पेट्रोरसायन सक्षमताओं पर बल की ओर परिवर्तन होगा। तथापि, यह देश में तेजी से बढ़ता हुआ एक उद्योग है, प्रतिकूल विनिधान वातावरण जिसके अंतर्गत पेट्रोरसायन उत्पादों पर कम आयात शुल्क अवसंरचना में कठिनाइयां, उच्च परिबहन लागत के साथ उच्च ऊर्जा लागत और मध्यपूर्व में अधिक आर्थिक सक्षमताओं के प्रतिष्ठापन जो सहायिकीकृत आसानी से उपलब्ध होने वाले फीडस्टॉक के साथ हैं, इस सेक्टर में विनिधान को रोकते हैं। समर्थनकारी सरकारी नीतियों के साथ कारबार वातावरण में सुधार की इस समय आवश्यकता है।

जहां तक आपकी कंपनी का संबंध है, मार्च, 2015 तक इस परियोजना को आरंभ करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे है।

जोखिम और चिन्ताएं

पणधारियों की मुख्य चिन्ता परियोजना के कार्यान्वयन की तारीख में 31 दिसम्बर, 2013 से मार्च, 2015 तक विलंब होना है। तथापि, 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार परियोजना की समग्र प्रगति 96.4 प्रतिशत है, चालू वित्त वर्ष के उत्तरार्ध में परियोजना को चालू करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

समान पेट्रोरसायन परियोजनाओं की तुलना में उच्च परियोजना लागत भी चिन्ता का एक कारण है और यह मुख्यत: संयंत्र की गैर-अनुकूलता क्षमता के कारण है जिसका फिर परिणाम फीडस्टॉक की उपलब्धता में कमी होता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने संयंत्र प्रचालन के 15 वर्ष की अवधि के लिए फीडस्टॉक की उपलब्धता का सुनिश्चय करने के लिए पक्के प्रबंध किए हैं, फीटस्टॉक मूल्यों में वृद्धि ऐसी आवशयंभावी है जिसका परियोजना के अनुमोदन के समय से ही मूल्यों में पहले ही सारवान वृद्धि के कारण अवेहलना नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त भविष्य में फीटस्टॉक के रूप में और अन्य सहायिकियों के रूप में सरकारी सहायता में कमी की संभावना है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राइवेट विनिधान में मुश्किल लॉजिस्टिक्स के साथ सीमित अवसर और नकारात्मक कारबार पर्यावरण एक विशेष चुनौती खड़ी करते हैं तथापि, तिनसुकिया जिले में असम सरकार द्वारा आपकी कंपनी के उत्पादों के आधार पर अनुप्रवाह परियोजनाएं स्थापित करने के लिए उद्यमकर्त्ताओं को अपेक्षित प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। पड़ोसी अर्थव्यवस्थाओं विशिष्टत: बांग्लादेश और म्यांमार में

बाजारों की ओर तीव्र ध्यान देने की आवश्यकता है।

चुंकि परियोजना अभी कार्यान्वित की जानी है इसलिए इस समय कोई प्रचालन जोखिम नहीं है और 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार भौतिक प्रगति लगभग 96.4 प्रतिशत है, संनिर्माण जोखिम बहुत कम है। तथापि जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया ओर नीति के आरंभ करने के साथ शुरू की जा चुकी है जो संनिर्माण चरण, वित्तीय प्रचालन और अन्य जोखिमों की पहचान करने उन्हें दूर करती है। आपकी कंपनी में विधिक जटिलताओं का निदेशक बोर्ड द्वारा आवधिक रूप से पुनरीक्षण किया जाता है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

आपकी कंपनी यह सुनिश्चय करने में पर्याप्त सावधानी रखती है कि उसकी आस्तियों के सुरक्षापायों और अप्राधिकृत उपयोग से हानि या उनके निपटान से उनकी संरक्षा के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण हो। इस बात का सुनिश्चय करने का भी ध्यान रखा जाता है कि विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग और लागू विधियों तथा विनियमों का अनुपालन किया जाता है। अपनी आरंभिक अवस्था में होने के कारण कंपनी धीरे-धीरे अपनी स्वयं की प्रणालियां और नीतियां ला रही हैं और जहां इसकी स्वयं की नीतियां अभी निश्चित नहीं है, वहां यह धृति कंपनी की नीतियों का अनुसरण कर रही हैं। एक जोखिम प्रबंधन नीति पहले से ही लागू है। मैसर्स डेलोआइट हास्किंस एंड सैल, आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा त्रिमासिक लेखापरीक्षा संचालित की जा रही है।

धृति कंपनी गेल और राज्य और राज्य केन्द्रीय सरकार के प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम स्तर पर कंपनी की प्रगति और कार्याकलापों की सतत मानीटरी तथा पुनरीक्षण किया जा रहा है।

कार्यप्रचालन के संबंध में वित्तीय कार्यकरण

कंपनी ने अभी अपने वाणिज्य प्रचालन आंरभ करने हैं।

मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध मंच जिसके अंतर्गत नियोजित व्यक्तियों की संख्या भी है, में तात्विक विकास

अपने प्रारंभ से ही आपकी कंपनी कर्मचारियों के कार्यकरण में उन्हें प्रोत्साहित करने के साथ-साथ गुणवत्ता वाले कौशल के अर्जन की और अपने प्रयासों में सुदृढ़ रही है और इसमें किया गया सुधार संगठन के ध्ययों और उदेश्यों के अनुरूप विभिन्न कारकों का संतुलन जिसके अंतर्गत प्रतिकर, फायदे, प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास और स्वस्थ कर्मचारी संबंध औक कार्य संस्कृति भी है, रहा है।

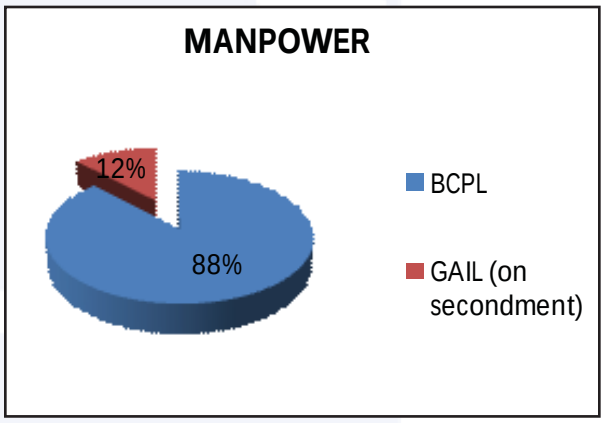

महिला दिवस समारोह, 2014

जोखिम प्रबंधन प्रशिक्षण

आपकी कंपनी मानव संसाधन नीति मंच पर लगातार प्रगति कर रही है और पुनरीक्षण के अधीन वर्ष में कंपनी का स्वयं का अधिवर्षिता फायदा निधि और उपदान न्यास बना लिया गया है जिसके साथ-साथ बीसीपीएल कर्मचारियों के लिए (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियम, कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण फायदा स्कीम, शिफ्ट ड्यूटी भत्ता, गैर-कार्यकारियों की भर्ती की भी शुरूआत की गई है ताकि स्थानीय संनिर्माण कार्य में अधिकांश कुशल/अर्थ/कुशल/अकुशल कर्मकार पूर्वोत्तर क्षेत्र से नियोजित किए गए हैं। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी की मानव संसाधनों की संख्या 404 थी जिसमें से 49 गेल से अस्थायी नियुक्ति पर और 355 कर्मचारी कंपनी के नियमित कर्मचारी थे। इसके अतरिक्ति 10 व्यक्तियों को कनिष्ठ फायरमैन प्रशिक्षणार्थी के लिए चुना गया है जो पुलिस फायर स्टेशन, गुवाहाटी में 6 मास के फायरमैन पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं।

पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा, पुन:नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

आपकी कंपनी पर्यावरण के बचाव की अपनी बाध्याता के प्रति भिज्ञ है। प्रदूषण नियंत्रण और अन्य पर्यावरण संरक्षण मानकों का अनुपालन किया जाता है। परियोजना में अपशिष्ट उपचार संयंत्र के लिए उपबंध किया गया है जिससे विहित सीमाओं के भीतर उचित अपशिष्ट के प्रवाह का ध्यान रखा जाएगा। संयंत्र के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम से सम्यक निकासी पहले ही प्राप्त कर ली गई है। परियोजना द्वारा एक बार प्रचालन आरंभ करने पर विदेशी मुद्रा की बचत और पुन:नवीकरणीय ईउर्जा का विकास महत्ता प्राप्त कर लेगे।

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी को यह श्रेय जाता है कि अपनी प्रारंभिक अवस्था में होने के बावजूद, यह संभव सीमा तक स्वास्थ्य देख-रेख, स्वच्छता, शिक्षा, अवसंरचना विकास एवं पर्यावरण, साक्षारतना वृद्धि के क्षेत्रों में निगम सामाजिक उत्तरादायित्व के माध्यम से योगदान कर रही है।

आकंड़ा स्रोत : *12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए रसायन एवं पेट्रोरसायन उपसमूह की रिपोर्ट, भारत सरकार, रसायन एवं पेट्रोसायन विभाग की ल्वास्टिक पार्क स्थापित करने की स्कीम, कंपनी द्वारा बाजार अनुसंधान।*

भविष्योन्मुखी कथन : *इस दस्तावेज में वे विवरण सम्मिलित हैं जिन्हें हम, भविष्योन्मुखी कथन मान सकते हैं जिनमें उनकी प्रकृति के अनुसार जोखिम और अनिश्चयता अंतर्वलित हैं क्योंकि वह भावी घटनाओं और परिस्थितियों से संबंधित हैं, इनमें से अनेक कंपनी के नियंत्रण से परे हैं। परिणामस्वरूप वास्तिविक भावी परिणाम तात्विक रूप से योजनाओं, उदेश्यों और आशाओं से आर्थिक स्थितियों, सरकारी नीतियों और अन्य अनुषँगिक कारकों जैसे कि मुकदमेबाजी और औद्योगिक संबंध के कारण, भिन्न हो सकते हैं जो कि एन भविष्योन्मुखी कथनों में अधिकथित हैं। पाठकों को परामर्श दिया जाता है कि ऐसे विवरणों पर वह अनावश्यक आस्था न रखें।*

एसबीआई के साथ ऋण दस्तावेजों का निष्पादन - एसबीआई के अन्य कार्मिको के साथ श्री ओ. पी. टेलर, निदेशक (वित्त)

माननीय डॉ. एम. विरप्पा मोइली, संघ के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री बी. सी. त्रिपाठी के साथ अस्थल पर देखे जा सकते है

निगम शासन पर रिपोर्ट

कंपनी का दर्शन

आपकी कंपनी पणधारियों और जनता में विश्वास उत्पन्न करने के लिए कंपनी के सतत विकास का सुनिश्चय करने के लिए दीर्घकालिक पणधारी मूल्य में वृद्धि करने हेतु सभा निगम विनिश्चयों में पारदर्शिता का सुनिश्चय करने के लिए प्रभावी निगम शासन पद्धतियों को अंगीकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रबंधन का यह सतत प्रयास रहा है कि वह कारबार के संचालन में सत्यनिष्ठा और जबावदेही पर बल के साथ नैतिक और ईमानदारीपूर्वक आचरण की संस्कृति उत्पन्न करने का प्रयत्न करे।

निदेशक बोर्ड

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी के निदेशक बोर्ड में 13 निदेशक हैं जिसके अंतर्गत गेल द्वारा नामनिर्दिष्ट पदेन अध्यक्ष, दो सरकारी नामनिर्देशिती (रसायन और उर्वरक मंत्रालय एवं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हुए), दो गैर-शासकीय अंशकालिक निदेशक और दो कृत्यकारी निदेशक जिसके अंतर्गत प्रबंध निदेशक है। नामनिर्दिष्ट निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के संयुक्त उद्यम करार और संगम अनुच्छेद के अनुसार की जाती है।

पुनरीक्षण वर्ष के अधीन निदेशकता के साथ निदेशक बोर्ड का गठन और समिति स्थिति, उपस्थिति अभिलेख नीचे दिए गये अनुसार है :

क्र. सं.	नदेशक का नाम	पदनाम	अन्य कंपनियों में निदेशकता/अध्यक्षता की संख्या#		अन्य कंपनियों में समिति* सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या#		बोर्ड बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया	अंतिम एजीएम में उपस्थिति
			अध्यक्ष	**निदेशक**	**अध्यक्ष**	सदस्य		
कृत्यकारी निदेशक								
1	**श्री पी एन प्रसाद**	प्रबंध निदेशक	-	-	-	-	9	हां
2	**श्री ओ पी टेलर** (01.07.2013 से)	निदेशक (वित्त)	-	-	-	-	7	हां
संप्रवर्तक निदेशक								
3	**श्री बी सी त्रिपाठी** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गेल (इंडिया) लिमिटेड	अध्यक्ष	2	1	-	-	9	नहीं
4	**श्री आर के दत्ता** सलाहकार असम सरकार	निदेशक	-	2	-	-	7	हां
5	**श्री आर टी जिंदल** प्रधान सचिव, असम सरकार, औद्योगिक एवं वाणिज्य विभाग	निदेशक	2	8	-	-	4	हां

6	**श्री दीपक चक्रवर्ती** प्रबंध निदेशक नुमालीगढ़ रिफाईनरी लिमिटेड (31.3.2014 से)	निदेशक	-	1	-	-	2	हां
7	**श्री सच्चिदानंद रथ** निदेशक (प्रचालन) ऑयल इंडिया लिमिटेड (30.09.2013 से)	निदेशक	-	2	-	1	5	–
	श्री टी के आनंत कुमार निदेशक (वित्त) ऑयल इंडिया लिमिटेड (30.09.2013 से)	निदेशक	-	1	-	2	2	हां
8	**श्री एस एल रैना** निदेशक (मानव संसाधन) गेल (इंडिया) लिमिटेड (31.05.2013 से)	निदेशक	-	3	-	3	1	-
9	**श्री एस वेंकटरमन** निदेशक (बी डी) गेल (इंडिया) लिमिटेड	निदेशक	5	5	-	1	7	हां
10	**श्री पी के जैन** निदेशक (वित्त) गेल (इंडिया) लिमिटेड	निदेशक	-	4	1	-	7	हां
	सरकारी निदेशक							
11	**श्री अविनाश जोशी** संयुक्त सचिव रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (29.10.2013 से)	निदेशक	-	-	-	-	5	-
	डॉ ए जे वी प्रसाद संयुक्त सचिव रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (28.10.2013 से)	निदेशक	-	2	-	-	1	-
	सुश्री नील कमल दरबारी संयुक्त सचिव रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (29.07.2013 से)	निदेशक	-	-	-	-	1	-
12	**श्री निकुंज कमार श्रीवास्तव** निदेशक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (30.08.2013 से)	निदेशक	-	1	-	-	6	-
	श्रीमती सुषमा ताईशेते निदेशक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (28.08.2013 तक)	निदेशक	-	-	-	-	1	नहीं
	स्वतंत्र निदेशक							
13	**श्री प्रफुल्ल चन्द्र शर्मा**	निदेशक	-	2	-	2	9	हां
14	**श्री गौतम बरूआ**	निदेशक	-	2	-	1	8	हां

(*) समिति प्रास्थितियां केवल लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक शिकायत समिति को निर्दिष्ट करती हैं।

(#) अन्य कंपनी से केवल सरकारी कंपनिया अभिप्रेत हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों के ब्यौरे

वर्ष के दौरान निदेशक बोर्ड की 8 बैठकें आयोजित की गई :

बोर्ड बैठक की संख्या	तारीख	बोर्ड की सदस्य संख्या	उपस्थि निदेशकों की संख्या
40 वीं	20.05.2013	13	10
41 वीं	27.06.2013	12	9
42 वीं	19.09.2013	13	12
43 वीं	10.10.2013	13	11
44 वीं	09.12.2013	13	10
45 वीं	28.01.2014	13	10
46 वीं	03.02.2014	13	8
47 वीं	11.03.2014	13	11
48 वीं	20.03.2014	13	10

नियुक्त/पुनः नियुक्त किए जा रहे निदेशकों का प्रोफाइल

श्री आर टी जिंदल, निदेशक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (152(6) के अनुसरण में होने वाली वार्षिक साधारण बैठक में चक्रानुक्रम में सेवानिवृत हो रहे हैं और पात्र होने के नाते उन्होंने स्वयं की पुन:नियुक्ति का प्रस्ताव किया है। श्री आर टी जिंदल इस समय उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, असम सरकार के मुख्य सचिव हैं। वह असम-मेघालय कैडर के 1983 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने असम की सरकार के विभिन्न विभागों में अनेक स्तरों पर सेवा की है। वह पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला से विज्ञान स्नातक और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना से कृषि में स्नातकोत्तर हैं। वह 22.05.2012 से बीसीपीएल बोर्ड में संप्रवर्तक निदेशक के रूप में शामिल हुए।

श्री एस वेंकटरमन, निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसरण में होने वाली वार्षिक साधारण बैठक में चक्रानुक्रम में सेवानिवृत हो रहे हैं और पात्र होने के नाते उन्होंने स्वयं की पुन-नियुक्ति का प्रस्ताव किया है। इस समय बह निदेशक (कारबार विकास का पद धारण कर रहे हैं और वह गेल के कारबार विकास, परियोजना विकास, पेट्रोरसायन प्रचालनों, अन्वेषण एवं उत्पादन और कंपनी के वैश्विक उद्यमों के प्रभारी हैं। वह गेल में दिसम्बर, 1990 में एक प्रबंधक के रूप में शामिल हुए और उन्होंने विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तरों पर जिसके अंतर्गत कारबार विकास, विपणन और परियोजनाए हैं में सेवा की। वह उस कोर दल के सदस्य थे जिसने गेल के गैस आधारित पहले पेट्रोरसायन परिसर का उसकी अवधारणा से प्रतिष्ठापन तक विकास और कार्यान्वयन कार्य किया।

श्री एस वेंकटरमन ने 1973 में बीएससी (भौतिकी) मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास से की है। 1976 में उन्होंने मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास से इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा किया तत्पश्चात उन्होंने ऑल इंडिया मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा से कार्य आरंभ किया और वहां पर दिसम्बर, 1990 तक विभिन्न स्तरों पर कार्य किया। वह 11.10.2010 से बीसीपीएल बोर्ड में संप्रवर्तक निदेशक के रूप में शामिल हुए।

श्री निकुंज कमार श्रीवास्तव, निदेशक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, को बीसीपीएल बोर्ड में 30.08.2013 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया था। वह मध्य प्रदेश कैडर से 1988

बैच के भारीतय प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं। वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर जो कि देश में इंजीनियरी का एक उत्कृष्ट संस्थान है, से यांत्रिक इंजीनियरी में स्नातकोत्तर हैं। वह व्यवसार से एक व्यूरोक्रेट और अर्हता से एक टैक्नोक्रेट हैं। उन्होंने अपने नाम से ताप विज्ञान और द्रव मैकेनिक्स में अंतर्राष्ट्रीय पत्रों में दो अनुसंधान पेपर प्रकाशित किए हैं। उनके कार्य अनुभव में टेल्को (एक ऑटोमोबाइल उद्योग) और भारतीय रेलवे में कार्य करना शामिल है। उन्हें जम्मू एवं कश्मीर राज्य में दो वर्ष कार्य करने का भी अवसर मिला था।

श्री एस रथ, निदेशक (प्रचालन), ऑयल इंडिया लिमिटेड को श्री टी के आनंत कुमार के 30.09.2013 को त्यागपत्र/अधिवर्षिता के कारण हुई आकस्मिक रिक्ति के परिणामस्वरूप 01.10.2013 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री एस रथ अनुप्रयोगिक भू-विज्ञान में आईआईटी खड़गपुर (1977) से विज्ञान निष्णात हैं। उनके पास आईजीएनओयू से प्रबंधन में डिप्लोमा है। इस समय वह निदेशक (प्रचालन), तेल के पद पर हैं और ओआईएल के अन्वेषण, विकास संसाधन, प्रबंधन, तेल, गैस और एलपीजी के उत्पादन और पाइप लाइन कारबार के लिए उत्तरदायी हैं। वह ऑयल इंडिया लिमिटेड में भू-वैज्ञानिक के रूप में 1979 में शामिल हुए। उन्के पास पेट्रोलियम अन्वेषण, विकास और उत्पादन का तीन दशक से अधिक का अनुभव है। श्री रथ ने तेल के विभिन्न कृत्यकारी एवं भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य किया है। उन्होंने मुख्य समन्यवयक के रूप में सामरिक संगठनात्मक परिवर्तन पहलों का नेतृत्व किया। वह असम और अरूणाचल प्रदेश में प्रमुख इओसीन तेल और खोजों में सहबद्ध रहे है, उन्होने दुलियाजान में 1999 में इंटीग्रेडिट इंटरप्रटेशन सेन्टर की स्थापना में दल नेतृत्व किया।

श्री अविनाश जोशी, संयुक्त सचिव-पेट्रोरसायन प्रभाग, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, संयुक्त सचिव (पेट्रोरसायन) कों तारिख 29.10.2013 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अपने विद्यमान कार्यभार में वह पेट्रोरसायनों, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, एलास्टोमर्स से संबधित विषयों के समग्र प्रभारी हैं। वह डिब्रूगढ़ असम में असम गैस क्रैकर काम्प्लेक्स की स्थापना की निकट से मानीटरी कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व में केन्द्रीय सरकार के साथ अपने कार्य में निदेशक, वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, भारत सरकार के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।

उन्होंने केन्द्रीय सरकार और असम राज्य सरकार तथा गुजरात राज्य सरकार के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया हैं। पिछले 19 वर्षों के दौरान उन्होंने विभिन्न क्षमताओं मे कार्य कि.या है और उनके पास असम और गुजरात राज्यों में महत्वपूर्ण क्षेत्र में उच्च और विभिन्नतापूर्ण अनुभव है। उन्होंने गुजरात में सबरकांथा और असम के धुबरी और कामरूप (महानगर) जिलों में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने दोनों राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा में गहन रूप से कार्य किया है। उन्होंने गुवाहाटी नगरपालिका आयुक्त और आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, असम सरकार के रूप में भी कार्य किया है। वह गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बाद में तमिलनाडू राज्य में पीसीपीआईआर के अनुमोदन के लिए अवसंरचना के विकास में भी महत्वपूर्ण रहे हैं।

श्री पी. पद्मनाभन, प्रबंध निदेशक, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) को श्री दीपक चक्रवर्ती द्वारा 31.03.2014 के त्यागपत्र/अधिवर्षिता द्वारा कारित आकास्मिक रिक्ति के कारण तारीख 22.05.2014 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री पी. पद्मनाभन, एनआईटी त्रिचि से 1980 बैच के बीई(रयासन) हैं। एनआरएल के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त से पूर्व वह भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के (रिफाइनरी समन्वय) के कार्यकारी कोच्चि रिफाइनरी,

भारत-ओमान रिफाइनरीच लिमिटेड (बीओआरएल), संयुक्त उद्यम और एनआरएल के बीच समन्वय के भारसाधक थे। बीपीसीएल में 1980 से उन्होंने रिफाइनरी के मुख्य कृत्यों जैसे उत्पादन, प्रक्रिया, तकनीकी सेवाएं, गुणवत्ता नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गहन अध्ययन प्राप्त किया और वह निगम पुनर्गठन के कार्यदल के भी सदस्य थे और वह बीपीसीएल की वर्ष 2020 तक भावी रणनीति को अंतिम रूप देने वाले कार्यदल के भी नेता हैं जिसमें विद्यमान रिफाइनरियों के आधारभूत/क्रीप विस्तार के माध्यम से 50 एमएमटीपीए क्रूड प्रसंस्करण क्षमता हासिल करना और प्रोपीलीन उदभूत उत्पादों के माध्यम से पेट्रो-रसायनों में बीपीसीएल की प्रविष्टि को अंतिम रूप देने में भी योगदान देना अंतर्वलिन है।

लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति में इस समय तीन निदेशक हैं, श्री पी सी शर्मा, एक गैर-शासकीय (स्वतंत्र) निदेशक समिति के अध्यक्ष हैं। प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) लेखा समिति में स्थायी आमंत्रिती हैं।

लेखापरीक्षा समिति के निबंधन निदेश निगम शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप हैं।

पुनरीक्षण के अधीन वर्ष में 13.05.2013, 29.08.2013, 09.12.2013 और 20.03.2014 को समिति की चार बैठकें आयोजित की गई, 2013-14 के दौरान सदस्यों की उपस्थिति के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार है :

निदेशकों का नाम	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया
श्री पी सी शर्मा, अध्यक्ष	4
श्री पी के जैन, सदस्य	3
श्री गौतम बरूआ, सदस्य	4

अन्य समितियां

पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति की अध्यक्षता गैर-शासकीय (स्वतंत्र) निदेशक द्वारा की जाती है जो निम्नलिखित तीन सदस्यों से मिलकर बनी है जिनमें से सभी गैर कार्यकारी निदेशक है :

1. श्री पी सी शर्मा, स्वतंत्र निदेशक : अध्यक्ष
2. एस वेंकटरमन, निदेशक (27.06.2013 से) : सदस्य
3. एस रथ, निदेशक (01.10.2013 से) : सस्य

प्रबंध निदेशक, समिति में स्थायी आमंत्रिती हैं। पुनरीक्षा के अधीन वर्ष में समिति की पांच बैठकें 02.05.2013, 20.05.2013, 12.09.2013, 05.12.2013 और 28.01.2014 को आयोजित की गई थी। समिति ने बोर्ड के विचारण के लिए कर्मचारियों के लिए नीतियां, पूर्वपेक्षाओं, प्रसुविधाओं और अन्य फायदों की सिफारिशें की।

बोर्ड की संविदा और क्रय सशक्त समिति भी है जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं जो परियोजनाओं के अनुमोदन की निकासी में तेजी लाते हैं।

1. श्री एस वेंकटरमन, निदेशक : अध्यक्ष
2. श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, निदेशक : सदस्य
3. श्री एस रथ, निदेशक : सदस्य
4. श्री पी एन प्रसाद, प्रबंध निदेशक : सदस्य
5. श्री ओ पी टेलर, निदेशक (वित्त) : सदस्य

वहनीय विकास समिति की अध्यक्षता गैर-शासकीय (स्वतंत्र) निदेशक द्वारा की जाती है का भी सम्यक रूप से वहनीय विकास पर डीपीई के दिशानिर्देशों की अपेक्षानुसार गठन किया गया है। यह कंपनी की योजनओं और नीति की सिफारिश करता है तथा वहनीय विकास की बाबत कार्यनिष्पादन को भी देखती है।

निदेशकों का पारिश्रामिक

केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यम होने ने नाते पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति तथा उनके निबंधन और शर्तें जिसके अंतर्गत पारिश्रामिक भी है का अवधारण प्रशासनिक मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

वित्त वर्ष 2013-14 को दौरान कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों को संदत्त पारिश्रामिक के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

नाम	वेतन एवं भते (`)	भविष्य निधि, उपदान और अन्य निधियों में अभिदान (`)	अन्य फायदे और लाभ (`)	कार्यनिष्पादन संबंधित प्रोत्साहन (`)	योग (`)
श्री पी एन प्रसाद (प्रबंध निदेशक)	27,33,751	2,24,751	6,14,481	--	**35,72,982**
श्री ओ पी टेलर निदेशक (वित्त)	13,16,196	1,29,605	2,75,430	--	**17,21,231**

अशंकालिक गैर-शासकीय निदेशकों को किसी पारिश्रामिक का सिवाय बैठक फीस के, जो 2,44,469/- रूपए होती है, का श्री पी सी शर्मा को और 1,84,276/- रूपए का, श्री गौतम बरूआ को वर्ष के दौरान संदाय करने कें कोई, संदाय नहीं किया जा रहा है। नामनिर्देशिती निदेशक कोई धनीय फायदा जिसके अंतर्गत कंपनी से बैठक फीस भी है प्राप्त नहीं करते हैं।

साधारण बैठकें

पिछले तीन वार्षिक साधारण बैठकों के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं।

एजीएम की संख्या	तारीख	समय	स्थान	कोई विशेष संकल्प पारित किया गया
चौथी	29.07.2011	4.00 p.m.	होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, एमजी रोड, गुवाहाटी	कोई नहीं
पांचवी	27.08.2012	12.00 noon	होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, एमजी रोड, गुवाहाटी	हां (धारा 81 के अनुसरण में और शेयरों के निर्गम का प्राधिकार)
छठी	29.08.2013	3.00 p.m.	होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, एमजी रोड, गुवाहाटी	हां (धारा 81 के अनुसरण में और शेयरों के निर्गम का प्राधिकार)

सातवीं वार्षिक साधारण बैठक

तारीख : मंगलवार, 2 सितम्बर, 2014

समय : 3.00 बजे अपराह्न

स्थान : रजिस्ट्रीकृत कार्यालय
होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, एमजी रोड, गुवाहाटी-781001

प्रकटन

1. संबंधित पक्ष का संव्यवहारों का प्रकटन लेखाओं की टिप्पणियों में किया गया है, जो वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग हं।
2. कंपनी ने सिवाय बोर्ड की संरचना में, नामनिर्दिष्ट निदेशकों की संख्या और स्वतंत्र निदेशरों के निगम प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। बोर्ड ने संयुक्त उद्यम करार के अर्थ में नियुक्त नामनिर्दिष्ट निदेशकों की संख्या में कमी करने के संबंध में भारत सरकार से विशेष व्यवस्था करने का अनुरोध किया है, क्योंकि अभी भी परियोजना कार्यन्वयन स्तर पर है।
3. कंपनी का सूचना प्रदाता तंत्र है जिसके अनुसार लोक हित प्रकटन और भारत सरकार के संकल्प संख्या 89 (पीआईडीपीआई) के अनुसार सूचनादाता के संरक्षण का अनुपालन किया जा रहा है।
4. संनिर्माण चरण, वित्तीय, प्रचालन और अन्य जोखिमॉ का पता लगाने तथा उन्हें कम करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन तंत्र विद्यमान है।

लेखापरीक्षा अर्हताएं

7वें लगातार वर्ष के लिए कंपनी के 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखाओं पर कानूनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई लेखापरीक्षा अर्हता नहीं है।

संचार के साधन

कंपनी की www.bcplonline.co.in बेबसाइट है। सूचना और संचार प्रौद्यगिकियों के माध्यम से विशिश्टता अपने बेबसाइट के उपयोग के माध्यम से पणधारियों के साथ सूचना बांटने के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ है। कंपनी प्रेस विज्ञाप्तियों और अपनी वार्षिक रिपोटों के माध्यम से आवधिक रूप से सूचना का प्रसार करती है।

शेयर धृति पैटर्न

संप्रवर्तकों द्वारा शेयर समानुपात में धारण किए गए हैं :

गेल 70% असम सरकार : 10%, ऑयल इंडिया लिमिटेड : 10% और नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड : 10%

निगम शासन अनुपालन प्रमाणपत्र

डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 8.2.1 के अनुसार वर्ष 2013-14 के दौरान निगम शासन की शतों के अनुपालन के संबंध में व्यवसायरत कंपनी सचिव से एक प्रमाणपत्र उपाबद्ध है।

सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कंपनी ने पुनरीक्षण अधीन वर्ष के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा संचालित की है और रिपोर्ट के साथ उसके सम्प्रेषणों का स्पष्टीकरण उपाबद्ध है।

आचार-संहिता

कंपनी की बोर्ड के सदस्यों और ज्येष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए एक आचार-संहिता है और बोर्ड के सदस्य तथा ज्येष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए आचार-संहिता के अनुपालन की संमुष्टि कर दी है।

घोषणा

निगम प्रशान पर डीपीई मार्गनिर्देशों के खंड 3.4.2 की अपेक्षानुसार यह घोषित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक बोर्ड के सदस्यों के साथ-साथ ज्येष्ठ प्रबंधन कार्मिक जिन्हें यह आचार-संहिता लागू होती है, ने संहिता के अनुपालन की संमुष्टि कर दी है।

ह/-

(पी एन प्रसाद)

प्रबंध निदेशक

ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलिमर लिमिटेड

प्रगति पर छठी वार्षिक साधारण बैठक

छठी वार्षिक साधारण बैठक में सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाते हुए

सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

नारायण शर्मा
बी. कॉम (मेजर), एफसीएस

नारायण शर्मा एंड एसोसिएट
मास्टर इन्क्लेव
भूतल, उद्यांचल पथ
सुनील पेट्रोल पम्प के साथ
क्रिश्चन बस्ती, जी एस रोड, दिसपुर
गुवाहाटी - 781005
फोन : 0361-2343127,9435018319
ई-मेल : csnarayansharma@gmail.com

निदेशक बोर्ड,
ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड
होटल ब्रह्मपुत्र अशोक
एम.जी.रोड, गुवाहाटी-781001

हमने ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (कंपनी) के रजिस्ट्रों, अभिलेखों, लेखाबहियों और कागज पत्रों की 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए निम्नलिखित के उपबंधों के अनुसार जांच कर ली है :

कंपनी अधिनियम, 1956 और कंपनी अधिनियम, 2013 (यथा लागू) तथा उनके अधीन बनाए गए नियम और केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यम, 2010 के लिए निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांत और कंपनी का ज्ञापन और संगम अनुच्छेद

1. हमारी जांच और हमें दिए रजिस्ट्रों, अभिलेखों और दस्तावेजों के सत्यपान के आधार पर और कंपनी द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पीष्टीकरणों के अनुसार, उसका कंपनी सचिव तथा कंपनी के अधिकारियों ने कंपनी अधिनियम, 1956 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (यथा लागू) (अधिनियम) और अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों तथा निम्नलिखित के संबंध में कंपनी के ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद का अनुपालन किया है :
   (क) कानूनी रजिस्ट्रों और दस्तावेजों का अनुरक्षण तथा उनमें आवश्यक प्रविष्टियां करना
   (ख) कंपनी रजिस्ट्रार, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग के पास अपेक्षित प्ररूपों और विवरणियों को अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमो के अधीन विहित समय के भीतर दाखिल करना
   (ग) कंपनी द्वारा उसके सदस्यों लेखापरक्षिकों और कंपनी रजिस्ट्रार को दस्तावेजों की तामील करना,
   (घ) निदेशकों को बोर्ड बैठकों और समिति बैठकों की सूचना देना
   (ङ) निदेशकों और निदेशकों की समितियों की बैठकों की सूचना देना
   ङ) निदेशकों और निदेशकों की समितियों की बैठकें बुलाना और करना जिसके अंतर्गत परिचालन द्वारा संकल्प पारित करना भी है
   (च) 29 अगस्त, 2013 करो छठी वार्षिक साधारण बैठक बुलाना और करना
   (छ) साधारण बैठक और बोर्ड की तथा उसकी समितियों की बैठकों की कार्यवाहियों का कार्यबृत्त
   (ज) निदेशक बोर्ड का गठन तथा निदेशकों की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति और पुन:नियुक्ति
   (झ) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति तथा उनका पारिश्रामिक
   (ञ) कंपनी के शेयरों का अंतरण और पारेषण, शेयरों का निर्गम और आबंटन तथा शेयरों के मूल और अनुकृति प्रमाणपत्र जारी करना
   ट) लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक
   ठ) उधार लेना और रजिस्ट्रीकरण, उपांतरण तथा प्रभारों को पूरा करना
   ड) बोर्ड की रिपोर्ट
   ढ) कंपनी की संविदाए, साधारण मुद्रा, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय तथा नाम का प्रकाशन और
   ण) साधारणतया अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी लागू उपबंध।

2. हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि :

क) कंपनी के निदेशकों ने अधिनियम की धार 299, धारा 305 के अधीन सभी अपेक्षित प्रकटन किए हैं। तथापि, एक सरकारी कंपनी होने के नाते अधिनियम की धारा 274(10 (छ) के उपबंध कंपनी को लागू नहीं होते हैं।

ख) बोर्ड के सदस्यों और ज्येष्ठ प्रबंध कार्मिकों ने 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए कंपनी की आचार-संहिता का अनुपालन करने का प्रतिज्ञान किया है

ग) कंपनी ने जहां अपेक्षित या अधिनियम के अधीन निदेशकों, शेयधारकों और अन्य प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमोदन अअिभिप्राप्त किए है

घ) कंपनी के विरूद्ध अधिनियम के अधीन कथित अपराधो के लिए कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया गया और न ही कोई जुर्माना तथा शास्तियां या अन्य कोई दंड कंपनी पर वित्त वर्ष के दौरान अधिनियम के अधीन अपराधो के लिए अधिरोपित किया गया

ङ) कंपनी के पास ऐसा कोई धन नहीं है जो असदंत्त लाभांश लेखे के लिए अंतरण के लिए शोध्य है, कोई आवेदन धन जो प्रतिदाय के लिए शोध्य है और परिपक्व डिबेंचरों के लिए और उनपर उदभूत ब्याज जो कि अदावाकृत या 7 वर्ष की अवधि के लिए असंदत्त था और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरण के लिए शोध्य था

च) कंपनी द्वारा लोक वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और अन्य से 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए उधार ली गई रकम कंपनी की उधार लेने की सीमाओं के भीतर है और अधिनियम की धारा 293(1)(घ) के अनुसार आवश्यक संकल्प सम्यक रूप से बुलाई गई वार्षिक साधारण बैठक में पारित कर लिए गए हैं

छ) कंपनी असूचीबद्ध कंपनी है और सूचीकरण करार कंपनी को सिवाय उस विस्तार तक जहां तक यह किसी सूचीबद्ध कंपनी की अनुषँगी है लागू नहीं होते हैं।

3. हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि सिवाय स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के बोर्ड का गठन और नामनिर्दिष्ट निदेशकों की अधिकतम संख्या की नियुक्ति सरकार, अन्य केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा की जानी है जैसाकि निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों में उपदर्शित है, कंपनी ने केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांत का अनुपालन किया है जिसके अतंर्गत निगम शासन पर विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रशासनिक मंत्रालय को विनिर्दिष्ट प्ररूप में रिपोर्ट फाइल करना भी है।

कृते नारायण शर्मा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
(नारायण शर्मा)
प्रोपराइटर
सीपी नम्बर 3844
सदस्यता संख्या : एफसीएस 5117

स्थान : गुवाहाटी
तारीख : 10 मई, 2014

वित्त वर्ष 2013-14 की सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बोर्ड की अर्हता का स्पष्टीकरण

सचिवालयी रिपोर्ट में अर्हता	बोर्ड का स्पष्टीकरण
व्यावृति और सिवाय निगम शासन पर डीपीई मार्ग दर्शक सिद्धातों द्वारा यथा उपदर्शित अनुसार सरकार अन्य सीपीएसई द्वारा नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या और नाम निर्दिष्ट निदेशकों की अपेक्षित अधिकतम संख्या के कंपनी ने निगम शासन पर डीपीई मार्ग दर्शक सिद्धानों का अनुपालन किया है जिसके अंतर्गत नियत समय के भीतर विनिर्दिष्ट प्ररूप में निगम शासन पर प्रशासनिक मंत्रालय को रिपोर्ट फाइल करना भी है।	परियोजना चरण के दौरान यथा स्थिति बनाए रखने के लिए सरकार से विशेष व्यवस्था की बांछा की गई है ताकि कंपनी महत्वपूर्ण चरण में सभी प्रस्तावकों की सामुहिक बुद्धिमता का लाभ उठा सके। सरकार से प्रत्युत्तर की प्रत्याशा है।

निगमित सुशासन अनुपालन प्रमाण-पत्र

नारायण शर्मा
बी. कॉम (मेजर), एफसीएस

नारायण शर्मा एंड एसोसिएट
मास्टर इन्क्लेव
भूतल, उद्यांचल पथ
सुनील पेट्रोल पम्प के साथ
क्रिश्चन बस्ती, जी एस रोड, दिसपुर
गुवाहाटी - 781005
फोन : 0361-2343127,9435018319
ई-मेल : csnarayansharma@gmail.com

निदेशक बोर्ड,
ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड
होटल ब्रह्मपुत्र अशोक
एम.जी.रोड, गुवाहाटी-781001

हमने ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पोलीमर लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात कंपनी कहा गया है) के 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निगम शासन शतों की अनुपालना की जांच कर ली है, जैसाकि निगम शासन पर डीपीई दिशानिर्देश में पदर्शित किया गया हैं। कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी नही है और सूचीकरण करार के खंड 49 में वर्णित निगम शासन की शर्ते उसे लागू नही होती हैं।

निगम शासन पर शर्तो की अनुपालना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच उनकी प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन जिन्हें कंपनी द्वारा निगम शासन की शर्तों का सुनिश्चय करने के लिए अंगीकृत किया गया है की जांच करने तक सीमित है। यह न ही लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी की वित्तीय विवरणियों पर राय व्यक्त करना है।

हम आगे और रिपोर्ट करते हैं कि स्वतंत्र निदेशको की अपेक्षित संख्या के साथ बोर्ड के गठन के सिवाय और अधिकतम नामनिर्दिष्ट निर्देशकों जिनकी सरकार अन्य सीपीएसई द्वारा निगम शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों में यथाउपदर्शित रूप में नियुक्त की जानी है, कंपनी ने सीपीएसई के लिए निगम शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों जिसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्ररूप में निमग शासन पर प्रशासनिक मंत्रालय को निगम शासन पर रिपोर्ट भेजना भी है की अनुपालना की है।

स्थान : गुवाहाटी
तिथि : 10 मई, 2014

कृते नारायण शर्मा एंड एसोसिएटेड
कंपनी सचिव
(नारायण शर्मा)
प्रोपराइटर
सीपी नम्बर 3844
सदस्यता संख्या : एफसीएस 5117

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

दास एंड शर्मा
चार्टर्ड एकाउंटैंट

विनय कुमार दास, एफसीए, डीआइएसए
देवजीत शर्मा, एफसीए, डी आई एस ए

सेवा में

सदस्य
ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड,
गुवाहाटी, असम

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

हमने ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड की संलग्न वित्तीय विवरणियों जिसमें 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा अन्य स्पष्टीकारक सूचना है की लेखापरीक्षा कर ली है।

वित्तीय विवरमियों पर प्रबंधन का दायित्व

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जो कंपनी की वित्तीय प्रास्थिति, वित्तीय कार्यकरण और नकद प्रवाह का कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की धारा 211 की उपधारा 3(ग) में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार सही और न्यास संगत दृश्य प्रस्तुत करती है। इस उत्तरदायित्व में आंतरिक नियंत्रण के लिए वित्तीय विवरणियों की तैयारी और प्रस्तुतिकरण से सुसंगत डिजाइन, कार्यान्यन और अनुरक्षण सम्मिलित है जो सही और न्यायेजचिल परिदृश्य प्रस्तुत करता है और जो तात्विक मिथ्या कथन चाहे कपट से हो या त्रुटिपूर्ण से मुक्त है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर राय अभिव्यक्त करने का है। हमने अपनी लेखापरीक्षा इंस्टीट्युट ऑफ एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की है। यह मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं की अनुपालना करें और लेखापरीक्षा की योजना और निष्टापदन इस उदेश्य से करें कि क्या वित्तीय विवरिणयां तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं।

जैसेकि लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों में रकमों और प्रकटन के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य अभिप्राप्त करना है। चयन की गई प्रक्रिया लेखापरीक्षकों के निर्णय पर आधारित है जिसके अंतर्गत वित्तीय विवरणियों में तात्विक मिथ्या कथन के जोखिम चाहे कपट या त्रुटिवश हो, का निर्धारण करना भी है।

इन जोखिमों का निधीरण करने के लिए लेखापरीक्षक कंपनी की वित्तीय विवरणियों की तैयारी और न्यायसंगत प्रस्तुतिकरण से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं ताकि परिस्थितियों में यथोचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन किया जा सके।

किसी लेखापरीक्षा में उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्ता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों की न्याय संगतता के साथ-साथ वित्तीय विवणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मुल्याकंन करना भी शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा अभिप्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार का उपबंध करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवणियां अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानाकारी यथाअपेक्षित रीति में प्रदान करती है और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुरूप सही और न्यायसंगत परिदृश्य प्रस्तुत करती है :

क) 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों की स्थिति की दशा में तुलनपत्र

ख) संब्यवहार राजस्व के अभाव में लाभ और हानि की विवरणी की दशा में परियोजना के परिचालन की स्थिति दी गई है, और

ग) उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नकद प्रवाह की नकद प्रवाह विवरणी की दशा में।

निम्नलिखित पर ध्यान

1. कंपनी के विरूद्ध किए गए दावों के संबंध में वित्तीय विवणियों के टिप्पण 18 के पैरा 19 की और हम ध्यान आकृष्ट करते हैं और इसमें किसी दावे को नहीं माना गया है। इस संबंध में हमारी राय आर्हित नहीं है।
2. हम देनदारों और लेनदारों के शेष संबंधित वित्तीय विवरणियों के टिप्पण 18 के पैरा 21 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं जो पुष्टि की शर्त के अधीन है। प्रबंधन द्वारा अनुरोध की गई पुष्टियों मे से हमने केवल दो पुष्टियां प्राप्त की हैं। इस विषय में हमारी राय अर्हित नहीं हैं।
3. हम वित्तीय विवरणियों के टिप्पण 1 (ख) (iii) की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं जिसमें असंदत्त कालों की रकम को दर्शित किया गया है। असंदत्त रकम आबंटित शेयरों के संबंध में नहीं है किन्तु प्रस्थापकों अर्थात गैल, ओआईएल, एनआरएल, असम सरकार के बीच संयुक्त उद्यम करार के संबंध में है। इस विषय में हमारी राय अर्हित नहीं है।
4. हम वित्तीय विवरणियों के टिप्पण 18 के पैरा 3 की ओर ध्यान आकृष्ट करते है जिसमें साशवत अधिकारों जैसे अमूर्तो के अपाकरण के संबंध में लेखांकन नीति में परिवर्तन को और परिवर्तन के संघात को उपदर्शित किया गया है। इस विषय में हमारी राय अर्हित नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 227 की उपधारा 4(क) के अर्थातर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरिक्षीकों की रिपेर्ट) आदेश, 2003 (आदेश) द्वारा यथाअपेक्षित हम उपाबंध में आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट विषयों पर विवरण प्रदान करते हैं।
2. अधिनियम की धारा 227 (3) द्वारा जैसाकि अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते है कि :

क) हमने वह सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए अपेक्षित थे

ख) लेखाबहियों से हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर प्रतीत होता है कि हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा यथाअपेक्षित उचित लेखाबहियां रखी है

ग) इस रिपोर्ट द्वारा व्यौहार किया गया

तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरणी, नकद प्रवाह विवणी लेखाबहियों के अनुरूप हैं।

घ) हमारी राय में तुलनपत्र लाभ और हानि विवरणी तथा नकद प्रवाह विवरणी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारहा 211 की उपधारा 3(ग) में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

ङ) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा 91) के खंड (छ) के उपबंध कंपनी को लागू नहीं होते है।

च) चूंकि केन्द्रीय सरकार ने इस बाबत कोई अधिसूचना जारी नहीं की है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441(क) के अधीन उपकार का संदाय किस दर पर किया जाएगा न ही उसने उक्त धारा के अधीन ऐसे उपकर का संदाय किए जाने के लिए कोई नियम जारी किए हैं। अत: कंपनी द्वारा कोई उपकर शोध्य और संदेय नहीं है।

अन्य विषय :

1. असम सरकार से 131 बीघा भूमि अभिप्राप्त करने के लिए भूमि स्वामित्व दस्तावेज सरकारी प्राधिकारियों से आवशयक अनुमोदनो के लंबन के कारण प्रक्रियाधीन हैं। कब्जा अभिप्राप्त कर लिया गया है। इस संबंध में हमारी राय अर्हित नहीं हैं।

कृते दास एंड शर्मा
चार्टर्ड एकाउंटैंटस
फर्म संख्या 31421ई
(देवजीत शर्मा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 052268

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 22.05.2014

ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पोलीमर लिमिटेड कंपनी के 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष कते लेखाओं पर सदस्यों को हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के पैरा 1 में निर्दिष्ट उपाबंध

ऐसी जांच जैसाकि हमने समुचित समझी, है के आधार पर और हमारी लेखापरीक्षा के प्रक्रम में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. क) कंपनी ने पूर्ण विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए समुचित अभिलेख रखे हैं जिसके अतंर्गत मात्रात्मक ब्यौरे और नियत आस्तियों की प्रास्थिति भी है।

   ख) जैसाकि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, वर्ष के दौरान प्रबंधन ने नियत आस्तियों का भौतिक सत्यापन कर लिया है, ऐसे भौतिक सत्यापन पर कोई तात्विक कमियां नहीं पाई गई हैं। ऐसे भौतिक सत्यापन के साक्ष्य हमें उपलब्ध कराए गए हैं।

   ग) हमारी राय और पुन: दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान किसी नियत आस्ति का निपटान नहीं किया गया और इसलिए चालू मत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

2. तैयार मालों, भंडारों, कच्ची सामग्रियों और अतिरिक्त हिस्से पुर्जों के भौतिक सत्यापन का प्रश्न उदभूत नहीं हौता है, चूंकि कंपनी इस समय माल-सूचियों का रखरखाब नहीं कर रही है। संनिर्माण सामग्रियों का स्टॉक मुख्यत: इंजीनियर इंडिया लिमिटिड की अभिरक्षा में है।

3. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे द्वारा लेखाबहियों की परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने कोई प्रत्यभूत या अप्रयाभूत ऋण कंपनियों, फर्मों या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध अन्य पक्षकारपों को नहीं दिया है। परिणामस्वरूप आदेश के खंड iii(ख), खंडiii(ग) और खंडiii(घ) कंपनी को लागू नहीं होते है।

4. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे द्वारा लेखाबहियों की परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने ऑयल इंडिया लिमिटिड जो कि एक संवंधित कंपनी है से 250 करोड़ रूपए (वित्त वर्ष 2012-134 के दौरान) का ऋण लिया है जो 31 मार्च, 2014 को पूर्णत: बकाया था। कंपनी का नाम कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर मे सूचीबद्ध है।

5. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी राय है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो एक संवंधित पक्षकार है, से लिए गए उधार के ब्याज की दर और निबंध और शर्तें कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।

6. ऋण का पुनर्भुगतान अभी आरंभ नहीं हुआ है और वर्ष के लिए ब्याज का सम्यक्त: भुगतान का दिया गया है।

7. हमारी राय और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के आकार और उसके कारबार की प्रक्रिया के अनुरूप मालसूचियों, नियत आस्तियों की खरीद और मालों पर व्यय तथा विक्रय के लिए साधारणतया एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया है। हमारी लेखापरीक्षा के प्रक्रम में आंतरिक नियंत्रणों में किसी सतत असफलता का मामला ध्यान में नही आया है।

8. अन्य पक्षकारों जिनके नाम की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर

में प्रविष्टि अज्ञापक है, को वित्तीय विवरणियों के टिप्पण 18 के पैरा 14 में ब्यौरेवार अधिकथित किया गया है और हमने उसका सत्यपान कर लिया है।

9. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58 पर और 58कक के अधीन आने वाले कोई जमा जनता से स्वीकार नहीं किए हैं।

10. प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी की उसके आकार और कारबार की प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है। पर्याप्त विश्वसनीयता वाली एक चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म को आंतरिक लेखापरीक्षा सौंपी गई है।

11. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अधीन लागत अभिलेखों का रखा जाना इस समय कंपनी को लागू नहीं होता है, चूंकि कंपनी ने प्रचालन आरंभ नहीं किए है और न ही अधिनियम के अधीन ऐसे अभिलेख विहित किए गए हैं।

12. कंपनी विवादास्पद कानूनी शोध्यों जिसके अंतर्गत भविष्य निधि, वैट, सेवाकर, सीमाशुल्क, आय-कर आदि हैं को संबंधित प्राधिकारियों के पास जमा कराने में नियमित रही है। हमें सूचित किया गया है कि वैट, सेवाकर, सीमाशुल्क, आय-कर और अन्य कानूनी शोध्यों की बाबत वर्ष के अंत में छः मास से अधिक की अवधि जिससे वह संदेय होते हैं, कोई बकाया शेष नहीं है।

13. वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की संचित हानियां कंपनी के शुद्ध मूल्य के 50 प्रतिशत से कम हैं और एएस-11 के अर्थातर्गत मान्यता दिए गए विदेशी मुद्रा संव्यवहार हानियों को दर्शाते हैं। तथापि, वाणिज्यिक प्रचालन अभी शुरू नहीं हुए हैं।

14. हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी यह राय है कि कंपनी ने वित्तीय संस्था, बैंक या डिबेंचर धारकों को शोध्यों के पुनर्सदाय में कोई व्यतिक्रम नहीं किया है।

15. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणोां के अनुसार कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखनें के माध्यम से प्रतिभूति के आधार पर ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किए हैं।

16. कंपनी चिटंफंड या निधि/पारस्परिक फायदा निधि/ सोसायटी नहीं है। अतः कंपनियां (लेखारीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 (यथासंशोधित) कंपनी को लागू नहीं होते हैं।

17. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी शेयरों, पारस्परिक निधियों एवं अन्य विनिधानों में व्यापार नहीं कर रही है।

18. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने अन्य द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के लिए कोई गांरटी नहीं दी है।

19. कंपनी ने अभिप्राप्त आवधिक ऋण का उपयोजन कर लिया है और ऋण उस प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया जिसके लिए वह लिया गया था।

20. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के तुलनपत्र की समग्र जांच पर हम रिपोर्ट करते हैं कि अल्पकालिक आधार पर एकत्रित की गई निधियों का कंपनी द्वारा दीर्घकालिक विनिधान के लिए उपयोग नहीं किया गया है।

21. की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का अधिमानी आबंटन नहीं किया है।

22. लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी का कोई बकाया डिबेंचर नहीं है।

23. कंपनी ने वर्ष के दौरान लोक निर्गम द्वारा कोई धन एकत्र नहीं किया है।

24. की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के अधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी ने या कंपनी द्वारा किया गया कोई कपट हमारी जानकारी में नहीं आया है या न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की जानकारी दी गई है।

कृते दास एंड शर्मा
चार्टर्ड एकाउंटैंटस
फर्म संख्या 31421ई
(देवजीत शर्मा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 052268

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 22.05.2014

तुलन पत्र

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार

000 में रू.

विशिष्टियां	टिप्पण संख्या	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
क. साम्या और दायित्व			
1 शेयरधारकों की निधियां			
क) शेयर पूंजी	1	11,328,716	10,579,503
ख) आरक्षितियां और अधिशेष	2	46,889,159	36,927,872
2. आवंटन के लंबन के दौरान शेयर आवेदन धन	3	408,387	1,046,549
3. गैर-चालू दायित्व			
क) दीर्घकालिक उधार	4	12,391,735	14,416,250
ख) अस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)			
ग) अन्य दीर्घकालिक दायित्व	5	-	-
घ) दीर्घकालिक उपबंध	6	10,405	8,468
4. चालू दायित्व			
क) अल्पकालिक उधार			
ख) व्यापार संदेय			
ग) अन्य चालू दायित्व	7	3,862,518	3,976,010
घ) अल्पालिक उपबंध	8	2,909,444	2,331,761
कुल		**77,800,364**	**69,286,413**
ख. आस्तियां			
1. गैर-चालू आस्यिता			
क) नियत आस्तियां			
1. मूर्त आस्तियां	9	2,338,303	1,634,047
2. अमूर्त आस्तियां	9	77,151	79,338
3. चालू पूंजी कार्य	10	55,900,478	53,095,911
4. विक्रय के लिए धृत नियम आस्तियां			

000 में रू.

विशिष्टियां	टिप्पण संख्या	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
ख) गैर-चालू विनिधान			
ग) अस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)			
घ) दीर्घकालिक ऋण आर अग्रिम	11	16,202,062	11,666,960
ङ) अन्य गैर चालू आस्तियां	12	42,591	30,316
2. चालू आस्तियां			
क) चालु विनिधान			
ख) मालसूचियां			
ग) व्यापार प्राप्त	13	-	-
घ) नकद और नकद समतुल्य	14	588,504	1,656,754
ङ) अल्पकालिक उधार और अग्रिम	15	907,064	722,645
च) अन्य चालू आस्तियां	16	1,744,211	400,442
कुल		**77,800,364**	**69,286,413**
ग. अतिरिक्त जानकारी	18		
घ. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	19		

(पी.एन.प्रसाद)
प्रबंध निदेशक

(ओ.पी.टेलर)
निदेशक, वित्त और सीएफओ

(रुली दास सेन)
कंपनी साचिव

समसंख्यक तारीख की हमारी पृथक रिपोर्ट के अनुसार कृते दास एंड शर्मा
चार्टई एकाउंटेंट्स,
फर्म संख्या 312214ई
(देवजीत शर्मा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 052268

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 22.05.2014

लाभ-हानि विवरण

31 मार्च 2014 के लिए वर्ष समाप्ति पर

रू 000 में

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2014 तक	31 मार्च 2013 तक
I.	**प्रचालनों से राजस्व**		शून्य	शून्य
	वित्तीय कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में			
	उत्पादों का विक्रय			
	सेवाओं का विक्रय			
	अन्य प्रचालन राजस्व			
	घटाएं :			
	उत्पाद शुल्क			
II.	अन्य आय	17	8,794	शून्य
III.	**कुल साजस्व (I + II)**		8,794	शून्य
IV.	**व्यय :**			
	उपयोग की गई सामग्रियों की लागत			
	आंतरिक रूप से विनिर्मित मध्यवर्तियां या उपभोग किए गए संघटक			
	स्टाक इन ट्रेड का क्रय			
	तैयार मालों, चालू कार्य और स्टाक इन ट्रेड की मालसुचियों में परिवर्तन			
	कर्मचारी फायदा व्यय			
	वित्तीय लागतें			
	आवक्षयण और आपाकरण व्यय			
	अन्य व्यय	17 A	शून्य	209137
	कुल व्यय		शून्य	209137
V.	आपवादिक और असाधारण मदों तथा कर से पूर्व लाभ (हानि) (III-IV)		8,794	(209137)
VI.	अवपादिक मदें		शून्य	शून्य
VII.	असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ..हानि (V-VI)		8,794	(209137)
VIII.	असाधारण मदें		शून्य	शून्य
IX.	कर से पूर्व लाभ/(हानि) (VII-VIII)		8,794	(209137)
X.	कर वय्य :		शून्य	शून्य
	(1) चालू कर			
	(2) अस्थगित कर			
XI.	सतत प्रचालनों की आवधि से लाभ/(हानि) (VII-VIII)		8794	(209137)
XII.	प्रचालनों को बंद करने की आवधि से लाभ/(हानि)		शून्य	शून्य
XIII.	बंद किए गए प्रचालनों का कर व्यय		शून्य	शून्य
XIV.	प्रचालनों को बंद करने की अवधि से लाभ/(हानि)(कर के प्रश्चात)(XII-XIII)		शून्य	शून्य
XV.	अवधि के लिए लाभ (हानि) (XI+XIV)		8,794	(209137)
XVI.	साम्या शेयरों के अनुसार आय :			
	(1) मूल		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(2) संकेंद्रित		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(पी.एन.प्रसाद)
प्रबंध निदेशक

(ओ.पी.टेलर)
निदेशक, वित्त और सीएफओ

(रुली दास सेन)
कंपनी साचिव

समसंख्यक तीरख की हमारी पृथक रिपोर्ट के अनुसार कृते दास एंड शर्मा
चार्टई एकाउंटेंट्स,
फर्म संख्या 312214ई
(देवजीत शर्मा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 052268

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 22.05.2014

तुलन पत्र अनुलग्नक की टिप्पणियां

टिप्पणी : 1 : शेयर पूंजी

विशिष्तियां	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	000 रूपए में	शेयरों की संख्या	000 रूपए म
क) प्राधिकृत				
10 रूपए के साम्य शेयर	2,000,000,000	20,000,000	2,000,000,000	20,000,000
ख) जारी				
10 रूपए प्रत्येक के साम्य शेयर	1,269,000,000	12,690,000	1,269,000,000	12,690,000
ग) प्रतिश्रुत और पूर्णता संदत्त				
10 रूपए प्रत्येक के साम्य शेयर	1,132,871,560	11,328,716	1,057,950,260	10,579,503
घ) प्रतिश्रुत परंतु पूर्णता सदंत नहीं				
10 रूपए प्रत्येक के साम्य शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग	**1,132,871,560**	**11,328,716**	**1,057,950,260**	**10,579,503**

टिप्पणी : 1 (क) शेयर पूंजी पुनर्मिलान

रू 000 में

विशिष्टियां
टिप्पणियां : क) रिपोर्ट की अवधि के आरंभ में और अंत में शेयरों की संख्या और बकाया रकम का पुनर्मिलान

विशिष्टियां	अतिशेष	नवीन निर्गम	बोनस	ईएसओपी	अतंरण	वापस क्रय करना	अन्य प्रभार	इतिशेष
साम्या शेयर								
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष								
-शेयरों की संख्या	1,057,950,260	74,921,300						1,132,871,560
-000 रूपए में रकम	10,579,503	749,213						11,328,716
31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष								
-शेयरों की संख्या	861,550,260	196,400,000						1,057,950,260
-000 रूपए में रकम	8,615,503	1,964,000						10,579,503

टिप्पणी : 1 (ख) : शेयर पूंजी अन्य ब्योरे

रू 000 में

विशिष्टियां
(i) 5 प्रतिशित से अधिक शेयर धारण करने वाले प्रत्येक शेयर धारक द्वारा धृत शेयरो के ब्यौरे (कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची) शेयरं का वर्ग/शेयर धारक का नाम

शेयरं का वर्ग/शेयर धारक का नाम	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार	
	धृत शेयरों की संख्या	उस शेयरों के वर्ग में प्रतिशित धृति	धृत शेयरों की संख्या	उस शेयरों के वर्ग में प्रतिशित धृति
साम्या शेयर :				
गेल (इंडिया) लिमिटेड	793,010,083	70	740,565,173	70
आयल इंडिया लिमिटेड	113,287,159	10	105,795,029	10
नुमालीगढ़ रिफाइनी लिमिटेड	113,287,159	10	105,795,029	10
असम सरकार	113,287,159	10	105,795,029	10

टिप्पण: 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार जारी किए गए शेयरों में 60 शेयर (पूर्ववर्ती वर्ष 70 शेयर) शम्मलित हैं, निदेशक गेल को (गेल 60 शेयर) (पूववर्ती वर्ष 40 शेयर) ओआईएल 10 शेयर, असम सरकार 10 शेयर।

(ii) संदाय के नकद में पास किए बिना संविदाओं के अनुसरण में पूर्णता संदत के रूप में आबंटित शेयरों की संख्या और वर्ग, तथा तुलनपत्र की तारीख से तुरंत पूर्ववर्ती 5 वर्ष की अवधि के दौरान वापस क्रय किए गए बोनस शेयर और शेयर और शेयर (कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के भाग 1 के टिप्पण संख्या 64(झ) के अनुसरण में प्रकटन)।

विशिष्टियां	शेयरों की कुल संख्या	
	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
मताधिकार के साथ साम्या शेयर		
नकद में संदाय प्राप्त किए बिना संविदाओं के अनुसरण में पूर्णता संदत	66,155,019	66,155,019
बोनस शेयरों के रूप में पूर्णतया संदत	शून्य	शून्य
वापस क्रय किए गए शेयर	शून्य	शून्य
विभिन्न मताधिकारों के साथ साम्या शेयर		
नकद में संदाय प्राप्त किए बिना संविदाओ के अनुसरण में पूर्णता संदत	शून्य	शून्य
बोनस शेयरों के रूप में पूर्णता सदंत	शून्य	शून्य
वापस क्रय किए गए शेयर	शून्य	शून्य

(iii) असदंत कालों के ब्यौरे (कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसुची VI के भाग 1 के टिप्पण संख्या 64 (ट) के अनुसरण में प्रटन)

विशिष्टियां	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	000 रूपए में	शेयरों की संख्या	000 रूपए में
मताधिकार के साथ साम्या शेयर				
असदंत कालों का समग्र				
– निदेशकों द्वारा				
– अधिकारियों द्वारा				
– अन्य द्वारा	95,289,887	952,899	106,394,868	1,063,949

(iv) प्रतिसंहत शेयरों के ब्यौरे (कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के भाग 1 के टिप्पण संख्या 64(ठ) के अनुसरण में प्रकटन) : शून्य

टिप्पणी : 2 : आरक्षितियाँ एवम् अधिशेष

रू ०००० में

विशिष्टियां		31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31, मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
क) पूंजी आरक्षिती			
इतिशेष		37,137,009	21,451,288
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त निधि		9,769,600	15,520,000
एसटीडीआर पर अर्जित समय ब्याज	203,473		
घटाएं : टीडीएस	20,580	182,893	165,721
ख) अधिशेष			
लाभ और हानि लेखे का इतिशेष		(209,137)	-
चालू वर्ष का शेष		8,794	(209,137)
योग		**46,889,159**	**36,927,872**

टिप्पण : पूंजी आरक्षिती भारत सरकार से प्राप्त सहायिकी को दर्शाती है। इसमें एमओसीएफ, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र संख्या 45103/1/2005-पीसी-1 (पीआरटी), तारीख 15-02-2012 इस निधि के किए गए एसटीडीआर पर ब्याज सम्मिलित हैं॥

लेखांकन मानक-12 के अधीन प्रकटन

रू ०००० में

विशिष्टियां	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
सरकारी अनुदानों के ब्यौरे : वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सरकार से प्राप्त अनुदान		
-सहायिकियां (पूंजी आरक्षितियों के अधीन उपदर्शित)	9,769,600	15,520,000
वापस जोड़ा गया पूंजी सहायिकी को रखने पर अर्जित ब्याज (करों के पश्चात)	182,893	165,721
योग	**9,952,493**	**15,685,721**

(1) भारत सरकार से पूंजी परिव्यय के जरिए वर्ष के लिए 9,769,600,000 रू (पिछले वर्ष 15,520,000,000/- रूपए) की पूंजीगत सहायता प्राप्त हुई। ए एस-12 (पैरा 16) के अनुसार पूंजी के लिए योगदान के जरिए सरकारी अनुदान एवम् पुनर्भुगतान अनुबंध न हो तो ऐसे अनुदानों से जुड़ी शर्त के अनुरूप से आरक्षित पूंजी में जमा किया जाना चाहिए।

(2) कंपनी को अपने प्रशासनिक मंत्रालय से पत्र सं 45013/1/2005 पी सी-I (भाग) तारीख 15.02.2012 के जरिए निर्देश मिला कि पूंजीगत अनुदान पर प्राप्त ब्याज बी सी पी एल की आय नहीं है और इसे पूंजीगत सहायता (सकल ब्याज) में वापस जोड़ा जाना चाहिए। इसके अनुसार ब्याज आय सकल टी डी एस पर 182,893,156/- रूपए (पिछले वर्ष 165,720,893 रूपये) पूंजीगत सहायता का हिस्सा हैं।

टिप्पण 3 : आबंटन के लबंन के दौरान शेयर आवेदन धन

रू ०००० में

संयुक्त उद्यम भागीदार	निर्गमित	प्राप्त धन	आबंटित शेयर	अंतरित शेयर	कुल आबंटित	समायोजन	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31, मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
ऑयल इंडिया लिमिटेड	1,269,000	1,269,000	1,132,871		1,132,871	-	136,129	211,050
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	1,269,000	1,269,000	1,132,871		1,132,871	-	136,129	211,050
असम सरकार	1,269,000	1,270,397	1,132,871		1,132,871	1,397	136,129	100,000
गेल (इंडिया) लिमिटेड	8,883,000	7,930,100	7,930,100	0	7,930,101	-	-	524,449
निदेशक	1	1	1	0	1	-	-	-
योग	**12,690,001**	**11,738,498**	**11,328,716**	**-**	**11,328,716**	**1,397**	**408,387**	**1,046,549**

शेयर आवेदन धन जो जारी पूंजी से अधिक नहीं है और जो प्रतिदाय के विस्तार तक नहीं है का इस लाइन मद की अधीन प्रकटन किया जाना है। (कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के भाग 1 के टिप्पण संख्या 6छ के अनुसरण में प्रकटन)

जारी किए जाने वाले शेयरों के निबंधन और शर्तें : प्रस्थापक और सीसीईए अनुमोदन के बीच संयुक्त उद्यम करार के अनुसार

जारी किए जाने वाले प्रस्तावित शेयरों की संख्या : उस परिमाण तक जहां संयुक्त उद्यम करार का अनुपात मिलता है।

प्रीमियम, यदि कोई है की रकम : शून्य

वह अवधि जिससे पूर्व शेयरों का आबंटन किया जाना है : जब भी प्रस्थापकों अर्थात गेल, असम सरकार, ऑयल और एनआरएल द्वारा संयुक्त उद्यम करार के निबंधनों के अनुसार 70:10:10:10 का साम्या का समानुपात पूरा हो जाता है।

क्या कंपनी के पास शेयर आवेदन धन में से शेयरों के आबंटन के लिए शेयर पूंजी को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्राधिकृत शेयर पूंजी है : हां

बह अवधि जिसके लिए शेयर आवेदन धन आबंटन के परे जैसाकि शेयर आवेदन में वर्णित है, के साथ ऐसे शेयर आवेदन धन के लंबन के कारणों सहित

अवधि : लागू नहीं होता। शेयर जब भी 70:10:10:10 के अनुपात में प्रस्थापकों अर्थात गेल, असम सरकार, ऑयल और एनआरएल द्वारा संयुक्त उद्यम करार के निबंधनों के अनुसार साम्या संवितरण समानुपात का समानुपात पूरा हो होता है तो शेयरों का आबंटन किया जाता है। 1,269,000,000/- रूपए के निर्गम के लिए जारी मांग से ऊपर असम सरकार से प्राप्त अधिक 1,397,190/- रूपए का शेयर आवेदन धन, अन्य चालू दायित्व के अधीन समूहित समायोजन के लिए शोध्य शेयर आवेदन धन में अतंरित कर दिया गया है।

टिप्पण 4 : दीर्घकालिक अवधि उधारों के ब्यौरे

रू ०००० में

विशिष्टियां	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
प्रतिभूति		
(a) बंधपत्र/डिबेंचर	शून्य	शून्य
(b) आवधिक ऋण		
(i) बैंकों से		
इलाहाबाद बैंक	-	612,500
आंध्रा बैंक	-	742,500
बैंक ऑफ वड़ौदा	-	962,000
बैंक ऑफ इंडिया	-	962,000
कारपोरेशन बैंक	-	481,000
जम्मू एंड कश्मीर बैंक	-	481,000
पीएनबी	-	1,856,000
स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर	-	403,000
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1,538,535	-
योग	**1,538,535**	**6,500,000**

(सभी नियत आस्तियां दोनों जंगम और स्थावर, वर्तमान तथा भावी जिसके अंतर्गत मूर्त और अमूर्त रैकिंग मात्रा के अनुसार शामिल है के साथ सभी आवधिक उधार देने वालों सिवाय कंपनी के कब्जे में 131 वीघा सरकारी भूमि किन्तु जिसका स्वामित्व विलेख अभी भी अंतरित किया जाना है पर भार के माध्यम से।)

पुनर्संदाय के निबंधन : ऋण के पुनर्संदाय की अभिकल्पना 96 मासिक किस्तों में की गई है जो एससीओडी से दो वर्ष की अधिस्थगल अवधि के पश्चात प्रारंभ होगी।

***ब्याज दर :** इस समय एसबीआई की आधारित दर धन 0.45 प्रतिशत अर्थात 10.45 प्रतिशत

(ii) अन्य : : *तेल उद्योग विकास बोर्ड	8,761,950	5,770,000
घटाए : चालू दायित्वों को अंतरित चालू परिपक्वता	408,750	353,750
	8,353,200	5,416,250

(सभी नियत आस्तियों दोनों जंगम और स्थावर, वर्तमान तथा जिसके मूर्त और अमूर्त रैंकिंग मात्रा के अनुसार शामिल है के साथ सभी आवधिक उधार देने वालों सिवाय कंपनी के कब्जे में 131 बीघा सरकारी भूमि किन्तु जिसका स्वामित्व विलेख अभी भी अंतरित किया जाना है। इसके अतिरिक्त तेल उद्योग विकास बोर्ड से अभिप्राप्त कुल ऋण में से 577 करोड़ रूपए का ऋण गेल, ओआईएल, एनआरएल की निगमित प्रतिभूति के माध्यम से प्राप्त कर लिया गया है)।

***पुनर्संदाय के निबंधन :** ऋण की कुल अवधि उसके आहरण की तारीख से 10 वर्ष जिसके अंतर्गत दो वर्ष की छुट भी शामिल है। पुनर्संदाय 4 समान वार्षिक किस्तों में किया जाएगा। प्रथम किस्त आहरण की तारख से तीसरे वर्ष के जिसके अंतर्गत दो वर्ष की छूट भी शमिल है। पुनर्संदाय 4 समान वार्षिक किस्तों में किया जाएगा। प्रथम किस्त आहरण की तारीख से तीसरे वर्ष के अंत में शोध्य हो जाएगी। ऋण पर ब्याज की दर उस मास पर निर्भर करती है जिसमें बीसीपीएल द्वारा पहली ऋण की किस्त का आहरण किया गया है।

टिप्पणी : 12 मास की अवधि के भीतर संदेय 408,750,000 रूपए की रकम का टिप्पण संख्या 7 पर, अन्य चालू दायित्व को अंतरण कर दिया गया है।

*ऑयल इंडिया लिमिटेड	2,500,000	2,500,000

(सभी नियत आस्तियों दोनों जंगम और स्थावर, वर्तमान तथा भावी जिसके अंतर्गत मूर्त और अमूर्त रैंकिंग मात्रा के अनुसार शामिल है के साथ सभी आवधिक उधार देने वालों सिवाय कंपनी के कब्जे में 131 सरकारी भूमि किन्तु जिसका स्वामित्व विलेख अभी भी अंतरित किया जाना है।

***पुनर्संदाय की शर्तें :** अधिस्थगन की अवधि के दो वर्ष के पश्चात 4 समान त्रैमासिक किस्तों में। पहली किस्त ऋण करार की तारीख से 3 वर्ष पूरा हो जाने के पश्चात तुरंत तिमाही की अंतिम तारीख को शोध्य हो जाएगी।

ब्याज दर : इस समय एसबीआई की आधारित दर धन 0.50 प्रतिशत अर्थात 10.50 प्रतिशत

ख) अप्रत्यभूत :	शून्य	शून्य
(क) और (ख) के संबंध में उधार और ब्याज के प्रतिदाय में तुलनपत्र की तारीख को सतत व्यतिक्रम की दशा में	शून्य	शून्य
योग	**12,391,735**	**14,416,250**

टिप्पण 5 : अन्य दीर्घकालिक दायित्व

रू ०००० में

विशिष्टियां	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
क) व्यापार संदेय	शून्य	शून्य
प्राप्त		
स्वीकृतियों से भिन्न		
ख) अन्य		
पीआरएस ठेकेदार	शून्य	शून्य
ठेकेदारों का प्रतिदारण धन		
अन्य का प्रतिधारण धन		
योग	शून्य	शून्य

टिप्पण 6 : दीर्घकालिक उपबंध

रू ०००० में

विशिष्टियां	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
क) कर्मचारी फायदों के लिए उपबंध		
उपदान	-	3,380
छुट्टी नकदीकरण	10,405	5,088
ख) अन्य	शून्य	शून्य
योग	**10,405**	**8,468**

1. वर्ष के दौरान कंपनी ने उपदान दायित्व का वित्तपोषण करने के लिए उपदान न्यास का सृजन किया है। तदनुसार, एलआईसी को न्यास का निजी प्रंबधक नियुक्त किया गया है। 142,32,453/- रूपए की रकम (कैंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय के अतिरिक्त दायित्व के निर्धारण के आधार पर एलआईसी को (31.08.2014 तक) संदाय की गई है। समूह उपदान स्कीम के अधीन उपदान निधि में एलआईसी का अभिदाय माता गया है। 69,45,400/- रूपए के एस अभिदाय को 31.03.2014 तक वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर उपदान के लिए अभिदाय माना गया है और 72,87,053/- रूपए की शेष रकम को पूर्व संदत रकम माना गया है और इसे टिप्पण संख्या 15 के अधीन, अल्पकालिक ऋण और अग्रिम के अधीन उपदर्शित किया गया हैं।
2. कंपनी ने समापन की तारीख को विद्यमान कर्मचारियों के बीमांकन मूल्यांकन के अधार पर लेखाबहियों में नियमित कर्मचारियों के छुट्टी नकदीकरण फायदे के दायित्व के लिए उपबंध किया है। कंपनी बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर छुट्टी न ली गई दायित्व की रकम का भावी मूल्याकंन अभिलिखित करती है और इसे लेखाओं पर भारित करती है। वर्ष के दौरान लेखाओं में ऐसी ठुट्टी नकदीकरण दायित्व की रकम 76,25,194/- रूपए (पूर्ववर्ती वर्ष 48,14,642/- रूपए) का उपबंध किया गया हैं।

टिप्पणी-7 अन्य वर्त्तमान देयताएँ

रू ०००० में

विशिष्टियां		31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
क) दीर्घकालिक ऋण की चालू परिपक्वताएं				
ऋण-ओआईडीबी		408,750		353,750
ख) अन्य संदेय		2,235,680		1,976,082
कर्मचारी	2,586		1,491	
कर (वैट, एसटी, टीडीएस एवं डब्ल्यूसीटी)	93,634		115,624	
प्रतिभूति जमा	62,848		68,365	
धरोधर राशि जमा	20,627		11,051	
मूल्य कटौती अनुसूची	1,143,571		1,102,301	
प्रतिधारण	658,983		676,509	
चालू खाते में प्रत्याशेष	225,513			
अन्य	27,918		741	
ग) पूंजी संधर्म एवं आपुर्ति के लिए संदेय		1,216,691		1,646,178
आपूर्तिकर्ता (स्वदेशी	68,940		73,943	
आपूर्तिकर्ता एवं सलाहकार (विदेशी)	158,223		341,126	
ठेकेदार	989,528		1,231,109	
घ) समायोजन के लिए शोध्य शेयर आवेदन धन-असम सरकार		1,397		-
योग		**3,862,518**		**3,976,010**

1. वित वर्ष 2014-15 के दौरान परियोजना के प्रतिष्ठापन का अनुमान लगाया गया है, यह आशा की जाती है कि सभी ठेकों को समाप्त करना हासिल कर लिया जाएगा। इसलिए प्रतिभूति जमा, पीओएस और ठेकेदारों के बीजकों से अन्य प्रतिधारण जैसे प्रतिभूति जमा को चालू दायित्व माना गया है। इसी तरह ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं आदि के बकाया के वित वर्ष 2014-15 में पूरा किया जाने का अनुमान है।
2. ओआईडीबी से 100.43 करोड़ रूपए के ऋण संवितरण जिसे पत्र संख्या 4-10-2013 औआईडीबी/बीपीसीएल, तारीख 31-03-2014 द्वारा संसूचित किया गया था, के पूर्वानुमान के कारण चालू खाते से अधिक के चैकों के जारी करने के परिणामस्वरूप चालु खाते में प्रत्यय शेष रहा। तथापि, 100.43 करोड़ रूपए जैसा कि ऊपर वर्णित है का 02-04-2014 (01-04-2014 बैंक कार्य समाप्ति दिवस था) को चालू खाते में प्रत्यय कर दिया गया और पश्चातवर्ती रूप में जारी किए गए चैकों का समाशोधन कर दिया गया। चालू खाते में बैंक में शेष में चालू खाते में से सृजित स्वत: स्वीप लेखे में शेष शामिल है।

टिप्पण 8 : अल्पकालिक उपबंध

रू ०००० में

विशिष्टियां		31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
क) कर्मचारियों के फायदे के लिए उपबंध :				
उपदान के लिए उपबंध		-		34
अन्य कर्मचारी फायदों के लिए उपबंध (छुट्टी वेतन)		135		69
ख) उपबंध-अन्य		2,909,309		2,331,658
आयकर के लिए उपबंध	245,485		146,441	
दायित्व (ठेकेदारों) के लिए उपबंध	2,566,579		2,114,367	
सीमाशुल्क के लिए उपबंध	4,537		18,658	
आपूर्तिकर्ता	39,586		-	
अन्य	53,122		52,192	
योग		**2,909,444**		**2,331,761**

टिप्पण: कर्मचारी फायदों के लिए उपबंध अल्पकालिक दायित्वों के साध ऋणकालिक दायित्वों को टिप्पण-6 में रखा गया है।

टिप्पण ९ : मूर्त और अमूर्त आस्तियां

रू ००० में

विशिष्टियां	लागत पर समग्र ब्लॉक				अवक्षयण				शुद्ध ब्लॉक	
अमुर्त आस्तियां (क)	01.04. 2013 की स्थिति के अनुसार	वर्ष के दौरान वर्धन	वर्ष के दौरान विक्रय/ समायोजन	31.03. 2014 की स्थिति के अनुसार	01.04. 2013 की स्थिति अर्जित अवक्षयण	वर्ष के दौरान वर्धन	वर्ष के दौरान विक्रय/ समायोजन	31.03. 2014 की स्थिति अर्जित अवक्षयण	01.04. 2013 की स्थिति के अनुसार	31.03. 2014 की स्थिति के अनुसार
भूमि पट्टा धृति	818,439	294	-	818,733	117,197	27,286	6,168	150,651	701,241	668,081
भवन-कारखाना भवन से भिन्न	638,642	770,813	-	1,409,454	21,286	21,914	-	43,200	617,355	1,366,254
बंक गृह	688	-	-	688	138	138	-	275	551	413
एफ एंड एफ और अन्य उपस्कार	69,490	8,980	211	78,260	17,708	7,370	(147)	24,930	51,783	53,330
वैद्युत	297,379	752	-	298,131	45,854	14,375	-	60,229	251,525	237,902
ईडीपी	18,893	4,077	-	22,970	8,176	3,216	-	11,392	10,717	11,577
मोटर कार/जीप	1,353	-	-	1,353	478	129	-	607	875	746
योग (क)	**1,844,885**	**784,915**	**211**	**2,629,589**	**210,837**	**74,427**	**6,021**	**291,285**	**1,634,047**	**2,338,303**
अमूर्त आस्तियां (ख)										
सॉफ्टवेयर/अनुज्ञप्तियां	6,202	1,899	-	8,102	3,104	1,431	-	4,535	3,098	3,567
उपयोग का अधिकार (साशवत)	75,625	-	-	75,625	-	2,568	-	2,568	75,625	73,057
उपयोग का अधिकार (उपयोगी जीवन तक सीमित:	878	-	-	878	263	88	-	351	615	527
योग : (ख)	**82,705**	**1,899**	**-**	**84,604**	**3,367**	**4,087**	**-**	**7,454**	**79,338**	**77,151**
चालू वर्ष का योग - 2013-14	**1,927,590**	**786,815**	**211**	**2,714,193**	**214,204**	**78,514**	**6,021**	**298,740**	**1,713,385**	**2,415,454**
पूर्ववर्ती वर्ष का योग 2012-13	**1,919,105**	**19,398**	**10,914**	**1,927,589**	**237,770**	**60,967**	**(84,532)**	**214,204**	**1,681,336**	**1,713,384**

टिप्पण 10 : चालू पूंजी कार्य

रू ०००० में

क्र.सं.	विशिष्टियां	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
क	सीडव्ल्यूआईपी-पूंजी नौकरियां	29,202,067	25,126,549
ख	सीडब्लयूआईपी-अपाकराण के लंबन के दौरान अमूर्त आस्तियां	1,633,455	1,585,038
ग	सीडब्लयूआईपी-समर्थनकारी आस्तियां	2,698,077	2,165,602
घ	सीडब्लयूआइपी-संनिर्माण स्टाक		
1	स्थल पर सामग्री-अंतर्देशीय आपूर्तियां	3,591,437	6,887,782
2	स्थल पर सामग्री-विदेशी आपूर्तियां	1,595,816	1,386,143
3	परिवहन के अधीन सामग्री-अंतर्देशीय आपूर्तियां	1,390,872	1,345,163
4	परिवहन के अधीन सामग्री-विदेशी आपूर्तियां	1,436,432	1,300,992
5	निरीक्षण के लिए लंबित सामग्रियां	5,077,902	6,618,688
6	सामग्री द्दथालन सेवाएं	63,539	58,195
ङ	परियोजना संबंधित कार्यकलापों के लिए पीएमसी फीस	4,297,265	3,851,389
च	विदेशी प्रत्यय पत्र खोलने के लिए संदत प्रभार	3,894	5,971
छ	अग्रिम को सचल करने पर ब्याज	(197,273)	(135,388)
ज	असम सरकार से वसूलनीय डब्लयूसीटी	(1,006,272)	(835,460)
झ	संनिमार्ण के दौरान अनुषंगिक व्यय	6,113,267	3,936,929
ञ	विदेशी मुद्रा संव्यवहार एवं संव्यवहार समायोजन खाता	-	(201,682)
	योग	**55,900,478**	**53,095,911**

टिप्पण : अग्रिम को सचल करने से वसूले गए ब्याज को चालू पूंजी कार्य से कम कर दिया गया हैं क्योंकि यह रकमें संकर्मों के लिए अग्रिम के रूप में दी गई निधियों के संबंध में प्राप्त की जाती है और इनका प्रभाव संनिर्माण की लागत को कम करने के रूप में होता है।

टिप्पण 11 : दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

1) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग 1 के टिप्पण संख्या ठ (1), (2) और (34) के अनुस्रण में प्रकटन

रू ००० में

विशिष्टियां	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
क) पूंजी अग्रिम		
प्रतिभूत समझा गया माल		
पूंजी कार्यों के लिए अग्रिम	112,567	448,230
सामग्री अग्रिम	13,057,791	7,140,844
अप्रत्याभूत जिसे अच्छा माना गया है	शून्य	शून्य
संदेहस्पद	शून्य	शून्य
	13,170,358	**7,589,074**
ख) प्रतिभूति जमा		
प्रतिभूत, जिसे अच्छा माना गया	शून्य	शून्य
	शून्य	शून्य
ग)नातेदार पक्षकारों को ऋण और अग्रिम (नीचे टिप्पण (2) को निर्दिष्ट करें)		
प्रतिभूत, जिसे अच्छा माना गया हां	शून्य	शून्य
	शून्य	शून्य
घ) अन्य ऋण और अग्रिम		
प्रतिभूत, जिसे अच्छा माना गया है		
कैंद्रीय मूल्यवर्धित कर	2,335,065	3,439,990
कैंद्रीय मूल्यवर्धित कर-अस्थगित	696,639	637,896
	3,031,704	**4,077,886**
योग	**16,202,062**	**11,666,960**

2. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग के टिप्पण संख्या छ (IV) के अनुसरण में प्रकटन

रू ००० में

विशिष्टियां	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
निदेशक *	शून्य	शून्य
कंपनी के अन्य अधिकारी	शून्य	शून्य
फर्में जिनपे निदेशक भागदार है *	शून्य	शून्य
निजी कंपनी जिसमें निदेशक सदस्य है	शून्य	शून्य
	शून्य	शून्य

नवम्बर, 2011 मास में समाप्त किए गए उत्पाद शुल्क आदेश के अनुसरण में कंपनी ने केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर का विकल्प लिया। तदनुसार, कंपनी ने नियमित आधार पर केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय का लेखांकन किया है। तारीख 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार कुल केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय 4,486,503,979/- रूपए था। इसमें से 1,454,8 00,00/- रूपए को सितम्बर, 2014 तक प्रतिष्ठापित होने की अवधारणा के आधार पर टिप्पण संख्या 16 पर चालू आस्ति के रूप में उपदर्शित किया गया है और केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय का उपयोग प्रचालन के प्रथम वर्ष में आकलित कारबार पर उत्पाद शुल्क के लिए लिया गया है।

टिप्पण 12 : अन्य गैर चालू आस्तियां

कंपनी अधिनियम 1956, की अनूसूची VI के भाग I की टिप्पणी सं एम (i), (ii) व (iii) के अनुसार विवरण

रू ०००० में

विशिष्टियां		31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
क) दीर्घकालिक व्यापार प्राप्य (जिसके अंतर्गत अस्थगित प्रत्यय अवधियों पर व्यापार प्राप्त भी है		शून्य		शून्य
ख) अन्य :		42,591		30,316
अन्य : प्रकीर्ण				
ठेकेदारों को प्रतिभूत अग्रिम	-		5,037	
सरकार और अन्य प्राधिकारियों के पास जमा (एएसईबी, सीआईएसएफ, गैल एवं अन्य)	42,591		25,279	
योग		**42,591**		**30,316**

टिप्पणी 13 : व्यापार से प्राप्य

कंपनी अधिनियम 1956 के अनूसूची VI के भाग I के टिप्पणी सं पी (i), (ii), (iii) व (iv) के अनुसार प्रकटन

रू ०००० में

व्यापार प्राप्त	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
उस तारीख से जिसकों वह शोध्य होते हे, से छः मास से अन्युन अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्य	शून्य	शून्य
योग	शून्य	शून्य

पूर्वोक्त वर्णित व्यापार प्राप्यों में निम्नलिखित द्वारा शोध्य ऋण भी है

रू ०००० में

विशिष्टियां	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
निदेशक	शून्य	शून्य
कंपनी के अन्य अधिकारी	शून्य	शून्य
वह फर्म जिसमें निदेशक भागीदार है	शून्य	शून्य
निजी कंपनी जिसमें निदेशक सदस्य है	शून्य	शून्य
योग	शून्य	शून्य

टिप्पण 14 : नकद और नकद समतुल्य

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची IV के भाग 1 के टिप्पण संख्या प (i),(ii),(iii)और (iv) के अनुसरण में प्रकटन

रू ०००० में

विशिष्टियां	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
क) बैंकों के पास शेष		
इसमें निम्नलिखित शामिल है :		
चालू खाते में शेष	18,290	816,541
ख) हाथ में चैंक, ड्राफ्ट	शून्य	शून्य
ग) हाथ में नकद	शून्य	शून्य
घ) अन्य	-	-
एसप्रो खाता	11	250,010
ऐसे आवधिक जमा जिनकी परिपक्वता में 12 मास या कम हैं	570,203	590,203
योग	**588,504**	**1,656,754**

बैंक में चालू खाते में शेष में चालू खाते में से सृजित स्वत : स्वीप लेखे में शेष शामिल हैं।

टिप्पण 15 : अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

रू ०००० में

विशिष्टियां		31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
क) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम				
प्रतिभूत, जिन्हें अच्छा समझा गया		1,038		829
अप्रतिभूत, जिन्हें अच्छा समझा गया		शून्य		शून्य
संदेहस्पद		शून्य		शून्य
ख) पूर्व संदत्त व्यय		146,104		
बीमा	138817			21,520
उपदान	7287			शून्य
ग) अन्य		759,922		700,296
आग्रिम आयकर	30,245		27,950	
अग्रिम प्रविष्टि कर	-		188,798	
सीमाशुल्क	576		1,612	
ईआईएल रिबोलविंग निधि	300		300	
टीडीएस	84,571		54,530	
अग्रिम सचलीकरण	516,293		301,103	
अग्रिम सचलीकरण-अन्य	10,870		7,174	
अन्य को अग्रिम	117,067		118,829	
योग		**907,064**		**722,645**

टिप्पण 16 : अन्य चालू आस्तियां

रू ०००० में

विशिष्टियां		31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
क) ऐसे राजस्व जिनका बीजक नहीं बनाया गया है		शून्य		शून्य
ख) अपाकरण व्यय		47,434		38,640
ग) उद्भूत				
एसटीडीआर /जमाऔ पर उदभूत ब्याज		2,738		2,223
अग्रिम के सचलीकरण पर उदभूत ब्याज		14,950		10,196
क्रेन किराया प्रभार से उदभूत आय		1,389		1,257
घ) अन्य		1,677,700		348,126
बीमा	10,515		7,529	
असम सरकार (डब्ल्यूसीटी)	206,949		331,163	
ठेकेदार	1,754		1,122	
आपूर्तिकर्ता	-		60	
कर्मचारी	122		140	
क्रेन किराया प्रभारों की वसूली	3,530		8,112	
केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर	1,454,800			
अन्य	30			
योग		**1,744,211**		**400,442**

1. असम सरकार से डब्ल्यूसीटी के रूप में प्राप्य रकम को लघुकालिक माना गया है क्योंकि यह दावा पहले ही किया गया माना गया है और रकम के नकद में अगले बिव वर्ष के दौरान प्राप्त होने की संभावना है।
2. अस्थगित राजस्व व्यय के अपाकरण का लेखांकन नतियां मे परिवर्तन के साथ वाणिज्यिक उत्पादन के प्रथम वर्ष में ही 47,433,919/- रूपए के बराबर आपाकरण व्ययों का वित वर्ष 2014-15 में अपाकरण करने की संभावना है।
3. ऊपर दिए अनुसार अन्य चालू आस्तियां के अधीन वर्गीकृत 145.54 करोड़ रूपए के केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय के संबंध में टिप्पण 11 की और निदेश आकृष्ट किया जाता है।

टिप्पण 17 : अन्य आय

रू ०००० में

विशिष्टियां	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
क) विदेशी मुद्रा संव्यवहार और परिवर्तन पर शुद्ध फायदा	8794	शून्य
ख) पूर्वावधि समायोजन (विदेशी मुद्रा संव्यवहार और परिवर्तन पर शुद्ध फायदा)	शून्य	शून्य
योग	**8794**	शून्य

टिप्पण 17 (क): अन्य व्यय

रू ०००० में

विशिष्टियां	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
क) विदेशी मुद्रा संव्यवहार और परिवर्तन पर शुद्ध हानि	शून्य	177519
ख) पूर्वावधि समायोजन (विदेशी मुद्रा संव्यवहार और परिवर्तन पर शुद्ध हानि)	शून्य	31,618
योग	शून्य	**209,137**

टिप्पण 18 : वित्तीय विवरणियों पर अतिरिक्त जानकारी

1. पुनरीक्षित परियोजना लागत

समय और लागत में वृद्धि के कारण, कंपनी ने प्रारंभिक परियोजना लागत 5,460.61 करोड़ रूपए की लागत को पुनरीक्षित करके 8,920 करोड़ रूपए कर लिया है और परिणामस्वरूप अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2013 तक कंपनी की समय अनुसूची में परिवर्तन हो गया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने सीसीईए के अनुमोदन की संसूचना अपने पर संख्या 45012/23/10-पीसी-1 तारीख 2 दिसम्बर, 2-11 द्वारा दे दी है।

चालू वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी ने दिसम्बर, 2013 से सितम्बर, 2014 तक पूर्ण करने की समय अनुसूची में परिवर्तन का और अनुमान लगाया है तथा अनुमोदित 8920 करोड़ रूपए की अनुमोदित परियोजना लागत का 9586.25 करोड़ रूपए होने का अनुमान लगाया है जिसका अनुमोदन भारत सरकार के पास लंबित है।

2. पुनरीक्षित अनुसूची VI के अनुसार लाभ एवं हानि लेखा तैयार किया जाना

तथापि कंपनी अभी संनिर्माण के प्रक्रम पर ही है और आज तक कोई वाणिज्यिक कार्यकलाप प्रारंभ नहीं किए गए हैं। पुनरीक्षित अनुसूची VI और कंपनी अधिनियम, 1956 की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा संव्यवहार पर हानि/लाभ के उपचार के संबंध में तथा वित्त वर्ष 2012-13 से परिवर्तन लेखे के लिए लेखांकन नीति में परिवर्तन के अनुसार लाभ और हानि लेखा विदेशी मुद्रा में परिवर्तनों के आधार पर शुद्ध हानि/लाभ को नामे डालकर/प्रत्यय करके लाभ और हानि लेखा तैयार किया गया है। तदनुसार एएस-20 की अनुपालना में आबंटित भारित औसत साम्य शेयर के आधार पर प्रति शेयर अर्जन की संगणना की गई है। यह नोट करना भी सुसंगत होगा कि पूंजीकरण के लिए नियत आस्तियों के आबंटन के लंबन की अवधि के दौरान संनिर्माण के दौरान अनुषंगिक व्यय का उपचार, पूंजी कार्य प्रगति पर शीर्ष के अधीन किया गया है।

3. लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

उपयोग पर अधिकार के अपाकरण की विधि में परिवर्तन का प्रभाव :

वर्ष 2013-14 के दौरान पाइपलाइन जो कि एक अर्मूत आस्ति है, बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार के अपाकरण के संबंध में लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है। वित्त वर्ष 2012-13 तक भूमि के उपयोग के अधिकार को साश्वत प्रकृति का उसके उपयोग की गैर-वर्षानुवर्षी प्रकृति को दृष्टि में रखते हुए माना जाता था। तदनुसार किसी अपाकरण का उपबंध नहीं किया जाता था। तथापि, एएस-26 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए कंपनी ने उपयोग के अधिकार की अमूर्त आस्तियों के अपाकरण के लिए लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है और उपयोग के अधिकार को 99 वर्ष के दौरान साश्वत प्रकृति का इस तथ्य को विचार में रखते हुए कि पाइप लाइन के लिए भूमि के उपयोग का उपयोगी जीवन विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है और उसकी उपयोग की प्रकृति के कारण उसका पता नहीं लगाया जा सकता है, भूमि के उपयोग का अपाकरण को प्राधिकृत किया है। साश्वत प्रकृति के भूमि के उपयोग का अपाकरण भूलक्षी प्रभाव से भूमि के उपयोग के अधिकार के अर्जन की तारीख से किया गया है। अपाकरण की विधि में परिवर्तन के कारण नियत आस्तियों को आबंटन के लंबन की संनिर्माण अवधि के दौरान अनुषगिक व्यय उसी परिमाण तक नियत आस्तियों से संबंधित शुद्ध ब्लॉक में कमी के कारण बढ़कर 25,68,082/- रूपए हो गया है।

4. चूंकि वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ नहीं हुआ है, संनिर्माण अवधि के दौरान उपगत अप्रत्यक्ष व्यय नियत आस्तियों के संनिर्माण/अर्जन से संबंधित नहीं हैं को, अन्य चालू आस्तियां शीर्ष के अधीन अग्रणीय किया जा रहा है और वाणिज्यिक उत्पादन के प्रथम वर्ष में उनका पूर्णता अपाकरण कर लिया जाएगा। निगमन व्यय, सीएसआर कार्यकलापों, लोक संपर्क आदि के विकास पर विज्ञापन के लिए 31.03.2014 तक 4,74,33,919/- रूपए (3,86,40,407/- रूपए पूर्ववर्ती वर्ष) की रकम खर्च की गई है जिसे वित्त वर्ष 2011-12 में अस्थगित राजस्व व्यय में माना गया है और एसे वाणिज्यिक उत्पादन के प्रथम वर्ष में पूर्णयता बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।

5. **पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े**

पूर्ववर्ती वर्ष की संख्याओं को जहां भी आशयक है चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के साथ पुन: समूहित/पुन:वर्गीकृत किया गया है।

6. **असम सरकार से कार्य संविदा कर का दावा**

रकम रूपए में

दावे के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं	**चालू वर्ष**	**पूवर्ती वर्ष**
1.4.2013 को प्रारंभिक दावा (वित्त वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13	33,11,62,710	32,68,74,001
वित्त वर्ष 2013-14 के लिए गया दावा	20,68,80,856	32,90,88,709
कुल किए गए दावे	**53,80,43,566**	**65,59,62,710**
घटाए : वर्ष के दौरान प्राप्त	32,90,00,000	32,48,00,000
घटाए : वित्त वर्ष 2010-11 तक अननुज्ञात दावा	20,93,999	-
31.3.2014 की स्थिति के अनुसार प्राप्य	20,69,49,567	33,11,62,71

7. **पूंजी सहायिकी पर अर्जित ब्याज का कराधान**

एमओसीएफ के विनिदेशों के अनुसार पूंजी सहायिकी निधि को रखने से अर्जित ब्याज पूंजी सहायिकी का एक भाग बनता है और इस प्रकार पूंजी सहायिकी को रखने से ब्याज आय कंपनी के पास पूंजी प्राप्ति के रूप में कराधेय नहीं है तदनुसार, कंपनी ने दावे के प्रतिदाय के लिए निम्नानुसार रिटर्न फाइल किया है :

वर्ष	**दावा किया गया प्रतिदास**
2008-09	2,77,12,793
2009-10	1,85,09,419
2010-11	1,09,90,510
2011-12	1,42,85,640
2012-13	2,21,53,320
योग	**9,36,51,682**

आईटीएटी/सीआईटी (अपील) द्वारा मामले के अंतिम निपटान तक वित्त वर्ष 2013-14 पूंजी सहायिकी को रखने से ब्याज आय को पूंजी सहायिकी का एक भाग माना गया है।

यदि आइटीएटी में की गई अपील का निपटारा कंपनी के पक्ष में होता है और आय-कर प्राधिकार द्वारा प्रतिदाय के पश्चात इसे पूंजी सहायिकी का भाग माना जाएगा।

तथापि, ऐसे ब्याज के लिए आय-कर के लिए उपबंध किए गए हैं।

8. परियोजना अवधि के दौरान लघुकालिक जमा (एसटीडीआर) से ब्याज आय की करादेयता

चूंकि कंपनी अभी संनिर्माण परियोजना स्थापित करने से जुड़ी हुई है और कंपनी द्वारा अभिप्राप्त विधिक राय के अनुसार करादेय नहीं है। तथापि, बैंक स्रोत पर कर की कटौती कर रहे हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 264 के अधीन सीआईटी (टीडीएस), गुवाहाटी के पास कोई कटौती नहीं प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रारूप 13 के होने को अस्वीकार करने के लिए आवेटन फाइल किया गया है।

उपरोक्त स्थिति के अलोक में कंपनी ने साम्या, ऋण और सहायिकी से निधियों को रखने पर अल्पकालिक जमा से ब्याज आय पर अग्रिम कर जमा न करने का विकल्प लिया है। यद्यपि पर्याप्त सावधानी के रूप में याचिकाओं के निपटान के लंबन के दौरान अपेक्षित कर उपबंध किए गए है।

अधिसूचना संख्या एफटीएक्स 58/2008/254 तारीख 20.10.2012 तक 20.10.2009 से पूर्ववर्ती प्रभाव से असम प्रविष्टि कर अधिनियम, 2008 के अधीन विनिर्दिष्ट पूंजी मालों पर प्रविष्टि कर के संदाय से छूट को अनुज्ञात करते हुए 31 मार्च, 2013 तक 18,87,97,830/- रूपए के प्रविष्टि कर दावे के लिए कंपनी ने 18,85,48,031/- रूपए का प्रतिदाय प्राप्त किया है (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य)। 2,49,799/- रूपए के अननुज्ञात शेष दावे को सीडब्लूआईपी के अधीन पूंजीकरण के लबंन के अधीन दर्शाया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान कोई और दावा नहीं किया गया है।

10. आय-कर का उपबंध

9,90,43,562/- रूपए के आय-कर के उपबंध (पूववर्ती वर्ष 7,17,08,800/- रूपए) की 31.03.2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पहचान की गई है जैसाकि ऊपर पैरा 8 में उपदर्षित किया गया है, इसमें चालू वर्ष के लिए एसटीडीआर पर अर्जित ब्याज के लिए उपबंध शामिल है जिसे ऋण, साम्या और पूंजी सहायिकी तथा अन्य आय के लिए अतिरिक्त निधियों का विनिधान करके रखा गया है। इस उपबंध में पूंजी सहायिकी पर अतिरिक्त निधियों को आईटीएटी द्वारा मामले के निपटान के लंबन के दोरान विनिधान करके अर्जित ब्याज शामिल है।

11. केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर फायदे को मान्यता

16.11.2011 से उत्पाद कर फायदे के प्रतिसंहरण को केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय के रूप में मान्यता दी गई है। परियोजना के प्रारंभ होने से लेकर 31.03.2014 तक पात्र केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय 378,98,65,115/- रूपए (पूववर्ती वर्ष 343,99,90,426/- रूपए) है। उत्पाद शुल्क विभाग के पास फाइल की गई विवरणी के अनुसार 31.03.2014 तक कुल केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय 31.03.2014 को लेखाबहियों में उपदर्शित 378,98,65,115/- रूपए (पूवर्ती वर्ष 343,99,90,426/- रूपए) के मुकाबले 364,92,47,832/- रूपए (पूववर्ती वर्ष 200,85,61,357/- रूपए) ये भिन्नता जून, 2013 तक केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर के लेखांकन कर को ऐसी सामग्रियों के स्थल पर प्राप्ति पर लिया गया है जबकि लेखाओं में बुकिंग संदाय आधार पर की गई है।

कुल पात्र 378,98,65,115/- रूपए में से 145,48,00,000/- रूपए को, अन्य चालू आस्तियां कते अधीन दर्शाया गया है और 233,50,65,115/- रूपए की शेष रकम को, दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम के अधीन उपदर्शित किया गया है।

12. अस्थगित कर दायित्व

चूंकि परियोजना संनिर्माण के प्रक्रम पर है इसलिए किसी अस्थगित कर दायित्व को मान्यता नहीं दी गई है।

13. पट्टाधृत भूमि

81,87,32,699/- रूपए (पूर्ववर्ती वर्ष 81,84,38,860/- रूपए की पट्टाधृत भूमि में वह भूमि शामिल है जिसके लिए 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टाविलेख निष्पादित किया गया है। चूंकि भूमि का स्वामित्व असम सरकार के पास है इसका उक्त अवधिघ के दौरान अपाकरण किया जाएगा। ऐसी भूमि को वित्तीय विवरणियों के पैरा 9 के अधीन मूर्त आस्ति के रूप में उपदर्शित किया गया है।

14. उपयोग का अधिकार

कंपनी ने गैस प्राप्त करने और आपूर्ति करने के लिए भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने और अनुरक्षण करने के प्रयोजन के लिए, उपयोग का अधिकार (आरओयू) अर्जित किया है और इसे अमूर्त आस्तियों के अधीन उपदर्शित किया गया है। कंपनी द्वारा अर्जित 7,56,25,684/- रूपए का उपयोग का साश्वत का अधिकार (पूववर्ती वर्ष 7,56,25,684/- रूपए) कंपनी पर भूमि का स्वामित्व प्रदान नहीं करता है। तथापि, ऐसे उपयोग के अधिकार का पूर्वोक्त खंड 3 के अधीन प्रकटित लेखांकन नीति में परिवर्तन के साथ 99 वर्ष की अवधि के दौरान अपाकरण किया जाएगा। उपयोग के अधिकार (सीमित उपयोगी जीवन) की लागत चूंकि उपयोगी जीवन 10 वर्ष का है का उपयोग के अधिकार के जीवन के दौरान अपाकरण किया जा रहा है।

15. लोक निर्माण विभाग के पास अवधि जमा

2,03,127/- रूपए (पूवर्ती वर्ष 2,03,127/- रूपए की अवधि जमा रकम को लोक निर्माण विभाग के पास पाइप लाइन बिछाने की अनुज्ञा के लिए (प्रतिदाय) के रूप में रखा गया है।

16. लेखापरीक्षकों की फीस

जेबी आदि (पूववर्ती वर्ष 1,50,000/- रूपए) में से वित्त वर्ष 2013-14 के लिए कानूनी लेखापरीक्षकों की फीस 2,00,000/- रूपए धन सेवाकर नियत की गई है। 39,000/- रूपए का (पूववर्ती वर्ष 15,000/- रूपए) (करों के अतिरिक्त) वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान अन्य सेवाओं के लिए लेखापरीक्षकों को संदाय किया गया।

17. बीमा

लेखाबहियों में 47,15,273/- रूपए (पूववर्ती वर्ष 11,04,853/- रूपए) के बीमा दावे को मान्यता दी गई। बीमा दावों को तब मान्यता दी जा रही है जन उनकी गणना विश्वसनीय रूप से की जा सकती है और अंतिम संग्रहण युक्तियुक्त रूप से पक्का है।

18. पूंजीकरण

वर्ष के दौरान 78,68,14,756/- रूपए की आस्तियां (पूवर्ती वर्ष 1,93,98,370/- रूपए) का लेखाबहियों में पूंजीकरण किया गया।

19. आकस्मिक दायित्व

क) कंपनी के विरूद्ध दावे नामे डाले गए : शून्य

ख) प्रतिभूतियां :

कंपनी ने मैसेर्स गैल (इंडिया) लिमिटेड को गेल की तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) को निगम प्रतिभूति के रूप में ओआइडीबी के 250 करोड़ रूपए (पूववर्ती वर्ष 250 करोड़ रूपए) के ऋण के लिए एक के बाद एक बैंक प्रतिभूति प्रस्तुत की।

ग) अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से दायी है।

1. कंपनी ने डिब्रूगढ़ सेवाकर प्रकोष्ठ से एक पत्र प्राप्त किया है जिसमें सीईआरए लेखापरीक्षा की निरीक्षण रिपोर्ट के तथ्यों को उपदर्शित किया है जिसमें 24,94,151/- रूपए (पूववर्ती वर्ष 24,94,151/- रूपए) के परिमाण तक सेवाकर के संदाय में कमी को बीसीपीएल के भाग पर विदेशी सेवा प्रदाताओं की सेवा के संबंध में उपदर्शित किया गया है। कंपनी ने विभाग द्वारा अंगीकृत संगणना विधि जो कि जारी की गई अधिसूचना के अनुसार नहीं है, के संबंध में विभाग को इस विषय में अभ्यावेदन दिया है। तनदुसार, विद्यमान प्रास्थिति को विचाराधीन रखते हुए, प्रबंधन की राय है कि कोई उपबंध अपेक्षित नहीं है।
2. एक पक्षकार के रूप में कंपनी को शामिल करते हुए 17 विधिक मामले हैं। इस समय इन मामलों की वित्तीय विवक्षाओं का पता नहीं लगाया जा सकता है सिवाय एक मामले के जहां एक मात्र मध्यस्थ ने मैसर्स ईपीआईएल के पक्ष में 38.70 करोड़ रूपए (वापस की जाने वाली बीजी को शामिल न करते हुए) का पंचाट पारित किया है। तथापि बीसीपीएल ने सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष इस पंचाट के विरूद्ध अपील की है। इसके अतिरिक्त मैसर्स आर्यन लोजिस्टिक ने सिविल न्यायाधीश, अलीपोर (दक्षिण) के पास 0.51 करोड़ रूपए का दावा किया है और मैसर्स एसआईपीएल ने 4.51 करोड़ रूपए का डाइटल वाद फाइल किया है। दावे की विधिक प्रस्थिति को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इस दावे के लिए कोई उपबंध नहीं किया है।
3. कंपनी ने बैंककारों के माध्यम से विदेशी पत्र जारी करने के लिए प्रबंध कर लिया है और 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार बकाया 86.75 करोड़ रूपए (पूववर्ती वर्ष 76.23 करोड़ रूपए है)।

20. प्रबिद्धताएं

क) पूंजी के निष्पादित की जाने वाली संविदाओं जिनके लिए उपबंध नहीं किया गया है आक्कलित रकम नीचे दिए अनुसार है :

	2013-14 (करोड़ रूपए में)	2012-13 (करोड़ रूपए में)
मूर्त आस्तियां	1097.08	1870.78
अमूर्त आस्तियां	87.31	49.45
योग	**1184.39**	**1920.23**

21. शेष की पुष्टि

कतिपय विक्रेताओं/ठेकेदारों/प्राधिकारियों से शेष के लिए जिसे ऋण और अग्रिम, जमा और विविध लेनदार के अधीन सामूहिक किया गया है के लिए पुष्टि की ईप्सा की गई है। तथापि, पक्षकारों के साथ लेखाओं का मिलान एक सतत प्रक्रिया है।

22. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

क) वित्त वर्ष 2013-14 के लिए 31.03.2014 तक पूंजी मालों के लिए सीआईएफ आधार पर कंपनी ने आयात के मूल्य की गमना 40,26,25,367/- रूपए (पूववर्ती वर्ष 3,39,93,18,652/- रूपए) की है।

ख) विदेशी मुद्रा में व्यय में निम्नलिखित शामिल है :

अनुज्ञपित प्रदानकर्ताओं के लिए फीस (टीडीएस के पश्चात)	2,59,65,232/- रूपए
(पूववर्ती वर्ष 19,09,96,216/- रूपए)	
अन्य जंहा लागू है वहां कर के पश्चात	
(पूववर्ती वर्ष 1,29,17,39,964/- रूपए	21,34,76,154/- रूपए

ग) 31.03.2014 तक वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा संव्यवहार और 87,93480/- रूपए (पूववर्ती वर्ष 17,75,19,086/- रूपए की शुद्ध हानि) का अनुवाद खाते का वित्त वर्ष 2012-13 के प्रभाव से लेखांकन नीति में परिवर्तन को दृष्टि में रखते हुए लाभ और हानि लेखे में प्रत्यय कर दिया गया है।

23. द्वितीय पर व्यय

वर्ष 2013-14 के दौरान 31.03.2014 तक गेल (इंडिया) लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर 20,32,30,295/- रूपए (पूववर्ती वर्ष 17,74,83,893/- रूपए) उपगत किए गए और आईडीसी शीर्ष के अधीन धृति कंपनी द्वारा जारी नामे बीजकों के आधार पर लेखांकित किए गए। इसी अवधि के दौरान असम सरकार से नियुक्त कर्मचारियों पर शून्य शून्य (पूववर्ती वर्ष 6,68,864/- रूपए) का व्यय उपगत किया गया।

24. संबंधित पक्षकार प्रकटन

संबंधित पक्षकर प्रकटन पर लेखांकन मानक नियम, 2006 के अधीन लेखांकन मानक 18 में यथाविहित सूचना नीचे दी गई है:

संबंधित पक्षकार का नाम और नातेदारी का विवरण :

क्र.सं.	नातेदार पक्षकार का नाम	
क)	**धृति कंपनी**	
1	गेल (इंडिया) लिमिटेड	
ख)	**संयुक्त स्वामी :**	
1	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	
2	ऑयल इंडिया लिमिटेड	
3	असम सरकार	
ग)	**प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक**	
1	श्री पी.एन. प्रसाद	प्रबंध निदेशक
2	श्री ओ.पी. टेलर (01.07.2013 से)	वित्त निदेशक
3	श्री जी. प्रसाद (09.04.2013 तक)	मुख्य प्रचालन अधिकारी
4	श्री मनोज जैन (25.04.2013 से)	मुख्य प्रचालन अधिकारी
5	श्री ए.के. तिवारी	मुख्य वित्त अधिकारी
6	श्रीमती रूली दास सेन	कंपनी सचिव

संव्यवहारों के ब्यौर

ब्यौरे	2013-14	2012-13
क) धृति कंपनी		
प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के वेतन पर उपगत व्यय	` 19,40,85,026/-	` 17,38,76,453/-
आस्तियों के क्रय के लिए संदत्त रकम	शून्य	शून्य
साम्या शेयर अभिदाय	शून्य	शून्य
भाटक प्रभारों के लिए संदत्त रकम	` 51,17,979/-	` 71,89,562/-
प्रशिक्षण व्यय के लिए संदत्त रकम	` 59,40,000/-	` 67,978/-
चालू दायित्वों में बकाया रकम और उपबंध 31.03.2014	` 1,67,28,803/-	` 1,75,00,000/-
ख) संयुक्त स्वामी		
गैस आपूर्ति के लिए अवसंरचना विकास पर संदत्त रकम	शून्य	शून्य
गैस आपूर्ति के लिए अवसंरचना विकास के लिए बकाया रकम	`1,45,34,85,229/-	` 92,10,10,451/-
प्रतिनियुक्त पर कर्मचारियों के वेतन पर उपगत व्यय	शून्य	` 42,76,304/-
साम्या शेयर अभिदाय	` 11,24,47,000/-	` 34,44,00,000/-
अंतर निगम ऋण (ओआईएल) पर संदत्त ब्याज	` 25,58,01,370/-	`1,31,34,246/-
ग) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
निदेशकों का पारिश्रमिक	` 52,94,213/-	`25,50,178/-
बकाया रकम (संदेय)	शून्य	शून्य

25. सेंगमेंट की रिपोर्ट (एएस-17)

कंपनी संनिर्माण के प्रक्रम पर है अत: कंपनी (लेखांकन मानक) 2006 के, सेंगमैंट रिपोर्टिंग के लेखांकन मानक 17 लागू नहीं होते है।

26. सूक्ष्म, लघु और माध्यम उपक्रम को शोध्य दावे

कंपनी के पास उलब्ध सूचना के अनुसार 9,90,388.. रूपए (पूवर्ती वर्ष 15,31,717.. रूपए) की रकम ससूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमो को शोध्य थी। निमें जमा आदि सामिल हैं और 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कोई संदाय करने में विलंब नहीं हुआ था।

(पी.एन.प्रसाद)
प्रबंध निदेशक

(ओ.पी.टेलर)
निदेशक, वित्त और सीएफओ

(रुली दास सेन)
कंपनी साचिव

समसंख्यक तारीख की हमारी पृथक रिपोर्ट के अनुसार कृते दास एंड शर्मा
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
फर्म संख्या 312214ई
(देवजीत शर्मा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 052268

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 22.05.2014

टिप्पण 19

महत्वपूर्ण लेखांकन पद्धतियां

1. लेखांकन के आधार वित्तीय विवरणियों का तैयार किया जाना

क. लेखांकन अभिसमय

वित्तीय विवरणियां लेखाओं के उदभूत होने के आधार पर ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अनुसरण में भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन अभिसमयों के अनुसार और कंपनी अधिनिय, 1956 के सुसंगत उपबंधों के अधीन जिसके अंतर्गत उसके तदधीन अधिसूचित मानक भी हैं अनुसार तैयार की जाती हैं।

ख. आकलनों का उपयोग

साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवणियां तैयार करना प्रबंधन से अपेक्षा करता है कि वह आकलन और अवधारणा की अपेक्षा करता है जिससे रिपोर्ट की गई आस्ति और दायित्वों की रकम, आकस्मिक आस्तियों और दायित्वों के वित्तीय विवरणियों की प्रकटन की तारीख पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे आकलनों के उदाहरण में नियत आस्तियों का उपयोगी जीवन का आकलन और पट्टाधृत आस्तियों के उपयोगी जीवन का आकलन शामिल है। इन आकलनों से वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

2. सूचियां

क. कच्ची सामग्रियों और तैयार उत्पादों का मूल्याकंन लागत या शुद्ध प्राप्य मूल्य इनमें से जो भी निम्न हो पर किया जाता है। तैयार उत्पादों में जहां लागू है उत्पाद शुल्क और राजस्व शामिल है।

ख. प्रक्रियाधीन स्टॉक का मूल्याकंन लागत या शुद्ध प्राप्य मूल्य इनमें से जो भी निम्न हो पर किया जाता है। इसका मूल्यांकन वहां लागत पर किया जाता है जहां तैयार उत्पाद जिनमें इनको शामिल किया जाना है कि बिक्री लागत पर या उससे अधिक किए जाने की संभावना है।

ग. माल-सूचियों के उत्पादन में उपयोग किया जाने वाला भंडार और अतिरिक्त हिस्से पुर्जे तथा अन्य सामग्रियों की मूल्यांकन भारित औसत लागत या शुद्ध प्राप्य मूल्य इनमें से जो भी निम्न हो पर किया जाता है। इसका मूल्यांकन वहां भारित औसत पर किया जाता है जहां वह तैयार उत्पाद जिनमें उन्हें शामिल किया जाएगा का विक्रय लागत पर या उससे अधिक पर किया जाना संभावित है।

घ. अतिरिक्त/अप्रचलित भंडार और अतिरिक्त हिससे पुर्जो का मूल्याकंन लागत से कम या शुद्ध प्राप्य, इनमें से जो भी कम हो पर किया जाता है।

ङ. पूंजी आस्ति के संनिर्माण में उपयोग किए जा रहे से भिन्न अतिरिक्त/अनुपोयगी पूंजी भंडार का मूल्यांकन लागत से निम्न या शुद्ध प्राप्य मूल्य से निम्न पर किया जाता है।

च. पूंजी कार्यों में उपयोग के लिए ठेकेदारों को जारी सभी परियोजना सामग्रियों का मूल्याकंन भारित औसत लागत पर किया जाता है।

3. नियत आस्तियां, चालू पूंजी संकर्म एवं अवक्षरण/अपाकरण

क. नियत आस्तियां

नियत आस्तियों का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर सतत आधार पर किया जाता है जिसके अंतर्गत उनसे संबंधित अनुषांगिक व्यय भी हैं। प्रतिष्ठापित आस्तिओं की दशा में जहां ठेकेदार को अंतिम संदाय लंबित हैं, पूंजीकरण अंतिम आधार पर किया जाता है जिसके अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लंबन के दौरान निपटान के वर्ष में लागत और अवक्षयण के आवश्यक समायोजन के अधीन रहते हुए अंनतिम दायित्व शामिल है।

मशीनों के अतिरिक्त हिस्से पुर्जे जिनका उपयोग केवल नियम आस्ति की किसी मद के संबंध में ही किया जा सकता है और उसका उपयोग अनियमित होने की संभावना है का पूंजीकरण उस नियत आस्ति की लागत पर किया जाएगा और उस आस्ति के शेष उपयोगी जीवन के दौरान उसका पूर्णतया अवक्षयण किया जाएगा।

सरकारी अनुदानों से अर्जित आस्तियों का पूंजीकरण पूंजी आरक्षितियों में तत्स्थानी प्रत्यय के माध्यम से किया जाएगा।

ख. अमुर्त आस्तियां

सॉफ्टवेयर, अनुज्ञप्तियां और भू-उपयोग का अधिकार जिसके अंतर्गत ऐसे भू-उपयोग के अर्जन के प्रक्रम में उपज मुआवजा भी है, जिनसे भविष्य में सतत फायदा होने की संभावना है का अमूर्त आस्तियों के रूप में पूंजीकरण किया जाएगा।

ग. चालू पूंजी संकर्म

चालू पूंजी संकर्म जिसके अंतर्गत परियोजनाओं में उपयोग के लिए स्थल पर प्राप्त पीएमसी फीस/पूंजी मालों के लिए अग्रिम/अतंरण में सामग्रियां/सामग्रियों का मूल्य/उपस्कर आदि शामि है।

घ. संनिर्माण अवधि के दौरान उपगत व्यय

संनिर्माण अवधि के दौरान उपगत सभी राजस्व व्यय जो विनिर्दिष्ट नियत आस्तियों के अर्जन/संनिर्माण के कारण हैं, का पूंजीकरण ऐसी आस्तियों के प्रतिष्ठापन के समय किया जाएगा।

ङ: अवक्षयण /अपाकरण

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी ने नियत आस्तियों पर अवक्षयण के संबंध में लेखांकन नीति में अभिलिखित मूल्य पद्धति (डब्ल्यू डी वी) से सीधी रेखा पद्धति (एस एल एम) में कंपनी के निर्माण की तारीख अर्थात 8.1.2007 से परिवर्तन किया है। नीचे वर्णित से भिन्न नियत आस्तियों पर अवक्षयण का उपबंध कंपनी अधिनियम, 1956 के सीधी रेखा पद्धिति (एस एल एम) पर अनुसूची-XVI में विनिर्दिष्ट दरों पर समानुपाती आधार (सामने लाई गई आस्तियों पर मासिक समानुपाती) किया गया है।

(i) 5,000 रूपए तक की लागत वाली आस्तियों का अवक्षयण पूर्णता पुंजीकरण के वर्ष में।

(ii) बंक गृहों का अवक्षयण पांच वर्षीय जीवन के अनुमान के आधार पर किया जाता है।

(iii) पट्टाधृत भूमि की लागत का अपाकरण तीस वर्ष पट्टा अवधि पर किया जाता है।

(iv) आस्तियों पर पूंजी व्यय, जिनका स्वामित्व कंपनी के पास नहीं है और जिन्हें समर्थकारी प्रसुविधाओं के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है को पृथकतया, पूंजी व्यय समर्थनकारी प्रसुविधाए शीर्ष के अधीन दर्शाया जाता है। इन आस्तियों का अपाकरण उस तारीख से जिनको उनका उपयोग आरंभ किया गया था, उपयोगी जीवन के दौरान किया जाता है।

(v) भूमि पर अधिकार से भिन्न अमूर्त आस्तियों का अपाकरण बराबर आस्ति के उपयोगी जीवन के दौरान जो उसकी मान्यता की तारीख से पांच वर्ष से अनाधिक है, किया जाता है।

(vi) विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तनों या नियत आस्तियो की मूल लागत में परिवर्तन के कारण मूल्य समायोजनों के कारण अवक्षयण भावी प्रभाव से भारित किया जाएगा।

(vii) संनिर्माण अवधि के दौरान उपगत अप्रत्यक्ष व्यय जो संनिर्माण कार्यकलाप से संबंधित नहीं है न ही उससे अनुषागिक हैं का अपाकरण पूर्णतया कंपनी के वाणिज्यिक उत्पादन के प्रथम वर्ष में किया जाएगा।

(viii) भूमि पर उपयोग के अधिकार का सीमित उपयोगी जीवन होने के कारण इसका अपाकरण भूमि पर उपयोग के उपयोगी जीवन से दस वर्ष से अनाधिक पर किया जाएगा और भूमि पर उपयोग के अधिकार की शास्वत प्रकृति के कारण इसका अपाकरण 99 वर्ष के दौरान किया जाएगा (टिप्पण 18 के बिंदु 3 को निर्दिष्ट करें)।

4. उधार लेने की लागतें

उन निधियों को उधार लेने की लागत जो अर्हित आस्तियों के अर्जन या संनिर्माण के मद्दे हैं ऐसी आस्तियों की लागत के एक भाग के रूप में उनका पूंजीकरण किया जाता है। उनका पूंजीकरण ऐसी निधियों के अस्थायी विनिधान से अर्जित किसी आय को हटाकर उस तारीख तक किया जाएगा जिस तक आस्ति उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती है।

5. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

क. विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों का लेखांकन संव्यवहार की तारीख को लागू मुद्रा विनिमय दर पर किया जाता है।

ख. वर्ष के अंत में बकाया विदेशी मुद्रा में विभिन्न मूल्य की मौद्रिक मदें (जैसे नकद, प्राप्य, ऋण, संदेय आदि) को वर्ष के अंत में जारी विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है (संदेय के लिए वीसी विक्रय दर और प्राप्य के लिए टीटी क्रय दर)।

ग. विदेशी मुद्राओं में विभिन्न मूल्य की गैर-मौद्रिक मदों (जैसेकि विनिधान, नियत आस्तियां आदि) का लेखांकन संव्यवहारों की तारीख को लागू विदेशी मुद्रा विनिमय दर पर किया जाता है।

घ. निपटान दर्ज करने के कारण विदेशी मुद्रा विनिमय दर के कारण उदभूत कोई लाभ या हानि का लेखांकन लाभ या हानि लेखें में किया जाता है सिवाय दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की दशा में जिनका संबंध अवक्षयणीय पूंजी आस्तियों से है उस दशा में उनका समायोजन ऐसी आस्तियों की लागत को आगे ले जाकर किया जाता है, अन्य मामलों में, विदेशी मुद्रा में मौद्रिक मदों को अंतर खाते में वित्तीय विवरणियों मे जमा करके किया जाता है और उनका अपाकरण ऐसी दीर्घकालिक आस्ति या दायित्व की शेष अवधि के दौरान ऐसी आय या व्यय को ऐसी अवधि में दर्ज करके किया जाता है।

6. भारत सरकार द्वारा पूंजी अनुदान

प्रस्थापक के अभिदाय की प्रकृति के अप्रतिदेय सरकारी अनुदानों का प्रत्यय पूंजी आरिक्षिति में किया जाता है और इसे अंशधारकों की निधि के एक भाग के रूप में माना जाता है।

7. कर्मचारी अभिलाभ

क. सभी अल्पकालिक कर्मचारी अभिलाभों को उनके अछुट प्राप्त रकम पर उस लेखांकन अवधि में जिसमें वे उपगत होते हैं मान्यता दी जाती है।

ख. भविष्य निधि की परिभाषित अभिदाय योजना के संबंध में कर्मचारी अभिलाभों को अछुट प्राप्त कंपनी की निधि में बाध्यता के आधार पर मान्यता दी जाती है। इसका संदाय क्षेत्रीय भविष्ट निधि आयुक्त के पास भविष्य निधि खाते में किया जाता है।

ग. कर्मचारी अभिलाभों के संबंध में व्यय और दायित्वों को आईसीएआई द्वारा जारी पुनरीक्षित लेखांकन मानक -15 कर्मचारी अभिलाभ (2005 में पुनरीक्षित) में अभिलिखित किया जाता है।

घ. वर्ष के दौरान उपदान दायित्व के वित्तपोषण के लिए एक उपदान न्यास का सृजन किया और एलआईसी को न्यास के निधि प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया। तारीख 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार उपदान दायित्व के लिए अभिदाय पर पूर्ववर्ती वर्षों में बीमांकन आधार पर विचार किया गया है।

8. आय पर कर

क. अतिरिक्त निधियों पर अल्पकालिक विनिधानों पर अर्जित ब्याज के लिए संनिर्माण की अवधि के दौरान उपबंध किया गया। कर परियोजनाओं के लिए इसका उपचार, अन्य स्रोतों से आय के रूप में किया गया है। ऐसे आयकर को आईईडीसी-दरें और कर शीर्ष के अधीन नामे डाला गया हैं।

ख. प्रतिष्ठापन पर कंपनी आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा झ ड. के अधीन कर प्रोत्साहनों के लिए पात्र हो जाएगी और उक्त अधिनियम की धारा 115 जख के अधीन मैंट के लिए दायी होगी।

9. प्रारंभिक व्यय

कारबार स्थापित करने से संबंध में उपगत अर्हित व्यय और नई औद्योगिक इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन के प्रथम वर्ष में पूर्णतया अपाकरण किया जाएगा।

10. आस्तियों का ह्रास

यदि नियत आस्तियों की अग्रणीय रकम रिपोर्ट की जाने वाली तारीख को शोध्य रकम से अधिक हो जाती है तो अग्रणीय रकम को शोध्य रकम से घटा दिया जाता है। शोध्य रकम की गणना शुद्ध विक्रय मूल्य से अधिक पर की जाती है और इस्तेमाल किया जाने मूल्य भावी नकद प्रवाह के आकलन के वर्तमान मूल्य का अवदारण करता है।

11. उपबंध, आकस्मिकताएं और पूंजी प्रबिद्धताएं

क. उपबंधों को तब मान्यता दी जाती है जव विद्यमान किसी पूर्व घटना का परिणाम होती है और यह संभावना होती है कि उस बाध्यता जिसके संबंध में विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है को निपटान के संबंध में संसाधनों के बाह्मप्रवाह की अपेक्षा होगी।

ख. व्ययों के लिए दायित्वों को मान्यता केवल तभी होगी जब दायित्व 0.10 लाख रूपए से अधिक होते हैं।

ग. आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्यता दी जाती है और न ही उनका वित्तीय विवरणों में प्रकटन किया जाता है। प्रत्येक मामले में 5 लाख रूपए से अधिक के आकस्मिक दायित्वों का लेखाओं में टिप्पणियों के माध्यम से प्रकटन किया जाता है।

घ. प्रत्येक मामले में 5 लाख रूपए से अधिक पूंजी लेखाओं पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं पर आकलित रकम का प्रकटन किया जाता है।

12. सैगमेंटल रिपोर्टिंग

कंपनी का केवल एक सैंगमेंट है, अत: कंपनियों के लेखांकन मानक-17, सैगमेंट रिपोर्टिंग (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के अधीन कोई रिपोर्ट करने योग्य सैगमेंट नहीं है।

13. साधारण

क. 1 लाख रूपए तक पूर्व संदत्त व्यय और पूर्व अवधि व्यय/आय प्रत्येक मामले को चालू वर्ष के सुसंगत लेखा शीर्षों के अधीन प्रभारित किया जाएगा।

ख. परिनिर्धारित, यदि कोई हों को जब भी और जैसे भी वसूली की जाए गणना में लिया जाएगा और प्रबंधन द्वारा मामले का निपटान हुआ माना जाएगा। वसूल किए गए नुकसानों, यदि उनका निपटान पूंजीकरण के बाद किया जाता है को प्रत्येक मामले में 50 लाख रूपए से कम होने की दशा में राजस्व पर प्रभारित किया जाएगा अन्यथा सुसंगत आस्ति की लागत में उनका समायोजन किया जाएगा।

ग. बीमाकर्ताओं द्वारा दाखिल दावों के आधार पर बीमा दावों को गणना में लिया जाएगा।

घ. सीमाशुल्क और अन्य दावों (जिसके अंतर्गत अस्थगित भुगतान पर ब्याज भी है को सिद्धांत रूप से स्वीकृति पर गणना में लिया जाएगा।

(पी.एन.प्रसाद)	**(ओ.पी.टेलर)**	**(रुली दास सेन)**
प्रबंध निदेशक	निदेशक, वित्त और सीएफओ	कंपनी साचिव

समसंख्यक तारीख की हमारी पृथक रिपोर्ट के अनुसार कृते दास एंड शर्मा
चार्टई एकाउंटेंट्स,
फर्म संख्या 312214ई
(देवजीत शर्मा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 052268

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 22.05.2014

संनिर्माण के दौरान अनुषँगिक व्यय

रू ०००० में

विशिष्टियां	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार
उधार देने वालों पर भारित व्याज	300,154	763,884
ओआइडीबी ब्याज प्रभार	553,815	308,479
ओआईपल ब्याज प्रभार	255,801	13,134
ऋण पर ब्याज-एसबीआई	73,614	-
बैंक प्रभार	48	18
विज्ञापन एवं प्रचार	3,709	3,131
सीआईइसएफ एवं सुरक्षा	115,622	81,636
संचार व्यय	6,522	3,746
अवक्षरण	84,535	(23,561)
बीमा	66,865	89,090
अन्य अवसंरचना व्यय	3,835	4,502
दैनिक मजदूर प्रभार	18,296	10,458
अन्य	16,084	13,039
लेखापरीक्षकों को भूगतान	1,692	1,612
विद्युत, ईंधन और जल प्रभार	55,794	13,189
मुद्रण और लेखन सामग्री	5,011	3,581
व्यावसायिक और सलाहकारी प्रभार	133,791	14,824
दर एवं कर	101,675	104,494
भर्ती एवं प्रशिक्षण व्यय	12,131	5,118
भाटक	20,654	12,314
मरम्मत एवं अनुरक्षण	7,258	5,504
वेतन, मजदूरी एंव कर्मचारिवृंद लागत	435,503	318,893
सर्वेक्षण एवं जांच	-	(478)
ग्राऊनशिप एवं अतिथि गृह अनुरक्षण	1,833	2,656
यात्रा व्यय	20,372	22,056
यान किराया एवं उसे चलाने का व्यय	47,923	33,551
कल्याण व्यय	-	396
समर्थनकारी प्रसुविधा	-	-
अन्य अवसंरचना	7,942	257,191
समायोजन के लंबन के दौरान अनुषंगिक व्यय 2007-08	89,133	90,527
समायोजन के लंबन के दौरान अनुषंगिक व्यय 2008-09	124,251	126,203
समायोजन के लंबन के दौरान अनुषंगिक व्यय 2009-10	295,631	300,174
समायोजन के लंबन के दौरान अनुषंगिक व्यय 2010-11	471,393	479,034
समायोजन के लंबन के दौरान अनुषंगिक व्यय 2011-12	949,428	964,533
समायोजन के लंबन के दौरान अनुषंगिक व्यय 2012-13	1,957,866	-
सिक्का समायोजन	-	-
योग	**6,238,181**	**4,022,927**
सीएलडीटी पर बैंक ब्याज	20,665	13,313
एसटीडीआर पर बैंक ब्याज	85,629	25,794
नियत आसत्यिों के विक्रय से लाभ	11	(1)
प्रकीर्ण आय	3,967	11,515
प्रकीर्ण आय विद्युत	114	102
प्रकीर्ण आय गृह भाटक की वसूली	88	139
प्रकीर्ण आय एएसईबी के पास प्रतिभूति जमा पर ब्याज	-	271
प्रकीर्ण आय पट्टा भाटक वसूली	2,871	1,630
बंद हो चुके पीओ का पीआरएस (स्वदेशी)	-	30,796
आईईडीसी का पूंजीकरण	9,537	-
प्रकीर्ण आय ईएमडी..एसटी का प्रतिसंहरण	479	1,877
प्रकीर्ण निविदा दस्तावेज की बिक्री	515	264
बीमा दावे पर शीर्षोपरि प्रभार	847	145
अविवाहित आवास से वसूली	191	154
योग	**124,914**	**85,998**
कुल योग	**6,113,267**	**3,936,929**

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए लेखा वर्ष के लिए

नगद प्रवाह विवरण

रू ०००० में

विशिष्टियां		2013-2014	2012-2013
क.	**विनिधान कार्यकलापों से नकद प्रवाह**		
	नियत आस्तियां का वर्धन/क्रय	(702,068)	(32,049)
	प्रगति पर चालू पूंजी कार्य	(628,229)	(14,055,433)
	संनिर्माण के दौरान अनुषँगिक व्यय	(2,185,131)	(1,980,529)
	लाभ/हानि (विदेशी मुद्रा में फेरफार)	8,794	(209,137)
	चालू आस्तियां ऋण और अग्रिम	(6,066,773)	(5,137,605)
	चालू दायित्व और उपबंध	464,732	1,000,600
	विनिधान कार्यकलापों से शूद्ध नकद बाह्म प्रवाह	**(9,108,675)**	**(20,414,153)**
ख.	**वित्तीय कार्यकलापों से नकद प्रवाह**		
	निर्गम शेयर पूंजी से आगम	749,213	1,964,000
	ऋणों से आगम	(2,024,515)	4,646,250
	एनआरएल, ओआईएल, गेल (इंडिया) लिमिटेड और असम सरकार से शेयर पूंजी के विरूद्ध अग्रिमों से आगम	(636,766)	(1,619,550)
	भारत सरकार से पूंजी सहायिकी से आगम	9,952,493	15,685,721
	वित्तीय कार्यकलापों से शुद्ध नकद अंतः प्रवाह	**8,040,425**	**20,676,421**
	नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि (क+ख)	**(1,068,250)**	**262,268**
	इति नकद और नकद समतुल्य	**1,656,754**	**1,394,486**
	अंत नकद और नकद समतुल्य	**588,504**	**1,656,754**
	लेखाबहियों के अनुसार अंतः नकद और नकद समतुल्य	**588,504**	**1,656,754**
टिप्पणः			
पुनरीक्षित अनुसूची **VI** के अनुसार नकद और नकद समतुल्य			
चालू खाता शेष		18,290	816,541
प्रतिबंधित नकद			
आवधिक जमा, जिसकी परिपक्वता 12 मास से अधिक है			
आवधिक जमा, जिसकी परिवक्वता 12 मास या उससे कम शेष है		570,203	590,203
एस्क्रो खाता शेष		11	250,010
	योग	**588,504**	**1,656,754**

(पी.एन.प्रसाद)
प्रबंध निदेशक

(ओ.पी.टेलर)
निदेशक, वित्त और सीएफओ

(रुली दास सेन)
कंपनी साचिव

समसंख्यक तारीख की हमारी पृथक रिपोर्ट के अनुसार कृते दास एंड शर्मा
चार्टई एकाउंटेंट्स,
फर्म संख्या 312214ई
(देवजीत शर्मा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 052268

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 22.05.2014

ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पोलीमर लिमिटेड, 31.03.2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलनपत्र का सार और कंपनी का साधारण कारबार प्रोफाइल

i. रजिस्ट्रीकरण ब्यौरे

रजिस्ट्रीकरण संख्या	008290	राज्य कोड	02
तुलनपत्र की तारीख	31.03.2014		

ii. वर्ष के दौरान पूंजी (000 रुपए में)

लोक निर्गम	शून्य	राइट निर्गम	शून्य
बोनस निर्गम	शून्य	निजी प्लेसमेंट	111,050

iii. निधियों के सचलीकरण और नियोजन की स्थिति (000 रूपए में)

कुल दायित्य	77,800,364	कुल आस्तियाँ	77,800,364

निधियों का स्रोत

सदंत्त पूंजी	11,328,716	आरक्षित और आधिक्य	47,089,502
शेयर पूंजी के विरूद्ध अग्रिम	408,387		
प्रतिभूति ऋण	12,391,735	आप्रतिभूत ऋण	-
अस्थगित कर दायित्व	शून्य		

निधियों का उपयोग

शुद्ध नियत आस्तियां	58,315,932	विनिधान/विनिधान के लिए अग्रिम	शून्य
शुद्ध चालू आस्तियां	12,654,631	प्रकीर्ण व्यय	47,434
अर्जित हानि	200,343		

iv. कंपनी का कार्यनिष्पादन

कारबार/राजस्व	8,794	कुल व्यय	शून्य
कर से पूर्व लाभ/हानि	8,794	कर से पूर्व लाभ/हानि	8,794
प्रति शेयर अर्जन (रुपए में)	शून्य	लाभांश	शून्य

v. कंपनी के उत्पादों / सेवाओं का जेनरिक नाम (धनी अर्थ में)

मद कूट संख्या(आईटीसी कूट)	शून्य
उत्पाद का विवरण	कारबार अभी आरंभ नहीं हुआ है

(पी.एन.प्रसाद)
प्रबंध निदेशक

(ओ.पी.टेलर)
निदेशक, वित्त और सीएफओ

(रुली दास सेन)
कंपनी साचिव

समसंख्यक तारीख की हमारी पृथक रिपोर्ट के अनुसार कृते दास एंड शर्मा
चार्टई एकाउंटेंट्स,
फर्म संख्या 312214ई
(देवजीत शर्मा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 052268

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 22.05.2014

भारत के महानियंत्रक तथा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां

ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पोलीमर लिमिटेड, गुवाहाटी के लेखाओं पर 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक के कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन टिप्पणियां

ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड, गुवाहाटी के 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों की तैयारी कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार हैं, जो कि कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक द्वारा विहित लेखांकन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणियों पर राय अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसा कथन किया गया है कि यह कथन किया गया है कि ऐसा उनके द्वारा तारीख 22.05.2014 की लेखापरीक्षा के माध्यम से किया गया है।

मैंने भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड, गुवाहाटी की वित्तीय विवरणियों की 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से कानूनी लेखापरीक्षकों के कार्यशील कागज पत्रों पर बिना किसी पहुंच के की गई है और यह कानूनी लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों से मुख्य रूप से जांच करने तक और कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनित परीक्षा तक सीमित थी। मेरी लेखापरीक्षा के आधार मेरी जानकारी में कुछ महत्वपूर्ण सामने नहीं आया जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन कानूनी लेखापरीक्षकों की अनुपूरक रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी करने का अवसर देता।

कृते भारत के महालेखापरीक्षक और नियंत्रक
(प्रमोद कुमार)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-1
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
तारीख : 25 जून, 2014

ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, एमजी रोड, गुवाहाटी, असम-781001

सीआईएन : U11101AS2007GOI008290

प्रोक्सी फार्म

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंध और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में)

सदस्य (यों) का नाम : _____

रजिस्ट्रीकृत पता : _____

ई-मेल का पता : _____

फोलियो संख्या/ग्राहक पहचान : _____

डीपी पहचान : _____

मैं/हम.....के शेयरधारक होने नाते एतदद्वारा निम्नलिखित को नियुक्त करते हैं :

1. नाम : _____
   पता : _____
   ई-मेल : _____
   हस्ताक्षर : _____, या उसके न होने पर

2. नाम : _____
   पता : _____
   ई-मेल : _____
   हस्ताक्षर : _____, या उसके न होने पर

3. नाम : _____
   पता : _____
   ई-मेल : _____
   हस्ताक्षर : _____, या उसके न होने पर

कंपनी की 7वीं साधारण बैठक जो 02 सितम्बर, 2014 को अरराह्न 3.00 बजे कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, एमजी रोड, गुवाहाटी-781001 में आयोजित की जाएगी में यह उसके किसी स्थगन या ऐसे किसी संकल्प में जो नीचे उपदर्शित किया गया है.....को मेरे/हमारे लिए प्रोक्सी के रूप में बाग लेने और मत देने के लिए मेरे/हमारे निमित नियुक्त करते हैं।

संकल्प संख्या :

.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

राजस्व टिकट चस्पा करे Re.1/-

आज.....तारीख.....2014 को हस्ताक्षरित

शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी धारक (कों) के हस्ताक्षर

टिप्पण : इस प्रॉक्सी फार्म के प्रभावी होने के लिए इसे सम्यक रूप से पूरा करके कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में बैठक के प्रारंभ होने से 48 घंटे अन्यून पूर्व जमा किया जाना चाहिए।

ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय
होटल ब्रह्मपुत्र अशोक
एम जी रोड, गुवाहाटी–781001